C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXI, Ninth Session, 2011/1933 (Saka)
No. 13, Monday, December 12, 2011/Agrahayana 21, 1933 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM MYANMAR	2
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
[*]Starred Question Nos. 241 to 244	3-43
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 245 to 260	44-88
Unstarred Question Nos. 2761 to 2990	89-528

[*] The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member

REFERENCE BY THE SPEAKER 529

Completion of 100 years of Delhi as the Capital of India

PAPERS LAID ON THE TABLE 530-549

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
31st Report 549

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 40th report of the Standing Committee on Labour on 'Problems being faced by workers due to sickness of HMT Units', pertaining to the Ministry of Labour and Employment 550

Shri Mallikarjun Kharge

GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED 551-553

(i) MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) BILL, 2011 551

(ii) ARMS (AMENDMENT) BILL, 2011 551

(iii) ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS (AMENDMENT) BILL, 2011 552

(iv) NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND BILL, 2011 553

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND BILL, 2011 554-585

Motion to Consider 554-555

Shri Kamal Nath 579-584

Shri Syed Shahnawaz Hussain 556-561

Shri Sandeep Dikshit 562-567

Shri Shailendra Kumar 568-569

Shri A. Sampath 570-571

Shri Vijay Bahadur Singh 572-573

Shri Bhartruhari Mahtab 574-576

Shri Lalu Prasad	577-578
Clauses 2 to 6 and 1	585
Motion to pass	585
MATTERS UNDER RULE 377	586-600
(i) Need to exempt 'Jallikattu' from the purview of the Notification dated 11-7-2011 issued by the Ministry of Environment and Forests	
Shri S. S. Ramasubbu	586-587
(ii) Need to ensure financial propriety in expenditure incurred on training of Government officers	
Shri Pradeep Majhi	588
(iii) Need to include Rajasthani language in Eighth Schedule to the Constitution	
Shri Harish Choudhary	589
(iv) Need to follow the rules of reservation for appointment of SCs/STs in jobs of Supreme Court and High Courts	
Shri P.L. Punia	590
(v) Need to release funds under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana to Haryana particularly for Faridabad Parliamentary Constituency for construction of roads	
Shri Avatar Singh Bhadana	591
(vi) Need to run Indore-Amritsar Express via Ujjain and also make provision for financial allocation in the forthcoming budget for Simhasth Mahakumbh in Ujjain	
Shri Premchand Guddu	592
(vii) Need to provide opium licence (Patta) to farmers in Rajasthan	
Shri Dushyant Singh	593

(viii) Need to extend all possible help to the State Government of Gujarat in its efforts to minimize pollution level

Shrimati Jayashreeben Patel 593

(ix) Need to transfer land belonging to Defence Department in Belgaum district, Karnataka to Belgaum district Authority to ensure smooth flow of traffic in the area

Shri Suresh Angadi 594

(x) Need to convert N.H. 104 between Chakiya and Sheohar in Bihar into two-lane.

Shrimati Rama Devi 595

(xi) Need to ensure adequate quantity of Fertilizers to farmers in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ghanshyam Anuragi 595

(xii) Need to ensure supply of adequate quantity of coal to thermal power units in Uttar Pradesh

Shri Bhismshankar Alias Kushal Tiwari 596

(xiii) Need to develop Hogenakkal Falls in Dharmapuri district of Tamil Nadu as world class tourist destination

Shri R. Thamaraiselvan 597

(xiv) Need to develop and implement comprehensive police reform measures in the country

Shri Jayant Chaudhary 598

(xv) Need to allocate coal blocks for Kalisindh and Chhabra Thermal Power plants in Rajasthan

Dr. Kirodi Lal Meena 599-600

LIFE INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2009	601-660
Motion to consider	601
Shri Namo Narain Meena	601-608, 632 648-653 4073-78
Shri Shivkumar Udasi	606-608
Shri Harish Choudhary	609-611
Shri Shailendra Kumar	612-613
Shri Ramashankar Rajbhar	614-615
Shri Arjun Ray	616-619
Shri Kalyan Banerjee	620-622
Shri R. Thamaraiselvan	623-625
Shri Bansa Gopal Chowdhury	626-628
Shri Tathagata Satpathy	629-631
Shri S. Semmalai	633-634
Shri Prabodh Panda	635-636
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	637-640
Shri Ravindra Kumar Pandey	641-642
Dr. Tarun Mandal	643-644
Shri Jose K. Mani	645-646
Shri Arjun Ram Meghwal	647
Clauses 2 to 9 and 1	654-660
Motion to pass	660
PETROLEUM AND MINERALS PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) AMENDMENT BILL, 2010	661-724
Motion to consider	661
Shri R.P.N. Singh	661 4713-719

Shri Hansraj G. Ahir	662-664
Shri Ninong Ering	665-669
Shri Shailendra Kumar	670-671
Shri Gorakhnath Pandey	672-673
Dr. Monazir Hassan	674-676
Dr. Ratna De	677-678
Shri Bhartruhari Mahtab	679-682
Shri P.R. Natarajan	683-684
Shri Anant Gangaram Geete	685-687
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	688-690
Shri S. Semmalai	691-692
Shri Nama Nageswara Rao	693-694
Shri Prabodh Panda	695-696
Shri S.S. Ramasubbu	697-699
Shru Hukamdeo Narayan Yadav	701-703
Shri Prem Das Rai	704-705
Shrimati Putul Kumari	706
Shri Harish Chaudhary	707-708
Shrimati Bijoya Chakravarty	709-710
Shri Kameshwar Baitha	711-712
Clause 2 and 1	721-724
Motion to pass	724

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	502
Member-wise Index to Unstarred Questions	503-508

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	509
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	510

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 12, 2011/Agrahayana 21, 1933 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM MYANMAR

MADAM SPEAKER: Hon. Members, at the outset, I have to make an announcement.

On my own behalf and on behalf of the hon. Members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Thura U Shwe Mann, Speaker of the Pyithu Hluttaw (Lower House of the Parliament of Myanmar) and the members of the Parliamentary Delegation from Myanmar who are on a visit to India as our honoured guests.

They arrived in India on Sunday, 11th December, 2011. They are now seated in the Special Box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the President, the Government and the friendly people of Myanmar.

(Q. No. 241)

SHRI SURESH ANGADI : Madam, the weavers and the farmers of the country are two eyes of the country – one provides food for the people and the other provides the cloth for the people. So, these are the two important aspects in the country. They are the two eyes. Today, the textile industry has lost much in the country. India is losing one-fourth income on the export front. The conditions of the weavers are the worst in the country especially in my State Karnataka. Weavers in my parliamentary constituency, Belgaum city, Ramdurg Taluka and in other parts of the Karnataka State, that is, Bagalkot and other districts in Karnataka are facing great problems. Is there any plan from the hon. Minister in this regard? He has said this once on 20th November and it has appeared in *The Hindu* as 'Rs.50,000 Waiver for the Weavers'. He has announced a special grant. Is it extended to Karnataka also? I would like to know this from the hon. Minister.

SHRI ANAND SHARMA: Madam, as I have mentioned in a detailed reply that there has been a slow down in the textile industry which has been a matter of serious concern. Therefore, a number of steps had been taken by the Government to address the challenges. There have been many factors which have led to the slow down of the textile sector. One of the factors is the contraction of the global demand. Therefore, both the yarn production and the fabric production have declined between 15 and 19 per cent.

Another factor responsible for this has been the closure of the Tiruppur units because of the Madras High Court orders which has led to the loss of employment for one lakh people and also loss of Rs.1100 crore to the industry. The Government is also concerned, as the hon. Member has said, about the problem of the weaver. In fact, that I was going to address in great detail in the next question (Q. No.242) on the Handloom Sector because this particular question is about the textile sector.

As I mentioned, there are six Committees which the Government has constituted. One is the high-level Committee for the revival of Tirupur textile industry. There is an Inter-Ministerial Steering Committee on TUFS. There is a Project Approval Committee on schemes for integrated textile parks. There is an empowered Committee on integrated skills development scheme. There is a Project Approval Committee on mega clusters. Four mega clusters were announced, as the House would recall, by the hon. Finance Minister in his Budget speech. There is also the project approval Committee on technical textiles. Further I would like to inform the hon. Member that the Government has sanctioned 21 new integrated textile parks under the scheme for integrated textile parks in October this year. The project cost will be Rs.2,100 crore.

Specifically about Karnataka where the hon. Member comes from, Karnataka has been sanctioned 23 clusters and 18 group approaches for the development of handloom sector in the 11th Plan.

SHRI SURESH ANGADI : Is there any plan for my Parliamentary Constituency Belgaum? Ramdurg and Belgaum are important places for weavers. क्या उसके लिए कोई योजना मंत्री जी ने बनायी है या नहीं?It is one of the important Districts in Karnataka. उसके लिए कोई योजना आपने तय की है तो उसकी जानकारी मुझे दीजिए।Apart from this, is there any scheme of special grants for loan waiver of Rs.50,000 to the weavers? Shri Atal Bihari Vajpayee during NDA regime had implemented a scheme wherein a weaver can do his work in the front of his house and can live there at the back side. वीवर्स के लिए वह सुविधा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में दी गई थी, क्या उसी प्रकार की योजना आपने बनायी है?

अध्यक्ष महोदया : आप एक ही सवाल पूछिए।

SHRI ANAND SHARMA: Madam, I will be very happy to receive a proposal from the hon. Member. आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के विषय में जो भी सुझाव देंगे, उस पर जरूर गौर किया जाएगा और उस पर जो भी उचित निर्णय लेना होगा, अवश्य लेंगे। जहां तक बुनकरों की समस्या है, उनका आपने जिक्र किया। मैंने पहले भी बताया कि अगला प्रश्न विवर्स से संबंधित है। मैं यह बात सदन को

बताना चाहता हूं कि बुनकरों के लिए एक रिवाइवल पैकेज की अभी घोषणा की गई है। पहले उसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में किया था, तीन हजार करोड़ रुपए का विवर्स पैकेज। उसकी जो भी प्रक्रिया थी, वह पूरी कर दी गई है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकॉनामिक अफेयर्स ने उसको अपनी मंजूरी दे दी है और बुनकरों का पैकेज अब पूरे देश में इम्पलीमेंट हो रहा है।

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदया, पूरे देश के अंदर कृषि के बाद रोजगार सृजन के लिए वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी ने जो बात इस संबंध में कही है कि वस्त्र उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है, उसके लिए उन्होंने समिति बनायी है। लेकिन अब तक का अनुभव यह बताता है कि सरकार को यदि कोई कार्य टालना होता है तो उसके लिए समिति गठित कर देती है। वर्ष 2005-06 में गोरखपुर के लिए टैक्सटाइल इंटीग्रेटिड पार्क स्वीकृत हुआ था। मैं अत्यंत खेद के साथ सूचित कर रहा हूं कि वह इंटीग्रेटिड पार्क अब तक गोरखपुर में नहीं बन पाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र टैक्सटाइल पार्क स्वीकृत हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, खलीलाबाद, मऊ और वाराणसी का क्षेत्र हैण्डलूम और पावरलूम के लिए विख्यात रहा है। लाखों की संख्या में लोग उस रोजगार से जुड़े हुए थे, लेकिन आज चीन से आने वाले यार्न ने उनकी स्थिति को अत्यंत खराब किया है और दूसरा जो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो मंदी आयी है, उसके कारण वे बदहाल स्थिति में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गोरखपुर के लिए स्वीकृत टैक्सटाइल इंटीग्रेटिड पार्क को कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और वहां के उद्योग में लगे हुए कामगारों के उत्थान के लिए सरकार क्या योजना बना रही है।

श्री आनन्द शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि गोरखपुर से संबंधित जो इन्होंने प्रश्न किया है, वह टी.सी.आई.बी.एस. पार्क की स्कीम थी। उसको स्पेशल इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की योजना में मर्ज कर दिया गया है। यह योजना 30 सितम्बर, 2011 को समाप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही स्पेशल इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लक्ष्मी कॉटन, कानपुर स्वीकृत हुआ है। प्रस्ताव जहां की होती है, उसी के आधार पर एस.आई.टी.पी. की स्वीकृति की जाती है। उसकी समिति उसको गौर से देखती है कि उसमें कितनी को-ऑपरेटिव सोसायटीज हैं या उस कलस्टर में कितने लोग हैं, जो शामिल हुए हैं? एक व्यक्ति विशेष को एस.आई.टी.पी. की योजना को अनुमति नहीं दी जाती। जैसा मैंने सदन में बताया कि 21 पार्कों की हमने स्वीकृति दी है। उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना उसमें निवेश होगा, उसी के आधार पर उसे वेटेज प्वायंट्स दिए जाते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट की जो सूची जारी होती है, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। हमने 21 पार्कों की स्वीकृति दी है जिसमें

40 करोड़ रूपए की सीमा होती है जो केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। 2100 करोड़ रूपए इन 21 पार्कों में निवेश होगा। इससे यह भी साफ जाहिर है कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा।

आपका जो प्रश्न था, वह काफी विस्तृत था, उसमें आपने कई विषय कहे हैं। यह सही है कि कपड़ा उद्योग, कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। साढ़े तीन करोड़ लोगों को इससे प्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला हुआ है और साढ़े चार करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। असंगठित क्षेत्र में कृषि के बाद यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए जो भी चुनौती सामने आती है, उसके कई कारण हैं। आपने कहा कि चीन से जो यार्न आता है, उससे नुकसान हुआ। पिछले साल और अभी के जो आंकड़ें हमारे पास हैं, उसके अनुसार ड्यूटी कम करने के बावजूद भी पहले से कम आयात हुआ है। वह सिर्फ मांग और पूर्ति की बात है। हमारे देश में जो उत्पादन होता है, वह मांग से कम है, इसलिए बाहर से आयात होता है और इस पर सरकार निगाह रखती है।

श्रीमती अन्नू टण्डन : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पहले तो मंत्री महोदय और सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बुनकर भाइयों के लिए जो पैक़ेज घोषित किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें प्रश्न करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अन्नू टण्डन : जैसे पूर्व प्रश्न में कहा गया, यह बात सही है कि वस्त्र निर्यात का शेयर अभी हाल में हमारे देश में काफी गिर गया है। अन्य देश जैसे चीन, बांग्लादेश, मेक्सिको, थाइलैंड वगैरह काफी आगे बढ़े हैं। उनकी टेक्नॉलोजी बेहतर है या सस्ती क्रेडिट सुविधा उनके पास है या विश्व बाजार में उनके प्रोडक्ट्स के प्रोमोशन के तरीके बेहतर हैं, चाहे जो भी वज़ह हो, लेकिन हमारे देश में टेक्सटाइल्स मिल्स के बंद होने से बेरोजगारी काफी बढ़ी है। मेरे अपने क्षेत्र के बगल में कानपुर को पहले पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था। वहां के टेक्सटाइल्स मिल्स के बंद होने की वज़ह से हमारे क्षेत्र उन्नाव में भी रोजगार पर फ़र्क पड़ा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार कोई स्वतंत्र निकाय की स्थापना के बारे में सोच रही है ताकि उसको वस्त्र उद्योग के लिए जरूरी इनपुट्स दे सके, और यह मूल्यांकन कर सके कि ऐसा क्यों हुआ, खासकर सिल्क यार्न और रॉ कॉटन के ऊपर ताकि वह नेशनल

इन्नोवेशन फाउंडेशन की तर्ज पर वस्त्र उद्योग के लिए एक इन्नोवेशन और टैक्टीकल फंड्स स्थापित कर सके।

अध्यक्ष महोदया : आप अपने प्रश्न संक्षेप में पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत रहिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अन्नू टण्डन : वस्त्र उद्योग के जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उस पर कोई विशेष योजना बनाकर हम वस्त्र उद्योग को मदद कर सकें।

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाइए।

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदया, मैंने उत्तर में उल्लेखित किया है कि छ: कमेटियां बनी हैं। टैक्सटाइल क्षेत्र को देखते हुए उनकी जो चुनौतियां एवं समस्याएं हैं, छ: ऐसी कमेटियां हैं, इंटर मिनिस्टिरियल कमेटी टफ्स पर है। हमने टैक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड स्कीम में यह भी तय किया है कि 12वीं योजना के अंदर भी इसे जारी रखा जाएगा, क्योंकि इसमें काफी निवेश है। इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इस साल जरूर चिन्ता की बात है, क्योंकि टफ्स स्कीम के तहत सन् 2011-12 के लिए 1972 करोड़ रुपए रखे गए थे, उनमें शायद पांच सौ करोड़ रुपए भी इस्तेमाल न हो पाएं, क्योंकि इसमें मंदी है। यह केवल राष्ट्र से संबंधित नहीं हैं, इसके ग्लोबल कारण भी हैं। विश्व के अंदर जो मंदी आई है, यूरोप एवं अमेरिका में भी मंदी है, इससे मांग भी टूटी है और प्रोडक्शन भी कम हुआ है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि 15 परसैंट कॉटन यार्न का प्रोडक्शन देश में कम हुआ और फेब्रिक का प्रोडक्शन 19 प्रतिशत कम हुआ है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को सूचना देना चाहता हूं, जहां तक निर्यात की बात है, पिछले साल टैक्सटाइल का एक्सपोर्ट 28 बिलियन यूएस डालर हुआ है और इस साल के लिए हमारा लक्ष्य 33 बिलियन यूएस डालर टैक्सटाइल एक्सपोर्ट का है।

श्री घनश्याम अनुरागी : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में बुनकर गरीबी की कगार में है। बुनकर मानव की सभ्यता का प्रतीक है, उसने कपड़े बुनने का काम किया। मनुष्य को तन ढकने के लिए कपड़े दिए, बुनकर इस देश की सभ्यता का प्रतीक है। सभी वर्गों में बुनकर है, अल्पसंख्यक एवं हिन्दू भी बुनकर है। आज सबसे ज्यादा गरीब बुनकर है। मैं उस बुनकर समाज से आता हूं, मैं देखता हूं कि आज हमारे परिवार एवं समाज में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, मिलें लगातार बंद होती जा रही हैं। सरकार इस पर बिलकुल चिन्तित नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इतनी लम्बी भूमिका मत बांधिए, प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी : अध्यक्ष महोदया, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, मंत्री जी ने कहा कि एक लाख लोग बेरोजगार हुए। एक लाख लोग बेरोजगार नहीं हैं, कम से कम पच्चासों लाख बुनकर बेरोजगार हैं। ...(व्यवधान) एक करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अनुरागी जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री घनश्याम अनुरागी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन बुनकरों के नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बहुत अच्छा, धन्यवाद।

श्री घनश्याम अनुरागी : क्या उनको रोजगार देने के लिए कोई व्यवस्था है? उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई की व्यवस्था करें। जो भूखों मर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं,...(व्यवधान) क्या उनके लिए कोई रोजगार है?...(व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, मैंने जो एक लाख का जिक्र किया, वह केवल तिरुपुर से संबंधित था, देश से संबंधित जिक्र नहीं किया था। तिरुपुर के लिए विशेष समिति बना दी गई है, तमिलनाडु गवर्नमेंट से उस पर चर्चा हो रही है। आपका प्रश्न बुनकरों के विषय में है, मैंने पहले ही कहा कि वित्त मंत्री जी ने बजट में जो आश्वासन दिया था, उसे आगे ले जाते हुए तीन हजार करोड़ के बुनकर पैकेज को 3884 करोड़ का बुनकर पैकेज सरकार ने घोषित किया है। यह दूसरा प्रश्न था, इसलिए मैंने विस्तार में नहीं बताया, अगर आपकी अनुमति हो तो दोनों प्रश्नों को एक साथ ले लें, क्योंकि यह बुनकरों के हैंडलूम सेंसस से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदया: एक साथ ले लिया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा: हमने जो पैकेज बुनकरों के लिए बनाया है, यह रिवाइवल रिफार्म और रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज है। सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है।

इस क्षेत्र के अन्तर्गत सेंसस भी कराई गई, जिसका दूसरे प्रश्न में उल्लेख है। यह सही है कि इस देश में बुनकरों की संख्या पिछली सेंसस के मुकाबले में घटी है। अभी जो संख्या है, वह 43.31 लाख है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में हर राज्य की स्टेटवाइज़ संख्या का उल्लेख किया गया है। इसकी डिटेल्स दी गई हैं कि कितने बुनकर हैं।

प्लानिंग कमीशन ने हैण्डलूम पर एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया। इसमें कई कारण हैं, एक तो मकेनाइज्ड सैक्टर से इनकी प्रतिस्पर्धा है, कम्पीटीशन है, जैसे मिल्स हैं, पावरलूम्स हैं। एक जो उनका उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी है, अगर पावरलूम्स और मिल सैक्टर से तुलना करें तो वह भी हैण्डलूम्स की कम है। इनके संगठन का जो नेटवर्क है, वह भी कमजोर है और मार्केटिंग भी कमजोर है, इसलिए इन सारे विषयों को मद्देनज़र रख कर बुनकरों को पैकेज दिया गया।

इनकी जो कर्जे की दर, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी महंगी थी, इसलिए जो पैकेज बना है, उसमें 15 हजार को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ की कर्जे की माफी भी है। 13 लाख बुनकरों को उसमें फायदा है, 500 करोड़ रुपये का उन बुनकरों के कर्जे की माफी के लिए प्रावधान है, जिन्होंने को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ के माध्यम से कर्जे नहीं लिए हैं, ताकि सीधा फायदा हर गरीब बुनकर तक पहुंचे। उसके साथ-साथ कर्जे की जो दर है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, वित्त मंत्री जी से हमने चर्चा की, उसमें भी तीन परसेंट उसका सबवेंशन किया गया है।

एक और सरकार के सामने प्रस्तावना है, जिस पर वित्त मंत्रालय से, प्लानिंग कमीशन से बातचीत पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही उसकी भी सरकार घोषणा करेगी। वह भविष्य से सम्बन्धित है। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने की योजना है, जिसमें बुनकरों को उसके साथ क्रेडिट की गारण्टी भी सरकार लेगी और मार्जिन मनी का भी हमारी तरफ से प्रावधान किया जा रहा है।

DR. RATNA DE : Thank you Madam Speaker.

As you are aware, the textile industry contributes 4 per cent to the GDP and provides 80 per cent employment in this sector in spite of export, although it is whopping 16 per cent. But the industry faces a lot of drawbacks. I would like to quote a few.

The basic problem is that the employee faces dust, noise exposure is too much; chemical exposures too go out of control; dependency on cotton is high; and labour laws are not favourable to this industry.

Would the hon. Minister state whether the Ministry has taken any initiative to provide basic protective equipment like hand gloves, protective shoes, respirators for both dust and chemical gadgets as also ear plugs? Apart from holistically, did the concerned Ministry undertake a review of the whole gamut of issues concerning the industry? Would the Minister ensure the monitoring of the personal hygiene of the employees in the concerned industry?

SHRI ANAND SHARMA: There are a number of schemes, which we have for the weavers of this country.

As I have mentioned in the reply, there are five schemes, which are currently under implementation. They are Integrated Handloom Development Scheme, Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme, Marketing and Export Promotion Scheme, Mill Gate Price Scheme and Diversified Handloom Development Scheme. All these Schemes are under implementation.

I had explained earlier the problems that are confronting this sector and the steps that the Government has taken to address the challenge. We have also announced the technology mission on cotton to reduce contamination and the TUFS for technology upgradation of industry, in which Rs. 2,00,000 crore worth of projects have been approved in this sector.

The handloom sector and the weavers as such are being given all possible assistance including skills training. To help them in marketing, there are a number of initiatives that had been taken and 680 events have been sanctioned this year

and for the next year 700 marketing and export promotion schemes have been planned.

Regarding assistance to be given, yes, when it comes to dyes and when it comes to the processing units that is being done in small clusters already which would be further extended. I feel that with the full implementation of the four major mega-clusters which are coming up in the States of Sibsagar, Assam; Murshidabad, West Bengal; Virudhunagar, Tamil Nadu; and also one in Varanasi. That would further help the weavers… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Nothing is going on record.

(Interruptions) …[*]

SHRI BASU DEB ACHARIA : Reduction of customs duty on raw silk from 30 per cent to five per cent has adversely affected the silk industry, weavers as well as sericulture farmers. Thousands of the weavers have been rendered jobless as well as farmers in the States of Karnataka, West Bengal, Tamil Nadu and Andhra Pradesh where silk industries are the important industries.

May I know from the Minister in view of its adverse impact and in view of dumping of raw silk from China in our country which has adversely affected silk industry whether the Government will consider raising the customs duty from five per cent to the two years' back level of 30 per cent?

SHRI ANAND SHARMA: Madam, the Government through its various instrumentalities, keeps a watchful eye. The decision that was taken to reduce the duty on silk fabric, that has not been implemented and on the raw cotton it was implemented because there is a demand in the country.

India is one of the major silk producers. That is true. China is world's largest silk producer. Over 80 per cent of the total silk production of the world is in China. However, due to significant supply constraint in China arising out of shrinkage of mulberry cultivation due to natural calamities, in China in the last

---

[*] Not recorded

two years, prices of raw silk have seen sharp rise. When it comes to the domestic prices and the domestic imports as the hon. Member has asked, there has not been any such situation which has been brought to our attention – that is dumping. If the Government receives any complaint of dumping, there are provisions which we have even under the WTO to impose a safeguard duty and to take anti-dumping measures including anti-dumping duty.

We have to bear in mind that raw silk on which the duty has been reduced, there is a mis-match between the demand and supply. The demand has been more but our own production has been less. Therefore, the raw silk which is coming is meeting the requirement of silk industry including the weavers and that is a fact. I would also like to mention that in spite of reduction in the import duty, the average price of cross breed cocoon is about Rs.180 per kilogram whereas the Minimum Remunerative Price is Rs.170 per kilogram.

It is true that the prices have fallen. But there are a number of factors. When you look at the cocoon production, that has gone up by 20 per cent, even in Karnataka. I have got the figures and I can send them to the hon. Member.

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 242 श्री खगन दास - अनुपस्थित।
श्री निशिकांत दुबे

श्री निशिकांत दुबे : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मंत्री जी, मैंने आप से हैण्डलूम सेन्सस के बार में पूछा था और उसमें हम ने यह जानने की कोशिश की थी कम्पैरिजन क्या है? पहला सेन्सस, दूसरा सेन्सस और तीसर सेन्सस क्या कह रहा है? आप ने इस के बारे में गोल-गोल जवाब दिया है। फैक्ट यह है कि आपने वर्ष 1995 में जो सेन्सस किया था उसमें 25 लाख बुनकर थे, आज वे 22 लाख हो गए हैं। उनकी संख्या 34 लाख से 29 लाख में आ गई है। जो शेयर ऑफ आइडियल लूम्स हैं उनकी संख्या दस परसेन्ट से चार परसेन्ट आ गई है। यह दूसरा सेन्सस और तीसरा सेन्सस का कम्पैरिजन है। इसके बाद आप ने कमेटी की बात कही है। वर्ष 1952 से लगातार कमेटी बनी है - अशोक मेहता कमेटी और कानूनगो कमेटी बनी है। वर्ष 1974 में शिवराम कमेटी बनी है और वर्ष 1985 में माननीय राजीव गांधी जी एक बहुत ही अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी लाये। उसके बाद वर्ष 1990 में आबिद हुसैन की कमेटी बनी। मीरा सेठ की कमेटी बनी और बाद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एस. सत्यम की कमेटी बनाई। मेरा पहला सवाल यह है कि आबिद हुसैन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें नाइन्थ शेड्यूल में टेक्सटाइल इन्डस्ट्री को इन्क्लूड करने की बात है। वह कह रहा है कि लोकल एरिया डेवलप्मेंट के बारे में सोचिए। पूरे देश के बारे में एक टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं हो सकती है क्योंकि मैं भागलपुर से आता हूं तो भागलपुरी सिल्क् है। गोड्डा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है तो वहां भगैया सिल्क है, बनारसी सिल्क है। मद्रास का सिल्क है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकांत दुबे : मेरा यह कहना है कि मंत्री जी ने आबीद हुसैन कमेटी के आधार पर आपने बुनकरों के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई है और उन की संख्या क्यों घट रही है?

श्री आनन्द शर्मा : माननीय सदस्य योग्य हैं, और टेक्सटाइल और बुनकरों के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं। अध्यक्ष महोदया, आप के माध्यम से मुझे एक जानकारी माननीय सदस्य को देनी है। प्रश्न का उत्तर गोलमोल नहीं है, स्पष्ट है। आप 'ए' का उत्तर देखें जो लिखित दिया गया है कि पिछले सेन्सस की तुलना में इनकी संख्या घटी है। मैंने पहले भी इस का उत्तर देते हुए आज ही चर्चा की है। …(व्यवधान) आप थोड़ा संयम रखे, मैं नम्बर भी बता रहा हूं। मैंने बताया कि अभी का जो सेन्सस है उसमें 43 लाख 31 हजार बुनकर हैं। जो पहले का सेन्सस था उस की तुलना में 65 लाख 50 हजार थे। इतने बुनकर क्यों कम हुए?…(व्यवधान) इतने कम क्यों हुए मैंने इनके कारणों का उल्लेख किया है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : फर्स्ट सेन्सस में क्या था? …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया सुनने दीजिए।

श्री आनन्द शर्मा : जो लूम्स की संख्या है वह भी कम हुई है। ये 34 लाख 87 हजार से घट कर 23 लाख 77 हजार हो गई है? जो लूम्स की संख्या है वह भी कम क्यों हुई है। ...(व्यवधान) मैंने इसके कारण बताएं हैं कि इसमें एक ऐसे वर्ग के लोग हैं जो गरीब हैं इसलिए सरकार ने विशेष हस्तक्षेप कर के कई योजनाएं बनाई है - उनको ट्रेनिंग देने की, उनका कर्जा माफ करने की और कर्जा दिलाने की, बैंक्स का क्रेडिट कार्ड देने की, स्वास्थ्य योजना की जो मशीनरी है, कहां कलस्टर्स में लगे, वह मशीनरी भी सरकार की तरफ से सब योजनाएं हैं और सभी योजनाएं क्रियान्वयन में है। यह सभी अंडर इम्प्लिमेन्टेशन हैं। मैंने आप को यह भी बताया कि बुनकरों को ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: We have spent so much time on just these two questions.

… (*Interruptions*)

श्री आनन्द शर्मा : मुझे यह चीज बतानी है कि वर्ष 2010 का जो तीसरा सेन्सस है, वर्ष 1995 के सेन्सस में जहां तक मैनडेज का प्रश्न है उसमें इम्प्रूवमेन्ट है। मेरे पास इस की पूरी जानकारी है। वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 2010 में इसमे मैनडेज की संख्या बढ़ी है, उत्पादन की बात नहीं है। बुनकरों को हैंक यार्न जो है वह भी मिलगेट प्राइस पर उपलब्ध किया जाता है। उसमें और भी छूट दे दी गई है। उसमें हमने और भी रियायत दी है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री आनन्द शर्मा: मैं आपकी बात समझ सकता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप ऐसे मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए और बैठकर सुनिए।

...(व्यवधान)

* Not recorded

श्री आनन्द शर्मा : मैं समझ सकता हूं कि कारण क्या है, क्योंकि मैंने बनारस में तीन सप्ताह पहले स्वयं जाकर बुनकरों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की है, जिसके लिए पहल इसी सदन के माननीय सदस्य श्री राहुल गांधी ने की थी। वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है।...(व्यवधान) बुनकरों के लिए दो पैकेजों की घोषणा से...(व्यवधान) केवल राजनीति के कारण यह उत्तेजना है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मैंने आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पूछा था और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने मैनडेस की बात की है। माननीय मंत्री जी, मेरे पास भी डाटा है कि 5,000 से 5,300 हो गया। बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, आप ही का सैन्सस कह रहा है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने यह क्रेडिट दिया और पूरा बैंच थपथपाया गया। माननीया अनु जी ने भी ये बातें कहीं। ...(व्यवधान) यह 28 फरवरी को एनाउंस हुआ और आज तक इम्प्लीमैंट नहीं हो पाया है। जो मिड ईयर एप्रेज़ल आया है, वह यह कह रहा है कि अभी तक प्लानिंग कमीशन ने उसे क्लीयर किया है, वह मंत्रालय में गया है और मंत्रालय में भी लेट लगेगा। लेकिन आप ही का उत्तर है, मंत्री जी। आपने कहा 43 लाख वीवर्स हैं। एक हिसाब बता दीजिए। उत्तर में कह रहे हैं कि तीन हजार करोड़ रुपये का जो पैकेज दे रहे हैं, उसमें से तीन लाख लोगों को फायदा होगा। 43 लाख लोगों में से 3 लाख तो बाकी 40 लाख लोग कहां जाएंगे, आप इसका जवाब बताइए।

नाबार्ड का जो क्रेडिट फ्लो है, वह यह कह रहा है कि प्राइमरी और एपैक्ट कोऑपरेटिव, जो आप दे रहे हैं, only 50 per cent of the target set is completed. उसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का 70 प्रतिशत टारगेट कम्प्लीट हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि प्लानिंग कमीशन ने आपको कारण बताया था कि यदि आप यह-यह काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन कह रही है कि हैंडलूम वीवर्स के क्रेडिट डीड का क्या करेंगे, इनपुट सपोर्ट का क्या करेंगे, मार्किटिंग का क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिजर्वेशन का क्या करेंगे?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कितने सवाल पूछेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप एक ही सवाल पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : प्लानिंग कमीशन ने आपको जो सजैशन दिए हैं,..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप जल्दी से पूरक प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : प्लानिंग कमीशन ने जो सजैशन दिया है कि प्रोडक्ट रिजर्वेशन का क्या करेंगे, क्रेडिट डीड्स का क्या करेंगे, इनपुट सपोर्ट का क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे, मार्किटिंग का क्या करेंगे और उन 40 लाख वीवर्स का क्या करेंगे, इस बारे में आपको बताना चाहिए। आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपको जवाब फ्रैश देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री आनन्द शर्मा : वैसे माननीय सदस्य ने प्रश्न नहीं किया, टिप्पणी जरूर की है।…(व्यवधान) माननीय सदस्य ने एक साथ कई प्रश्न किए हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कई प्रश्न नहीं, आप एक ही प्रश्न का जवाब दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा : यह प्रश्न आबिद हुसैन कमेटी से संबंधित नहीं है, हैंडलूम सैन्सस से संबंधित है।…(व्यवधान) आबिद हुसैन कमेटी पर विचार करके क्या सोच बनी, उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को भेज सकता हूं।…(व्यवधान)आबिद हुसैन के बाद…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else, except what the hon. Minister says, will go on record.

(Interruptions) … *

श्री आनन्द शर्मा : आप कम से कम व्यवधान न डालें, थोड़ा शान्ति से सुनिए। मालूम है कि आजकल शोर काफी है। सदन शान्ति से चल रहा है, आप मेरी बात सुन लीजिए।…(व्यवधान) आबिद हुसैन और सत्यम दो कमेटियां बनी थीं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त हो जाइए।

…(व्यवधान)

* Not recorded

श्री आनन्द शर्मा : दोनों कमेटियों की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया। जो दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना बनी है, आबिद हुसैन कमेटी और सत्यम कमेटी, इन दोनों रिपोर्टों पर गौर करके यही दो पंचवर्षीय योजनाएं बनी थीं। वह उसमें शामिल की गई हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैंने आपके माध्यम से सदन को बुनकरों के पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी है। मार्केट प्रमोशन के लिए 680 इवेंट्स हैं। हमारी जो विदेश व्यापार नीति है, उसके तहत वर्ष 2009 से ...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान) फोकस प्रोडक्ट स्कीम और फोकस मार्केट स्कीम में 41 बड़े बाजार जिनमें से 26 एक स्कीम में और 13 एक स्कीम में विशेष प्रावधान किये गये, जिसे आईडेंटिफाई किया। जहां इंसेंटिववाइज किया, वहां टेक्सटाइल को हमने इंसेंटिव दिया है पूरे यूरोप के लिए, पूरे अमेरिका के लिए। हालांकि हमारे पास साधनों की कमी है। हमने टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के लिए विशेष इंसेंटिव दिया है। ...(व्यवधान) यह पब्लिक डोमेन में है, पूरी जानकारी है कि सरकार की तरफ से निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाये। जो भी समर्थन है, सब योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट इसलिए नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये संतुष्ट होना नहीं चाह रहे। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

Shri P.C. Chacko.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except Shr P.C. Chacko's remarks.

(Interruptions) … *

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Hon. Speaker, handloom sector is the second highest employment provider after agriculture in the country. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) … *

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Millions of handloom workers are today struggling for survival. The hon. Finance Minister in the last Budget has

---

* Not recorded

sanctioned Rs. 3,000 crore-Debt Relief Scheme for the handloom sector. The next Budget is only three months away. This Rs. 3,000 crore-Debt Relief Scheme is not being implemented. … (*Interruptions*) The hon. Minister is very capable and he is handling important issues like the FDI very efficiently. How come there is no priority for the handloom sector? Will the Minister assure this House that this Debt Relief Scheme announced in the last Budget will be implemented immediately, at least before the next Budget? Which is the nodal agency for this? What about the audit of the handloom societies all over the country? Nothing is being completed and this Scheme is yet to take off.

SHRI ANAND SHARMA: Madam Speaker, I have informed the House that the hon. Finance Minister had in his Budget speech referred to the weavers' plight and the intention of the Government to have a special package for their revival and rehabilitation. That was a Rs.3,000 crore-package. The package was re-worked and the final package that has been announced is for Rs. 3,884 crore. Also, the Cabinet Committee on Economic Affairs in its last meeting had cleared the package. The hon. Member is a very knowledgeable person. He understands the processes of the Government. Only a declaration or a mention in the Budget does not mean implementation of a scheme. Once the scheme is cleared by the Planning Commission and the Special Finance Committee, which is Chaired by the Secretary, Department of Expenditure, then the Cabinet Committee on Economic Affairs considers and clears it. The approval has been given. The implementation process has started. I will send to the hon. Member the dates and the number of the camps that have been scheduled for this month itself for various States where the benefit of this package will be given directly. We have cleared it with the banks. The package is being implemented through the NABARD. I have also mentioned about those who have not been covered. … (*Interruptions*) Show some respect. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is not proper.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, have you completed?

SHRI ANAND SHARMA: Madam, I have not completed.

MADAM SPEAKER: Not yet? All right, please be brief. Let us move on to the next question.

… (*Interruptions*)

SHRI ANAND SHARMA: I hope my friends on the other side will show respect to the right of the hon. Member, Shri P. C. Chacko, to give the answer. Madam, the issue before us was about the … (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराइए।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत सारे मामले हमारे बुनकरों से संबंधित हैं, उनको लेकर पूरा सदन चिंतित है और अभी हम लोगों ने इन दो प्रश्नों पर 45 मिनट तक चर्चा कर ली है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग मेरी बात सुनिए।

अगर आप लोग नोटिस दें, तो हम इस पर आधे घंटे की चर्चा करवा लेंगे। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस विषय पर जब चर्चा होगी, उसमें आप हिस्सा लीजिएगा।

(Q. No. 243)

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Madam, in the reply the hon. Minister has said that out of 226 projects, 58 projects are delayed due to multiple reasons including land acquisition. Today, land acquisition is a serious concern in our country. So, how does the Department find its role in acquiring the land and completing these projects in time because first the connectivity is very critical and second is the land rights which fluctuates because of these delays?

So, would the hon. Minister kindly reply as to how would he expedite to complete all these projects? It is because our serious concern is that there are two major projects in Vidarbha which has been delayed by about three years. So, what is the Government trying to do in this regard?

डॉ. तुषार चौधरी: महोदया, मंत्रालय ने कई सारे स्टेप्स भूमि संपादन के लिए लिए हैं और उसमें हमने प्रोसीजर का सिम्पलीफिकेशन भी किया है। मंत्रालय को 18 हजार किलोमीटर हाइवेज बनाने हैं और उसके लिए भूमि संपादन की लागत एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये प्रति हेक्टेअर आती है। अभी आने वाले दिनों में अगर नई पॉलिसी आती है, तो यह लागत पांच गुना होगी, तो भविष्य में ऐसा निर्माण होगा कि 50 प्रतिशत कॉस्ट हाइवे के लिए सिर्फ लैण्ड एक्वीजिशन की हो जाएगी। इसके लिए मंत्रालय पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रॉपर लैण्ड एक्वीजिशन यूनिट हरेक पीआईओ में बनाया जाए और वहां के जो रिटायर्ड तहसीलदार हैं, मामलतदार हैं, उनको काम पर लिया जाए और उनकी हेल्प ली जाए। एक हाईपावर कमेटी हरेक स्टेट में चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में बनाई जाए, इस तरह का मंत्रालय प्रयास कर रहा है। जहां तक माननीय सदस्या ने उनके क्षेत्र के बारे में पूछा है, उसकी जानकारी मैं उनको स्वयं लिखित रूप में दे दूंगा।

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Madam, in the reply there is a mention about the poor performance of the contractor and forest clearance. Today, environment is a sensitive issue in our country. A lot of these projects get delayed due to delay of forest clearance from the Central Government. So, why does the Government plan National Highways which get delayed? Without taking an environment clearance from the Central Government, they start implementing the project. The money gets tied up and the contractor gets struck and the entire project is held up because there is no specific forest clearance taken from the Central Government. So, what

is the Government's plan from Delhi? When they plan such major projects, why do they start such projects because the money also gets tied up because of this lacuna in the policy?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी.जोशी): महोदया, यह बात सही है कि जब हम नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का पार्ट आता है। इसमें दो ऑप्शन्स हैं - एक, हम वाइल्ड लाइफ को एवाइड करके प्रपोजल बनाएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एलाइनमेंट को चेंज करें। जहां तक फॉरेस्ट में क्लियरेंस की बात है, the subject is referred to the State Government. We wish that the State Government will take initiative. जो हम एलाइनमेंट कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार अगर टाइम पर क्लियरेंस देगी, तो उसमें डिले नहीं होगा।...(व्यवधान)

DR. SANJEEV GANESH NAIK :Madam, through you, I would like to ask this from the hon. Minister because he has mentioned in serial number 19 about Surat-Dahisar. For the last three years, the Department is giving new date. Every year, the Department is giving the new date. This time, it has given the date which is December, 2011. I think it is December, 2011 and still the work is going on. So, I would like to ask a specific question. When will this work be going to be completed?

DR. C.P. JOSHI: I think the problem is with the concessionaires. We are interacting with the concessionaire. We are in the process to see that the concessionaire executes the work as per the schedule.

SHRI N.S.V. CHITTHAN : Madam, the hon. Minister has given a list of currently delayed projects under implementation by the NHAI due to the reasons like land acquisition, etc. But I am surprised and shocked to note that Oddanchattiram has not been included in the delayed projects list. I would like to say that NH 209 road starts from Dindigul and passes through Oddanchattiram, which is the biggest vegetable market in South India. In order to avoid traffic congestion, a bye-pass road at Oddanchattiram is a vital necessity. It is learnt that though the land acquisition estimates were sanctioned about two years back, yet it has not

completed the award stage. I would like to know from the hon. Minister, through you, Madam, whether the Government of Tamil Nadu has forwarded the 3D proposals to the Government of India for the acquisition of land. May I know from the hon. Minister whether he will take necessary and serious steps to see that the 3D proposals are processed and published in the Gazette of India?

DR. C.P. JOSHI: Madam, I think, he has asked a particular question. The question was referring to only about land acquisition issue.… (*Interruptions*) I am aware of this. The question pertains to the delay because of land acquisition. So, we have not mentioned that particular stretch because that does not fall in this category. Hon. Member, you have brought it to my notice. I will take care of it and see to it that it is expedited.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदया, मैं जिस विषय के बारे में कहना चाहता हूं वह सभी माननीय सदस्यों के मन की बात है। मैंने शून्य काल में बोलने के लिए भी इस विषय पर नोटिस दिया था। आज एनएचएआई काम कर रही है, उससे देश की तरक्की रुक रही है। अध्यक्ष महोदया, आपके निर्वाचन क्षेत्र में वाजपेयी जी की सरकार के समय काफी अच्छी सड़क बनी थी। आज एनएचएआई की प्रगति की रफ्तार कम हो गई है। यह मूल प्रश्न एनएचएआई से सम्बन्धित है, उसके सभी इंजीनियर्स ने इस्तीफा दे दिया है, उसका क्या कारण है? क्या इसकी वजह से एनएचएआई के काम में बाधा पड़ेगी या नहीं? भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सभी इंजीनियर्स मेम्बर्स ने और चीफ इंजीनियर्स ने रिज़ाइन किया हो। इस वजह से सड़क बनाने की रफ्तार रुक गई है।...(व्यवधान) क्या आप वापस उस काम की रफ्तार को ला पाएंगे?

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछें।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : भागलपुर के नेशनल हाईवे 106 और 80 पर काम रुक गया है। बिहार में ऐसी कई परियोजनाओं पर काम नहीं हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाजपेयी जी की सरकार के समय सड़कें बनाने की जो रफ्तार थी, 11-12 किलोमीटर रोज सड़क बनाने की जो रफ्तार थी, उसे पुनः बहाल [illegible] के लिए और वापस ट्रैक पर लाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

डॉ. सी.पी. जोशी: मुझे खुशी है कि जन्मदिवस के अवसर पर माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे मंत्रालय ने जिस तरह के स्टैप उठाए हैं, ओपन बिडिंग कराई है, इन कदमों की

वजह से आज के दिन 5,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम पांच साल तक भारत सरकार को मिलेगा। Never in the history of NHAI, have we done it. I assure you that there is no conflict of interest between the engineers and my Ministry. The only issue is that we are addressing the issue of PC. The decision was taken by the Cabinet. We are strictly adhering to it and it should be implemented in a faithful manner. So, I can assure you this. माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि रफ्तार कम हुई है, तो मैं बताना चाहता हूं कि काम की कोई रफ्तार कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी है। हमने 7300 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है, उसमें से 4,000 किलोमीटर का एवार्ड कर चुके हैं। By the end of March, we will award 7300 kms and consecutively for three years, we award 7300 kms. हमने रोज 20-21 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कही है और वह हम आपको करके बता देंगे। … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: उन्हें प्रश्न पूछने दें, क्योंकि समय बहुत कम है।

MADAM SPEAKER: Nothing is to be recorded.

(Interruptions) …[*]

श्री नामा नागेश्वर राव : थैंक्यू मैडम, यह जो लैंड एक्विजिशन का इश्यू है यह तब से चल रहा है जब से नेशनल हाई-वे स्टार्ट हुआ है। इसका जिक्र यहां बहुत बार आया है और 15वीं लोक सभा में भी इसका बहुत जिक्र हुआ है। अभी एमओएस के मिनिस्टर साहब ने जवाब देते हुए एक बात कही है कि हाई-पावर कमेटी हम लोग गठित कर रहे हैं। मेरा कहना है कि हाई-पावर कमेटी तो पहले से है, स्टेट के चीफ सैक्रेट्रीज को लेकर हाई-पावर कमेटी तो पहले से है। इतना होने के बावजूद भी लैंड एक्विजिशन जब तक नहीं होगा, तब तक प्रोजैक्ट नहीं बनेगा। जब भी हाउस में लैंड की बात होती है तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के लिए बात की जाती है। उसके लिए हाई-लैवल कमेटी है तो मिनिस्ट्री का क्या मॉनिटरिंग सिस्टम है और अगर मिनिस्ट्री लगातार मॉनिटरिंग कर रही है तो प्रॉबल्म को क्यों सोल्व नहीं कर पा रही है? क्या मिनिस्ट्री इसे चालू करने में फेल हो गयी है, क्यों इसकी मॉनिटरिंग लगातार नहीं कर रही है? In the country, infrastructure is very important. इस पर मिनिस्ट्री प्रॉबल्म को सोल्व करने के लिए आगे क्या एक्शन लेगी? अगर इसे चालू रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और इस पर मिनिस्ट्री फरदर एक्शन क्या लेगी?

---

[*] Not recorded

डॉ. सी.पी.जोशी: अध्यक्ष महोदया, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन का काम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। लैंड एक्वायर करने की अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट अपाइंट करती है। लैंड एक्वायर होने के बाद पैसा हम देते हैं, डिस्बरसमेंट का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। मैं समझता हूं कि जहां-जहां स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम कर रही है वहां काम तेज गति से हो रहा है। जहां पर यह प्रॉब्लम आ रही हैं, वहां पर स्टेट की जो अपाइंटिंग अथॉरिटी है वह भी यूटिलिटी शिफ्ट करने में डिले कर रहे हैं. डिस्बर्स करने में डिले कर रहे हैं। उनके कारण जो प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर करने के लिए हम चीफ सैक्रेट्री के साथ मिलकर इस काम को एक्सिडाइट करने का काम कर रहे हैं।

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : I just want to ask a very specific question. This was a very ambitious project throughout the country. A wonderful job has been done. There is no doubt about it So far as our State, Jammu and Kashmir is concerned, everything went up to Jammu but beyond Jammu – as you know, Kashmir is almost disconnected from the rest of the country. The only highway we have, which connects us to the country and the rest of the world, is the Jammu-Srinagar Highway. But unfortunately, Madam, kindly intervene, nothing beyond Jammu. It was started on a war footing throughout the country; a wonderful job has been done, but nothing beyond Jammu has happened and unfortunately, the Jammu-Srinagar Highway, which gets disconnected because of the land slides nothing Jammu has moved.

MADAM SPEAKER: Please ask your question. A very little time is left.

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : So, will the Government of India, so far as the Jammu-Srinagar Highway is concerned, take it up on a war footing, as was done in the rest of the country?

DR. C.P. JOSHI: I do feel concerned about the hon. Member and I can assure you that not only Jammu and Kashmir, we are also going to have very effective measures to connect the Ladakh-Leh part also. जोजिला की कनैक्टिविटी का जो काम है, राहुल गांधी जी वहां गये थे और हमने वहां और इनीसिएटिव लिया है।

(Q. No. 244)

SHRI ANANDRAO ADSUL : Madam, hospital waste or biomedical waste (BMW) is one of the most hazardous components of environmental pollution. Hospitals produce waste is increasing over the years in its amount and type. A major issue related to the current bio-medial waste management in many hospitals is that the implementation of bio-waste regulation is unsatisfactory as some hospitals are disposing of waste in a haphazard, improper and indiscriminate manner. There is no mechanism to ensure that all waste collected and segregated reaches its final destination.

I would like to know from the hon. Minister as to what concrete steps have been taken by the Union Government in this regard.

12.00 hrs.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, I have mentioned in my reply the steps taken by the Government of India for efficient disposal of bio-medical waste in the country.

I agree with the hon. Member that the compliance to the Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules is not as good as it should have been. In our country there are 1,37,000 health care units generating bio-medical waste. At present there are one lakh health facilities which are utilising the common facility of bio-medical waste disposal in the country and there are 20,000 institutions which have their on-the-spot incinerators, auto clearing facility, microwave facility and shredders in the country.

As I have mentioned in my reply, the Draft Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules, 2011 are on the website and the Government will take further steps for efficient disposal of bio-medical waste in the country.

12.0½ hrs.

REFERENCE BY THE SPEAKER

Completion of 100 years of Delhi as the Capital of India

MADAM SPEAKER: Honourable Members, as you are all aware, today the Nation celebrates 100 years of the return of Capital of the country to Delhi from Calcutta. It was on 12th December, 1911 that Delhi was proclaimed as the new Capital of India at the Delhi Durbar.

Today, Delhi has emerged to become the largest metropolis by area and the second largest by population in the country. Delhi is not only one of the greenest capitals in the world but also boasts of world class infrastructure and many heritage buildings.

The House congratulates all citizens of the country on the occasion of completion of 100 years of its Capital Delhi and conveys its best wishes to them in their march towards prosperity and all round development.

<u>12.01 hrs.</u>

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now Papers to be laid. Shri A.K. Antony.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): Madam, I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 346 of the Cantonments Act, 2006:-

(i) The Cantonments (Payment of Allowances to Vice-President and Elected Members) Rules, 2011 published in Notification No. S.R.O. 6(E) in Gazette of India dated 1st August, 2011.

(ii) The Election of Vice-President of the Cantonments Board (Procedure) Rules, 2011 published in the Notification No. S.R.O.10(E) in Gazette of India dated the 4th November, 2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item (i) of (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5465/15/11)

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Madam, I beg to lay on the Table:--

(1) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on ILO Domestic Workers Convention (C-186) and Domestic Workers Recommendation (R-201) adopted in the 100th Session of the International Labour Conference held in June, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5466/15/11)

(2) A copy of the recommendations of the Majithia Wage Boards (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 2532(E) in Gazette of India dated 11th November, 2011, under the Working Journalists and other Newspapers Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provision Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 5467/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): Madam, on behalf of Shri G.K. Vasan, I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Ennore Port Limited, Chennai, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Ennore Port Limited, Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5468/15/11)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5469/15/11)

(c) (i) Review by the Government of the working of the Dredging Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Dredging Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5470/15/11)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5471/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the V. O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V. O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5472/15/11)

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5473/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kandla Port Trust, Gandhidham, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5474/15/11)

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Kandla Port Trust, Gandhidham, for the year 2010-2011.

(6) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5475/15/11)

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2010-2011.

(7) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5476/15/11)

(8) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Trust, Mangalore, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Mangalore Port Trust, Mangalore, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5477/15/11)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5478/15/11)

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1A) of Section 9 of the Merchant Shipping Act, 1958:-

(i) The Merchant Shipping (Levy of Seamen's Welfare Fee) Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 654(E) in Gazette of India dated 30^{th} August, 2011.

(ii) S.O. 2044(E) published in Gazette of India dated 6^{th} September, 2011, notifying delegation of Powers of Indian Classification Societies.

(11) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(Placed in Library, See No. LT 5479/15/11)

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the MOIL Limited, Nagpur, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the MOIL Limited, Nagpur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5480/15/11)

(2) (i) Review by the Government of the working of the MECON Limited, Ranchi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the MECON Limited, Ranchi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5481/15/11)

(3) (i) Review by the Government of the working of the NMDC Limited, Hyderabad, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the NMDC Limited, Hyderabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5482/15/11)

(4) (i) Review by the Government of the working of the MSTC Limited, Kolkata, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the MSTC Limited, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5483/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam, on behalf of Shrimati Jayanti Natarajan, I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5484/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 5485/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, for the year 2008-2009.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 5486/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): Madam, I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmaceuticals Export Promotion Council (Pharmexcil), Hyderabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmaceuticals Export Promotion Council (Pharmexcil), Hyderabad, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5487/15/11)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export

Promotion Council for EOUs & SEZs, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for EOUs & SEZs, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5488/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (Shefexil), Kolkata, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (Shefexil), Kolkata, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (Shefexil), Kolkata, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5489/15/11)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5490/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5491/15/11)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Spices Board India, Cochin, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5492/15/11)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Engineering Export Promotion Council (EEPC India), Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Engineering Export Promotion Council (EEPC India), Kolkata, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5493/15/11)

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5494/15/11)

(b) (i) Review by the Government of the working of the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5495/15/11)

(c) (i) Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5496/15/11)

(d) (i) Review by the Government of the working of the CAPEXIL Limited, Kolkata, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the CAPEXIL Limited, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5497/15/11)

(e) (i) Review by the Government of the working of the Plastics Export Promotion Council (Plexconcil), Mumbai, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Plastics Export Promotion Council (Plexconcil), Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5498/15/11)

(f) (i) Review by the Government of the working of the Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics Export Promotion Council (Chemexcil), Mumbai, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics

Export Promotion Council (Chemexcil), Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5499/15/11)

(g) (i) Review by the Government of the working of the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5500/15/11)

(9) A copy of the Spices Board (Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 811(E) in Gazette of India dated 15th November, 2011 under Section 40 of the Spices Board Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 5501/15/11)

(10) A copy of the Notification No. S.O.2020(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 30th August, 2011 appointing the 1st September, 2011 as the date from which the duty of excise at the rate of rupee two only per kilogram of rubber shall be levied as cess on all rubber produced in India issued under sub-section (1) of Section 12 of the Rubber Act, 1947.

(Placed in Library, See No. LT 5502/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Madam, I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5503/15/11)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5504/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5505/15/11)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Research Association, Thane, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of

the working of the Wool Research Association, Thane, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5506/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5507/15/11)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bombay Textile Research Association, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bombay Textile Research Association, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5508/15/11)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5509/15/11)

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Jute Diversification, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of

the working of the National Centre for Jute Diversification, Kolkata, for the year 2009-2010.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(Placed in Library, See No. LT 5510/15/11)

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5511/15/11)

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5512/15/11)

(12) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the National Textile Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the National Textile Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5513/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): Madam, I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Electronics Limited, Bangalore, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Bharat Electronics Limited, Bangalore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5514/15/11)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5515/15/11)

(c) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5516/15/11)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5517/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5518/15/11)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5519/15/11)

(5) A copy of the Notification No. S.R.O. 09(E) (in Hindi version only) published in Gazette of India dated 24th October, 2011 containing corrigendum to the Notification No. S.R.O. 65 dated 21st July, 2008, issued under the Armed Forces Tribunal Act, 2007.

(Placed in Library, See No. LT 5520/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (DR. TUSHAR CHAUDHARY): Madam, on behalf of Shri Jitin Prasada, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 10 of the National Highways Act, 1956:-

(i) S.O. 1264(E) published in Gazette of India dated the 1st June, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1206(E) dated 16th October, 2003.

(ii) S.O. 2561(E) published in Gazette of India dated the 13th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D (including construction of by-passes) in the State of West Bengal.

(iii) S.O. 1072(E) published in Gazette of India dated the 13th May, 2010, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 3007(E) dated 25th November, 2009.

(iv) S.O. 1737(E) published in Gazette of India dated the 20th July, 2010, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 314(E) (in Hindi version only) dated 8th February, 2010.

(v) S.O. 2597(E) published in Gazette of India dated the 19th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 83 (Patna-Gaya-Dobhi Section) in the State of Bihar.

(vi) S.O. 1918(E) published in Gazette of India dated the 5th August, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2656(E) dated 21st October, 2009.

(vii) S.O. 2805(E) published in Gazette of India dated the 18th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 85 (Hajipur-Chhapra-Gopalganj Section) in the State of Bihar.

(viii) S.O. 2628(E) published in Gazette of India dated the 25th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 85 (Hajipur-Chhapra-Gopalganj Section) in the State of Bihar.

(ix) S.O. 2837(E) published in Gazette of India dated the 24th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 77 (Muzaffarpur-Sonbarsa Section) in the State of Bihar.

(x) S.O. 2678(E) published in Gazette of India dated the 28th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 28A in the State of Bihar.

(xi) S.O. 2906(E) published in Gazette of India dated the 8th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Varanasi-Aurangabad Section) in the State of Bihar.

(xii) S.O. 2648(E) published in Gazette of India dated the 26th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 77 (Muzaffarpur-Sonbarsa Section) in the State of Bihar.

(xiii) S.O. 2639(E) published in Gazette of India dated the 25th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 83 (Patna-Gaya-Dobhi Section) in the State of Bihar.

(xiv) S.O. 2871(E) published in Gazette of India dated the 30th November, 2010, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 83 (Patna-Gaya-Dobhi Section) in the State of Bihar.

(xv) S.O. 2277(E) published in Gazette of India dated the 15th September, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 85 (Hajipur-Chhapra-Gopalganj Section) in the State of Bihar.

(xvi) S.O. 1033(E) published in Gazette of India dated the 12th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.

(xvii) S.O. 1498(E) published in Gazette of India dated the 1st July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Dankuni-Kolaghat Section) in the State of West Bengal.

(xviii) S.O. 1031(E) published in Gazette of India dated the 12th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.

(xix) S.O. 1032(E) published in Gazette of India dated the 12th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.

(xx) S.O. 1524(E) published in Gazette of India dated the 1st July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.

(xxi) S.O. 1359(E) published in Gazette of India dated the 13th June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.

(xxii) S.O. 1030(E) published in Gazette of India dated the 12th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.

(xxiii) S.O. 1558(E) published in Gazette of India dated the 8th July, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2814(E) dated 3rd November, 2009.

(xxiv) S.O. 1199(E) published in Gazette of India dated the 26th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 83 (Patna-Gaya-Dobhi Section) in the State of West Bengal.

(xxv) S.O. 1568(E) published in Gazette of India dated the 8th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 33 (Hazaribag-Ranchi Section) in the State of Jharkhand.

(xxvi) S.O. 1564(E) published in Gazette of India dated the 8th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 34 (Farakka-Raiganj Section) in the State of West Bengal.

(xxvii) S.O. 1573(E) published in Gazette of India dated the 8th July, 2011, authorising the District Land Acquisition Officer, Begusarai, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 28 (Muzaffarpur-Barauni Section) in the State of Bihar.

(xxviii) S.O. 1363(E) published in Gazette of India dated the 13th June, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2656(E) dated 21st October, 2009.

(xxix) S.O. 1365(E) published in Gazette of India dated the 13th June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 33 (Rargaon-Jamshedpur Section) in the State of Jharkhand.

(Placed in Library, See No. LT 5520/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI D. NAPOLEON): Madam, I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5521/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 5523/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pandit Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pandit Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, New Delhi, for the year 2009-2010.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 5524/15/11)

12.05 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
31st Report

SHRI DARA SINGH CHAUHAN (GHOSI): Madam, I beg to present the 31st Report of the Business Advisory Committee.

12.06 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 40th report of the Standing Committee on Labour on 'problems being faced by workers due to sickness of HMT Units', pertaining to the Ministry of Labour and Employment

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Madam, with your permission, I make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the Fortieth Report of the Standing Committee on Labour (Fourteenth Lok Sabha), as per Direction issued by the Hon. Speaker, Lok Sabha in pursuance of Rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, on 1st September, 2004.

The Fortieth Report of the Committee concern to the problems being faced by workers due to sickness of HMT Units, which was laid on the Table of the House on 25.02.2009. I would like to mention that the Ministry had submitted to the Committee, the Action Taken Report on this Report on 12.07.2010, which has been taken note of by the Committee.

The status of implementation of the recommendations of the Committee, contained in the Fortieth Report, is indicated in the Annexure to my Statement, circulated among hon. Members. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of this Annexure.

I would request that this might be considered as read.

(Placed in Library, See No. LT 5525/15/11)

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please, let us have order in the House. Hon. Members, please sit down.

12.07 hrs.

(i) MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) BILL, 2011*

श्री दिनशा पटेल (खेड़ा): मैं संघ के नियंत्रणाधीन खानों और खनिजों के वैज्ञानिक विकास और विनियमन से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to the scientific development and regulation of mines and minerals under the control of the Union."

The motion was adopted.

श्री दिनशा पटेल (खेड़ा): मैं विधेयक पुरःस्थापित **करता हूं।

12.07¼ hrs.

(ii) ARMS (AMENDMENT) BILL, 2011*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Madam, on behalf of my senior colleague, Shri P. Chidambaram, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Arms Act, 1959.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Arms Act, 1959."

The motion was adopted.

SHRI MULLAPALLY RAMACHANDRAN: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 12.12.2011

** Introduced with the recommendation of the President

<u>12.07½ hrs.</u>

(iii) ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS (AMENDMENT) BILL, 2011 *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam, on behalf of my senior colleague, Shri Pranab Mukherjee, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993."

The motion was adopted.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 12.12.2011

12.07¾ hrs.

(iv) NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND BILL, 2011*

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI KAMAL NATH): Madam, it is only appropriate with today being 100 years of Delhi as a Capital that we introduce this Bill.

So, with your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st Day of December, 2014 and for matters connected therewith or incidental thereto.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st Day of December, 2014 and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI KAMAL NATH: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 12.12.2011

12.08 hrs.

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND BILL, 2011

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have received a request from Shri Kamal Nath to take up Item No.20 immediately after Item No.16. I think the House would be agreeable to that.

Now, Item No.20, hon. Minister.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI KAMAL NATH): I beg to move:

> "That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st Day of December, 2014 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Madam, the Delhi Special Laws Provisions Act 2006 was introduced with the objective to protect certain forms of unauthorized development from punitive action in the National Capital Territory of Delhi and to provide for an opportunity for Government agencies to finalise norms, policy guidelines and feasible strategies as well as their orderly implementation.

This has been followed by subsequent legislation. The last such legislation made was a National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act 2001, which will cease to operate from 31st December 2011.

Delhi has added 30 lakhs to its population in the last decade and 44 lakhs during 1991-2001. Thus, the total addition in the last 20 years has been more than 100 per cent of the population till 1980. The Master Plan for Delhi, the MPD 2021, notified on 7th February 2007 has provided for its review and revision every five years to account for such modifications and corrections that emerged based on ground realities.

The review of MPD-2021 has already commenced and is expected to lead to the necessary modifications in the existing guidelines. The revised MPD would not only cover unauthorized colonies, villages, the village abadi areas, but the whole of the National Capital Territory of Delhi. It is expedient to introduce a legal framework to ensure that no hardship is imposed on people until the revision of the Master Plan is completed besides facilitating its smooth implementation on the ground.

MADAM SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st Day of December, 2014 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, दिल्ली को देश की राजधानी बने सौ साल हो रहे हैं और आज ही सरकार नेशनल कैपिटल दिल्ली के एक्सटैंशन के लिए लिए आई है। मै समझता हूं कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान बनता है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। दिल्ली के लिए पिछले साल ही एक साल का एक्सटैंशन लिया गया था और आज फिर से तीन साल का एक्सटैंशन लिया जा रहा है। जबकि दिल्ली का जो मास्टर प्लान बना है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। खुद मंत्री जी का बयान आया कि आफिस के रूम्स में बैठकर मास्टर प्लान बना है। दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में दिल्ली डैवलपमैन्ट अथारिटी ने यह वायदा किया था कि हम दो लाख घर बनायेंगे। इस तरह से पिछले छः सालों में करीब 12 लाख घर बनने चाहिए थे, लेकिन वे घर नहीं बने। सरकार इस बारे में कोई नीति नहीं बनाती है, बल्कि सरकार यह इजाजत देती है कि लोग अनअथोराइज बस जाएं और बाद में हम अनअथोराइज्ड कालोनीज को अथोराइज करने के लिए यहां पर चर्चा करें। दिल्ली में जो अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं, उन्हें रेगुलराइज करने के लिए आपने यूपीए चेयरपर्सन से सर्टीफिकेट भी बंटवा दिये। उसमें वे सब कालोनीज भी आ गईं, लेकिन आज तक उन्हें अथोराइज नहीं किया गया। संसद में हर बार इस पर चर्चा होती है और सरकार हड़बड़ी में आती है। हम आपके जरिये मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का दिल है और दिल्ली में जो लोग आते हैं, उनके बारे में गालिब ने कहा था - कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर। दिल्ली में जो लोग आते हैं, वे झोंपड़-पट्टी और झुग्गियों में रहते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार ने उन लोगों को प्लाट्स दिये थे। लेकिन यूपीए सरकार के आने के बाद आपने झोंपड़-पट्टी के एक भी आदमी को प्लाट नहीं दिया। दिल्ली में आज सिर्फ वायदे किये जा रहे हैं। जब-जब चुनाव आते हैं, सरकार कोई न कोई वायदा यहां के लोगों से करती है और लोग उस वायदे पर भरोसा भी कर लेते हैं और शायद चुनाव में इन्हें उसका कोई फायदा भी हो जाता हो। लेकिन फिर उसके बाद सरकार हड़बड़ी में आती है। मेरा आपके जरिये मंत्री जी से अनुरोध है कि दिल्ली में जो अनअथोराज्ड कालोनियां हैं, उन्हें अथोराइज करने के बारे में आपने जो घोषणाएं की हैं, क्या वे घोषणाएं सही हैं तथा सरकार द्वारा लोगों को बुलाकर जो पट्टे दिये गये हैं, क्या वे सही है? दिल्ली के लिए डीडीए ने वायदा किया था कि गरीब लोगों के लिए दो लाख मकान बनायेंगे। डीडीए द्वारा बनाये गये एमआईजी और एलआईजी फ्लैट्स आज करोड़ों रुपये में बिक रहे हैं। दिल्ली में किसानों से कौड़ियों के भाव पर जमीनें ली जा रही हैं और दिल्ली डैवलपमैन्ट अथारिटी उसे करोड़ो रुपये में बेच रही है। आज दो सौ तीन सौ गज का प्लाट करोड़ों रुपये में बिकता है। आज दिल्ली आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। दिल्ली में जो 20-25 परसैन्ट आबादी अनअथोराज्ड कालोनियों में रहती है, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए।

महोदया, दिल्ली में जो लुटियन जोन है, जिसकी आपने भी प्रशंसा की है कि यह बहुत खूबसूरत है, दिल्ली हम सबकी राजधानी है। हम सब तथा पूरे देश के लोग इस पर गर्व करते हैं। लेकिन जैसे ही हम दिल्ली के लुटियन जोन से बाहर जाते हैं तो बदहाली पाते हैं। क्या वहां मंत्री जी ने जाकर दिल्ली का हाल देखा है? आज आप बिजवासन, नजफगढ़, ककरौला या झड़ौदा चले जाइये, इन सब जगहों से ज्यादा अच्छी सड़कें आज आपको बिहार में देखने को मिलेंगी, जबकि दिल्ली में वैसी सड़कें नहीं है।

मैडम, मेरा आपके जरिये सरकार से अनुरोध है कि जो रीलोकेशन की जाती है, जो गरीब लोग झोंपड़-पट्टियों में रह रहे हैं, क्या उनके लिए उस स्कीम को आगे बढ़ाने की कोई योजना है?

दिल्ली के अंदर जो आबादी बढ़ रही है, क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली के अंदर जान-बूझ कर किसी योजना के तहत, इसके पीछे भ्रष्टाचार की कोई बू आती है। क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर डीडीए मकान नहीं बना रहा है और लोग दिल्ली में मकान न लेकर गाज़ियाबाद जा रहे हैं। नौएडा और गुड़गांव को बढ़ाने की बात हो रही है। दिल्ली के लोग ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण, मैट्रो से यात्रा करते हैं और वहां जाकर रहते है। जब आपने दिल्ली के किसानों से औने-पौने दामों में जमीन ली है तब भी दिल्ली के लोगों को मकान क्यों नसीब नहीं हैं? अनधिकृत कॉलोनियों के लिए आपने जो घोषणाएं की थी, क्या आप उनको पूरा करेंगे? दिल्ली के अंदर अनधिकृत कॉलोनियों को जो प्रमाण-पत्र बांटे गए हैं, क्या वे सही हैं?

दिल्ली के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर डीडीए ने एक विज्ञापन निकाला है। जिसमें बताया गया है कि डीडीए के 54 साल पूरे हो गए हैं और यह बताया है कि 54 साल में डीडीए ने 10 लाख 90 हजार 229 मकान बनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि डीडीए कम मकान क्यों बना रहा है? इसके पीछे कहीं आस-पास के बिल्डरों का दबाव तो नहीं है कि दिल्ली में वाल्यूम नहीं बढ़े ताकि लोग दूर जा कर बसने को मजबूर हों और दिल्ली इतनी मंहगी हो जाए कि आम आदमी दिल्ली में रहने का सपना भी न देख पाए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि गरीब लोगों के लिए आप जो प्लॉट देंगे उसके लिए कोई स्कीम लाने वाले हैं। फ़ारसी में यह कहा जाता था कि "हनोज़ दिल्ली दूर अस्त"। आज आम आदमी यह कह रहा है कि दिल्ली दूर अस्त। मतलब सौ साल के बाद भी दिल्ली दूर है। दिल्ली में काम करने वाले लोग यहां रह नहीं सकते हैं। वे बॉर्डर पार कर के बाहर जा कर रहते हैं। आप जो स्कीम ले कर आ रहे हैं, वह जल्दबाज़ी में न लाएं। विपक्ष की हमारी नेता ने आपको पहले ही कह दिया है कि आप जो बिल ले कर आएं हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि हड़बड़ी में इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यह सिर्फ अमीरों का शहर

बन कर न रह जाए। यहां आम आदमी और गरीबों के रहने के लिए जमीन मुहैया कराने की स्कीम को लागू करना चाहिए। जब मास्टर प्लान बना है तो आपके बयान के बाद उसका कोई मतलब नहीं है। आप पहले सीलिंग करवाते हैं, फिर सीलिंग को तुड़वाने के लिए संसद में आते हैं। उस मास्टर प्लान का मतलब क्या है? अनधिकृत कॉलोनियों के बनते वक्त आप कोई कदम नहीं उठाते हैं। जो अनधिकृत कॉलोनियां पास की गई हैं, उनको आज तक आपने इम्प्लिमेंट नहीं किया है। लोगों को यह यकीन हो गया है कि दिल्ली में सरकार तो कुछ नहीं करेगी, डीडीए कुछ करेगा नहीं इसलिए लोग खुद ही दिल्ली में मकान बनाते हैं क्योंकि सरकार अनुमति नहीं देती है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आज दिल्ली के सौ साल पूरे हो रहे हैं, तो मंत्री जी को दिल्ली के लोगों को तोहफ़ा देना चाहिए। यह कहना चाहिए कि हम दिल्ली के बारे में चिंता करेंगे। आप लोग पिछले 6 सालों से जो गफ़लत की नींद सो रहे हैं उससे जागेंगे और आम आदमी की पहुंच में दिल्ली होगी। इस बिल का समर्थन करते हुए फिर से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली के लोगों की चिंता कीजिए।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, हम दिल्ली के प्रतिनिधियों के लिए आज एक विशेष आनंद का दिन है। आज दिल्ली शहर को देश की राजधानी बने पूरे सौ वर्ष हो गए हैं। मैं आपको और पूरे सदन को धन्यवाद देता हूँ कि देश के नागरिकों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं एक बात जरूर दोहराना चाहूंगा कि जब सन् 2007 में दिल्ली का मास्टर प्लॉन बना था और उस समय एक बड़ी भयानक स्थिति दिल्ली में फैली हुई थी जब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से दिल्ली में सीलिंग और तोड़-फोड़ का एक मंजर चल रहा था। भारत सरकार जो दिल्ली की जमीन पर और उसकी प्लॉनिंग पर काबिज़ है, उसने दिल्ली के मास्टर प्लॉन को नोटिफाई किया था।

इस मास्टर प्लान के नोटिफाई होने के तुरन्त बाद, क्योंकि उस समय कई चीजें चल रही थीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे कहते हैं- इन इट्स विजडम, इस पूरे मास्टर प्लान को अपना लिया और कहा कि जब तक हम इस मास्टर प्लान को क्लियर नहीं करेंगे, दिल्ली में मास्टर प्लान का क्रियान्वयन नहीं होगा। पहला मुद्दा, जो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्री जी आप पांच या छह साल में रिवीजन करें, लेकिन यह जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या दिल्ली का मास्टर प्लान इस समय क्रियान्वित है या नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी नजर रखे है या नहीं और क्या सुप्रीम कोर्ट एक शहरी मास्टर प्लान को बनाने के लिए काम्पिटेंट है? इस मुद्दे पर हमें सफाई चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज से देश के पूरे शहरों का मास्टर प्लान बनायेगा तो अलग बात है, नहीं तो भारत सरकार का इसमें क्या रोल है?

महोदया, इसमें एक और अजीब चीज है, जब सीलिंग और डिमॉलिशन का नजरिया चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मानीटरिंग कमेटी बनायी। मानीटरिंग कमेटी इसलिए बनायी थी कि उसे तमाम अधिकारियों पर भरोसा नहीं था कि हम जो सीलिंग या डिमॉलिशन के ऑर्डर देंगे, ये उसे सही रूप में करेंगे। इसलिए तीन या चार लोगों को दिल्ली का बादशाह बना दिया गया। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान से सुनें कि शायद ही हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसे कोई बादशाह बने होंगे। ये तीन-चार मानीटरिंग कमेटी के ऐसे सदस्य हैं, जो अपने साथ अधिकारियों का हुजूम लेकर चाहे जिस भी कालोनी में चले जायें, जिस बिल्डिंग पर अंगुली उठाकर कह दें कि यह गलत है, अधिकारी कुछ भी कहते रह जायें, वह बिल्डिंग सील होगी या टूटेगी। मजे की बात यह है कि उसके बाद रोता-बिलखता वह इंसान उसी कमेटी के सामने जाकर कई बार गुजारिश करता है कि मेरी बिल्डिंग अनऑथराइज नहीं है, गलत नहीं है और अगर वे चाहते हैं तो उसे डी-सील कर देते हैं और चाहते हैं तो डी-सील नहीं करते। मैं सबसे पहला तो यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बिल्डिंग सील होने के बात डी-सील हो जाती है, 50 परसेंट

के करीब ऐसी बिल्डिंगे डी-सील हुई हैं तो किस रूल और किस पावर के अन्दर वही मानीटरिंग कमेटी पहले तो उसे सील करती है और डिमॉलिश करती है? ये तीन या चार लोग सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण के अन्दर इस पूरे प्रदेश में एक भय का माहौल बनाये हुए हैं।

महोदया, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कभी आप एमसीडी कमिश्नर से, डीडीए के वाइस चेयरमैन से और अन्य अधिकारियों से पूछिये कि किस बर्ताव से यह मानीटरिंग कमेटी दिल्ली में सील करती है और लोग रोते-बिलखते रह जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। मेरा पहला तो आपसे आग्रह यह है कि सरकार के पास जितनी भी ताकत हो सुप्रीम कोर्ट से बात करें, इस मानीटरिंग कमेटी के अस्तित्व को समाप्त करें, मास्टर प्लान के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहें कि अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं तो हमें दीजिये। आप उस क्षेत्र में घुसे हुए हैं, जिस क्षेत्र में आपकी काम्पिटेंट नहीं है और कम से कम भारत सरकार उस मास्टर प्लान को क्रियान्वित करे।

महोदया, एक और बात आती है, जिसे शाहनवाज जी ने अपनी बात में नहीं कहा, लेकिन अगर आज सौ साल हमारी राजधानी को हुए हैं तो सौ साल हमें पूरा राष्ट्र का दर्जा मिले हुए भी हो गये हैं, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, चाहे हमारी सरकार रही हो। यह इस संसद की या भारत सरकार की कुछ अजीब मंशा है कि बाकी राज्यों को तो आप ताकत देते चले जा रहे हैं, फाइनेंस कमीशन के दौर में देते चले जा रहे हैं, स्टेट्री ऑर्गनाइजेशन कमीशन बनाते रहते हैं, दिल्ली को जरा सा भी ज्यादा अधिकार देने में न जाने क्यूं यह संसद या भारत सरकार हिचकती है? यहां डीडीए है, जो यहां प्लानिंग करती है या घर बनाती है, वह दिल्ली सरकार के तहत नहीं है, यहां का लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के तहत नहीं है। आज शाहनवाज जी सड़कों के बारे में बात कर रहे थे, वे यह बात बताना भूल गये कि जिन चार इलाकों की सड़कें उन्होंने बतायीं थीं, वे एमसीडी की सड़कें हैं, जिस पर उनकी सरकार काबिज है और इसलिए वहां की सड़कों का यह हाल है, लेकिन वह बात अलग है, कई बार चीजें कन्वीनिएंस में भूल जाते हैं। अगर आपको सड़क भी बनानी हो तो सबसे पहले डीडीए से परमीशन लीजिये, डीडीए को दिल्ली में कोई इंट्रेस्ट नहीं है। जब तक आप यहां की महत्वपूर्ण या मूलभूत चीजों को यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों के अन्दर नहीं देते हैं तो किस तरह से आपको लगेगा कि एक राजधानी या एक राज्य अपने अंदर की चीज कर सके? सड़क आप बनाइये तो ट्रैफिक भारत सरकार के अन्दर है, स्लम्स की रीहैबिलिटेशन आपके पास है तो स्लम्स के लिए जमीन देना डीडीए के अन्दर है। यहां एक अजब सी व्यवस्था बना रखी है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, तीन या चार दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने भी जवाब देते हुए कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मसले पर हम आपस में चर्चा करेंगे।

महोदया, हमेशा यहां केवल एक आश्वासन रह जाता है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार ने पिछले सात-आठ साल में शायद कोई मीटिंग भी बुलाई होगी कि दिल्ली को किस तरह से राज्य का दर्जा दिया जाये? मैं सबसे आग्रह करूंगा क्योंकि इसमें सब बराबर है, जब आप लोग इधर थे तो आपने भी इसे गंभीरता से कंसीडर नहीं किया, हम लोग इधर आये तो हम लोग भी इसे गंभीरता से कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के नागरिकों को यह पता चल जाये कि वे आधे दर्जे के साथ आगे जिन्दगी जियेंगे तो उस हिसाब से हम उनके लिए इन्तजाम करें। ऐसा न हो तो यह पता चले कि कुछ तो दिल्ली के नागरिकों को अपनी सरकार चलाने के लिए व्यवस्था की जाये।

एक-दो छोटी-छोटी बातें, जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। एक खास बात अनएथोराइज्ड कॉलोनीज़ की शाहनवाज खां साहब ने बतायी है। शाहनवाज जी मैं आपको भी उसकी प्रक्रिया बता देता हूं।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): मैं खां नहीं हूं।

श्री सन्दीप दीक्षित : सॉरी-सॉरी।

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे संबोधित कीजिए, गलतियां नहीं होंगी।

श्री सन्दीप दीक्षित : मैडम, नाम में गलती हुई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

मैडम, दिल्ली में करीबन 15 सौ अनएथोराज्ड कालोनीज़ बनी हुई हैं। प्रक्रिया की गई और तीन साल पहले अनएथोराइज्ड कालोनीज़ को प्रोविजनल सर्टिफिकेशन दिया गया। यह इसलिए दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर था कि हमारी अनाधिकृत कालोनी में न सड़कें बन सकती हैं, न बिजली के कनैक्शन दिए जा सकते हैं, न सीवैज के कनैक्शन दिए जा सकते हैं और न पीने के पानी की सुविधा की जा सकती है। एक सिस्टम बनाया, जिसके तहत प्रोविजनल सर्टिफिकेशन दिए। नक्शे बुलवाए गए वहां के लोगों के द्वारा और उसके बाद उसमें से करीब 90 प्रतिशत, डेढ़-दो सौ कालोनियां छोड़कर बाकी सभी में पानी, बिजली, सीवैज की सुविधा करायी गई। आज जो प्रोसैस चल रहा है, इसको एथोराइज़ करने का, इसमें फाइनल प्रोसैस में जो रूल है कि दिल्ली की म्यूनिसिपल कार्पोरेशन उन कालोनियों की जो दिल्ली सरकार उसके पास भेजती है, उसका फाइनल नक्शा तैयार करके, वह दिल्ली सरकार को भेजेगी और व एथोराइज़ होंगे। शायद शाहनवाज जी को यह नहीं मालूम है कि नौ सौ कालोनीज़ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को भेज दी गई हैं और पिछले डेढ़ साल में इनके म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को टाइम मिला है केवल डेढ़ सौ का नक्शा पास करने का। अपनी सरकार को कह दीजिए 15 सौ के नक्शे पास कर दे, भारत सरकार उन 15 सौ कालोनियों को एथोराइज कर देगी। यह कहना कि भारत सरकार नहीं कर रही है। भारत सरकार

तैयार है। आपके लोग एमसीडी पर काबिज हैं। डेढ़ सौ की जगह 15 सौ कर दीजिए, कल सारी की सारी एथोराइज हो जाएंगी, कोई इसे नहीं रोक रहा है।

मैं आखिर में बात कहने से पहले अपनी एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत से सांसद यहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के सांसद यहां बैठे हैं। आपसे एक छोटी सी अपील है कि दिल्ली में बहुत सी जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। मेरा एरिया, यमुना पार का एरिया पहले मेरठ के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्ष 1947 के बाद उस एरिया को काटकर के, चाहे जो कारण रहा हो, दिल्ली से जोड़ दिया गया। यमुना जी और उसके आस-पास का जो तमाम इलाका था, क्योंकि दिल्ली छोटा राज्य था, एक यूनियन टैरीटरी थी, प्रबंधन के कारण यूपी इरीगेशन की बहुत सी जमीन यूपी सरकार को दे दी गई और उस पर काम चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अच्छे से यह लोग फ्लड का काम करते हैं। लेकिन आज उस हजारों हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता दिल्ली को अपनी जरूरतों के लिए है। हमें स्कूल्स बनाने हैं तो यूपी इरीगेशन की परमीशन लेनी पड़ती है। मेरा केवल आग्रह यह है कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार कई बार उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर चुकी है कि आप अपनी इरीगेशन की व्यवस्था से जुड़ी हुई जमीन का इस्तेमाल कर लें, बाकी की जमीन दिल्ली को हमारे काम के लिए हस्तांतरित कर दें। मैं कोई राजनैतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, इसको अन्यथा न लें। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम दो सौ एकड़ जमीन है, जिसे नोएडा एथॉरिटी ने जेपी को दे दिया है। जेपी की जगह उस जमीन को हमारे स्कूलों और अस्पतालों के लिए दें। मैं कोई वैसा कमेंट नहीं कर रहा हूं। कोई भी आपका कारण होगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please take your seat. Nothing else will go on record except the speech of Shri Sandeep Dikshit.

(Interruptions) ... *

श्री सन्दीप दीक्षित : यह तो हमारी जमीन है। दारा सिंह जी, इसमें आप क्या लेना चाहते हैं, आप जानो और भारत सरकार जाने। यह दिल्ली की जमीन है। हमारे स्कूलों और अस्पतालों के लिए जमीन है। हमारे पावर में वह जमीन पड़ती है।

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे संबोधित कीजिए। Nothing else will go on record except the speech of Shri Sandeep Dikshit.

---

* Not recorded

श्री सन्दीप दीक्षित : मैडम, मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि यह किसी एक सरकार की बात नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इस तरफ संबोधित कीजिए।

श्री सन्दीप दीक्षित : मैडम, जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार होती है, उसका यही रवैया होता है। हमारे यहां की जमीन है, यदि वह हमारे इस्तेमाल में आ जाए, नहीं आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बारे में भी मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो तमाम जमीन दिल्ली में पड़ी हैं, इसके लिए भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को बुलाए और किसी न किसी तरीके से इस मसले को हल करे। हमें जो जमीन की कमी पड़ रही है पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको इम्पलीमेंट करने के लिए हमें उम्मीद मिले।...(व्यवधान) मैडम, मैं पहले ही कह रहा था कि इसे अन्यथा न लें।

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे संबोधित कीजिए। Nothing else will go on record except the speech of Shri Sandeep Dikshit.

श्री सन्दीप दीक्षित : इन्हें जेपी के नाम पर कोई बात अन्यथा क्यों लग जाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा था, मैं तो केवल अपनी बात को दर्शाना चाह रहा था। यह दिल्ली की जमीन है, जो उसे मिलनी चाहिए।

मैडम, मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा और शाहनवाज जी मैं आपकी बात का समर्थन करना चाहूंगा। मैं अपनी बात जोरदार तरीके से शहरी विकास मंत्री जी से कहूंगा कि आपने जो यह डीडीए नाम का यहां जानवर खड़ा कर रखा है। मैं जानबूझकर यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। पूरे हिन्दुस्तान में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के अंदर ईडब्ल्यूएस के मकान बन रहे हैं। डीडीए से पूछ लीजिए, पिछले चार-पांच साल में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के अंदर ईडब्ल्यूएस का एक भी मकान डीडीए ने दिल्ली में नहीं बनाया है।

आप भारत सरकार से डी.डी.ए. को दिल्ली सरकार में भेजने की बात करें तो आपको हजारों एक्सक्यूज मिल जाते हैं कि यह क्यों नहीं हो सकता। वही डी.डी.ए. जो दिल्ली डेवलप्मेंट ऑथोरिटी है, आज मज़ाक में उसको दिल्ली डिस्ट्रक्शन ऑथोरिटी के नाम से जाना जाता है। शाहनवाज़ जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। डी.डी.ए. ने एक भी मकान नहीं बनाए। फिर भी डी.डी.ए. को भारत सरकार के अंदर रखने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं मालूम है। सारे कंस्ट्रक्शन को वह रोक कर रखता है। अगर आपको कोई जमीन चाहिए तो उसमें डी.डी.ए. को दिक्कत आती है। मैंने आज सबेरे पढ़ा कि मंत्री जी ने डी.डी.ए. से आग्रह किया कि उद्योगों के लिए जमीनें दीजिए। आप सरकार हैं। आप सरकार हैं कि डी.डी.ए.

सरकार है? आपको डी.डी.ए. से आग्रह नहीं करना चाहिए। आपको आदेश करना चाहिए कि अगर उद्योगों के लिए दिल्ली को जमीन की जरूरत है तो यह दी जाए। यह पूरी मानसिकता ही गलत है। जो चार अधिकारी डी.डी.ए. में बैठे हैं, और डी.डी.ए. का जो वाइस चेयरमैन है, क्या वह तय करेगा कि आपको उद्योगों के लिए जमीन चाहिए? फिर आप क्या करेंगे? आप दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के सिरमौर हैं। हम लोग दिल्ली से चुन कर आते हैं। डी.डी.ए. और ऐसी संस्थाओं की मानसिकता ही ऐसी हो गयी है कि दिल्ली पर कुण्डली मारकर ये लोग बैठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे संसद में हमें समर्थन मिलेगा क्योंकि दिल्ली किसी की नहीं है। यह पूरे हिन्दुस्तान की है और हम सब चाहते हैं कि इसका विकास बेहतर तरीके से हो।

महोदया, मैं शहरी विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे न केवल इस बिल को पास कराएं, बल्कि मास्टर प्लान को फाइनल करें। दिल्ली की जो व्यवस्था है इसको चलाने के लिए, जो भी सरकार आएगी, उसको इस व्यवस्था में बेहतर व्यवस्था चाहिए होगी। इसलिए आप दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोगों को ज्यादा अधिकार देने की बात को ज्यादा गंभीरता से सोचें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान) जैसा कि सर्वविदित है कि 12 दिसम्बर, 1911 को दिल्ली बनी। आज 12 दिसम्बर, 2011 हो गया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपके पीछे माननीय सदस्य क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार : दिल्ली को राजधानी बने एक सौ वर्ष पूरे होने के लिए मैं पूरे सदन सहित दिल्ली के सभी वासियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे सम्मानित मित्र शाहनवाज़ जी और संदीप दीक्षित जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है। जहां तक देखा गया है और यह कहा भी जाता है कि दिल्ली दिलवालों की है। दिल्ली किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। दिल्ली में बाहरी लोग आए। उन्होंने यहां का निर्माण किया, यहां की सुरक्षा का काम किया। अगर देखा जाए तो दिल्ली के निर्माण और सुरक्षा में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों ने दिल्ली के निर्माण और इसकी सुरक्षा को लेकर अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। अपना पूरा जीवन उन्होंने इसमें खपा दिया। कभी-कभी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोग जि यहां आते हैं तो उनको जब यह कहा जाता है कि ये लोग गंदगी पैदा करते हैं तो बड़ा अफ़सोस होता है। यह टिप्पणी हम लोगों को बहुत कलंकित करती है और इससे बहुत दुःख होता है। मैं चाहूंगा इस प्रकार की टिप्पणी आइन्दा से बिल्कुल बंद होनी चाहिए।

अभी एक और बिल आया था। वह एन.डी.एम.सी. का बिल था, उस समय भी मैंने यह कहा था कि माननीय मंत्री जी दिल्ली को थोड़ा न आँकें। इसे टेरिटोरियल यूनियन का दर्ज़ा न देकर अगर पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दे दीजिए तो मेरे ख्याल से दिल्ली का और विकास हो सकता है। मैं इसके लिए पुरजोर सिफारिश करता हूं।

अभी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास योजना की बात कही गयी है। दिल्ली तो ऐसे ही विकसित है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, लेकिन मेरे इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास योजना में आज तक पैसा बहुत धीमी गति से गया है। इलाहाबाद का हाल बहुत बुरा है। सीवर लाइनें वहां खोद दी गयीं और कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कुम्भ मेला आने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास योजना में जो पैसा आप अन्य जगहों पर दे रहे हैं, उसको समय से दीजिए ताकि वहां पर विकास हो सके।

दिल्ली को ल्यूटिएन्स जोन घोषित किया गया था। इसे अंग्रेजों ने बनाया था। इलाहाबाद ने देश को सात-सात प्रधानमंत्री दिए हैं। इसलिए वहां विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दिल्ली के ल्यूटिएन्स जोन के आप बाहर जाएंगे तो दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। वहां पर अनधिकृत कॉलोनियों के अलावा सीवर लाइन्स और सड़कों की व्यवस्था इतनी बदतर है कि वहां जाने का मन नहीं करता।

वहां तमाम लोगों के मित्र, सहयोगी, पड़ौसी एवं रिश्तेदार रहते हैं। हम वहां पर जाकर देखते हैं, मंत्री जी, वहां की हालत बहुत खराब है। जैसे आपका लुटियन जोन दिल्ली का है, उसी प्रकार से दिल्ली के आउटर साइड में एनसीआर की तमाम जगह हैं, उनका भी डेवलपमेंट करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शैलेन्द्र कुमार जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अभी जो आपने यमुना के किनारे कॉमन वेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के रूकने के लिए एक कालोनी बनाई है, उसकी आपने कोई व्यवस्था नहीं की। मैं चाहूंगा कि आप उसका अलॉटमेंट करें, हमारे बहुत से सम्मानित संसद सदस्य वहां फ्लेट लेने के लिए इच्छुक हैं। अगर वहां इन्हें सुविधा दे दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत उत्तम होगा।

इन्हीं बातों के साथ इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Thank you Madam Speaker. I would like to express my sincere gratitude for giving me an opportunity to speak on this Bill. With your permission, as a man coming from the extreme South, I would like to do a *salam* to Delhi during the Centenary Year of Delhi.

There is a joke about Delhi that Delhi is everybody's city, but a no man's land. People are coming to Delhi in search of job, to have a secure life and to earn daily bread for their family members. Madam, through you I would like to get a clarification from the hon. Minister as to whether we are shifting the goal post year by year or every five years. You know very well much better than any of us here that Delhi was a safe place to live. Living in Delhi was enjoyable. But it was some 30 years back. Now, we do not have water; we do not have habitation facilities. I am not saying anything about sewage facility. Not only the common man and the poor people, but even the Members of Parliament, who are sitting in this august House, suffer a lot. We are at the mercy of the bureaucrats of Delhi. Everybody knows about what corruption is when he comes to Delhi, lives in Delhi and works in Delhi.

MADAM SPEAKER: Please, be brief.

SHRI A. SAMPATH : I will take only two minutes. This is a very important Bill, but what I am saying is also very important.

We are all proud of the success of the Commonwealth Games. It has been a record that more than one million people have come from various States to find their jobs in Delhi. But, I would like to know whether the Government or the Departments concerned have any data regarding them – as to where they have come from, how many of them have gone back, where are they living? No data is there. It is all guesstimates. Just like guess work and estimates. Guessing plus estimates is equal to guesstimates. That is what is happening.

There have been allegations, if not criticisms, that under the pretext of helping the poor or those who are living in *jhuggies*, we are regularizing and helping the illegal construction done by large industrial houses, rich and affluent.

My humble request is that the law should not be beneficial only for the rich and affluent, but the Government has a duty to protect the poor.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI A. SAMPATH : We are all proud of the National Capital Territory of Delhi. We are proud of this Capital city. But, at the same time, we feel pity because even during this winter time we see hundreds of families along with their small children begging before us, without having any cloths and shelter.

We have a responsibility towards those people also. We have to answer those people because they are the people of this nation.

My humble opinion is that it is not because of the lack of laws, it is not because of the inefficiency of the laws, but because we are not at all interested in implementing those legislations or laws. Till now we are sleeping over the laws which have been made in this country. We are not looking at even the conventions of the International Labour Organisation (ILO) to which we are a party.

This is all what I have to say. I respect this law. I know the urgency of this legislation. I seek your help also in rectifying the anomalies in this Bill.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, आप मुझे कृपया अनुमति दीजिए कि मैं यहां से अपनी बात संक्षेप में रख सकूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जहां पर आपकी सीट है, वहीं से बोलिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : सीट खोजनी पड़ेगी, कहां गई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हां, वहीं जाइये। जहां सीट है, वहीं जाइये।

श्री विजय बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। ...(व्यवधान) मैं बोल रहा हूं, जरा सुनिये।

मैं आज नेशनल कैपीटल टैरीटरी ऑफ दिल्ली के बिल पर दो बातें बोलना चाहता हूं। करीब 40-50 साल से मैं दिल्ली आ रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट था तो यहां ख्रुश्चेव साहब और बुल्गानिन साहब आये थे, तब मैं पहली बार यहां प्रदर्शनी में आया था, तब से दिल्ली रोज खोदी जा रही है, रोज बनाई जा रही है। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहता हूं। अब रीसेंटली एम.सी.डी. और डी.डी.ए. में एक परमानेंट कोल्ड वार चल रही है और यह कोल्ड वार खत्म नहीं होगी। जब किसी की रैस्पोंसिबिलिटी होती है तो वह कहता है कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सैण्ट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। यह वालीबॉल और बास्केटबॉल कब तक चलेगी? इसका एक विराम और इसका एक एक्सपर्ट सोल्यूशन होना चाहिए।

दूसरी चीज़, अगर सही में विचार करें तो उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को 7-7 प्रधानमंत्री दिये हैं और जब हमने प्रधानमंत्री नहीं दिये तो पूरे देश की व्यवस्था गड़बड़ा गई तो फिर प्रधानमंत्री हम लोग देंगे, चाहे वह मेल हो, चाहे फीमेल हो। हम फिर प्रधानमंत्री देंगे।...(व्यवधान) मेरा कहना यह है कि जैसे...(व्यवधान) सुन लीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप विषय पर आइये और चेयर को सम्बोधित करके विषय पर बोलिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं। जब-जब यज्ञ होता है तो ... * विघ्न डालते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ये अनपार्लियामेंटरी वड्र्स निकाल दीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह : लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि 50 लाख से ज्यादा...(व्यवधान)

यह अनपार्लियामेंटरी वर्ड नहीं है, आप उसकी बैकग्राउंड देखिये।

अध्यक्ष महोदया: आप चेयर को सम्बोधित करिये और दिल्ली पर बोलिये।

---

* Not recorded

श्री विजय बहादुर सिंह : 50 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के निवासी यहां आते हैं और यहां रहते हैं। अगर आप सही में आकलन करें तो आपने उन्हें क्या दिया, उसमें बिहार के लोग भी हैं? कॉमनवैल्थ गेम्स में रातों-रात उनको भगा दिया गया। क्या कोई व्यापक योजना उनके रहने और ठहरने की बनाई गई? अगर आपको हमारी लैंड या उत्तर प्रदेश की लैंड से परेशानी है, आप उसको मैनेज नहीं करते तो उसे वापस दे दीजिए और अगर नहीं तो देख लीजिए कि इस समय दिल्ली में और एन.सी.आर. में नोएडा और ग्रेटर नोएडा is one of the best localities. हम लोग चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहां पर एयरपोर्ट बनने दीजिए, लेकिन कुछ राजनैतिक कारणों से वह ठंडे बस्ते में चला जा रहा है।

दूसरी चीज़ मैं यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत लोग आते हैं और वे यहां 10-10 साल से कार्य कर रहे हैं। उनको एस.सी. एस.टी का सर्टिफिकेट उनके जायज़ कागजों से भी आप नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह देश की राजधानी है तो उसी तरह उतार चित्त से इतना ट्रांसपेरेंट एक्ट बनाइये कि...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त करिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : जिससे कि दिल्ली में सही में पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो सके और अगर यह नहीं होगा तो एक समय आयेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आएंगे, वे अपना प्रधानमंत्री लाएंगे, तब दिल्ली की दशा ठीक होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात आपका समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I stand here to deliberate on this Bill which was introduced today which instantaneously we are discussing, and most probably will be passing it. The Bill clearly defines the 'National Capital Territory of Delhi', which was actually introduced keeping the cases in Supreme Court and High Court of Delhi in view. There were part-time or annual amendments that were made or were sanctioned by this House or by the other House, or both Houses of Parliament. Of course, you have mentioned about completion of 100 years, that is, from the11th of December, 1911, when the Durbar had taken place in this place. At that time, what I have read in newspapers was that it was Bengal's or Eastern India's loss and was Delhi's gain.

Today the general discussion throughout the country, especially in northern India is if Bihar grows, if Bihar develops, it will be the loss of the nation because whatever development has taken place either in Punjab, in Kashmir Valley, in Mumbai, or in Delhi is because of the expertise that Bihar exports. If Bihar develops, under Nitish Kumar's leadership and administration, then it will be a loss of the nation. These are the two contradictory views -- that whether Calcutta's loss was Delhi's gain, or whether the nation's loss is Bihar's gain. That is a different matter and a different topic which can be discussed later.

But here when Vijay Bahadur Singhji was searching for his seat, I am reminded at that time long years ago, in our Puranic ages, determining a Capital was also discussed by Vyasa Deva in *Mahabharata*. Hastinapur was the Capital of the Kauravas. But at one point of time, the Capital was shifted by the Pandavas after the division of that land. A barren land was given to the eastern part of *Yamuna*. That eastern part of *Yamuna* was later on developed to such an extent that it made a competition and became much more prosperous. That was called Varanavata. That was the cause of envy of the Kauravas including Dhuryodhan which ultimately led to the *Kurukshetra War*.

Today when I was listening to Mr. Vijay Bahadur Singh, he was referring to Noida, and Greater Noida. Here, the concept of 'city' has to be looked into. I

was going through the Statement of Objects and Reasons. ... (*Interruptions*) मैं हरियाणा की बात भी कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप चेयर को संबोधित करके बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): हम उनकी मदद कर रहे हैं, गुड़गांव भी है।

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए। Nothing else will go on record.

(Interruptions) ...[*]

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Today, we have to look into the urban areas. The more the urban areas grow, the more prosperous is the nation. Whichever country where the urban centres have grown, the prosperity is also made in that nation. In that respect, the urban areas have to grow but not at the cost of the rural areas. In that respect, equilibrium has to be established that the rural areas and the rural people who are dependent on rural economy should not feel divested of the support mechanism that is provided in a rural area. In that respect, I remember a very old story which I used to hear from my Grandmother.

According to that story "a city is like an old woman who always attracts younger people towards her". And city always attracts youth, attracts talent and those youth and talent are attracted from the rural areas. Today, the rural area is divested of youth force. It is all confined to the city and the city has to grow. But when the city is growing, adequate support mechanism should also be made and in this Bill, it is mentioned that you have a master plan upto 2021. Several IITs are also making surveys supported by the Government mechanism. Why cannot we have a master plan keeping twenty five years and another fifty years in view? We have Urban Renewal Mission which also looks after ten to fifteen years in view. So, keeping these twenty-five years in view, this Bill is comprehensive in the sense you are taking five years that is upto 2014 and you have master plan upto

[*] Not recorded

2021. Think of 2050 keeping thirty years in view so that you can know the areas which you are going to develop.

I remember twenty years ago, the then Urban Development Minister showed us some projects saying these will be the metro projects. At that time many media people also laughed whether this is going to be possible in our capital. But this was twenty or twenty five years back when the then Urban Development Minister had shown but today it has become a reality. So keeping another thirty years in view, the master plan has to be developed and accordingly all these aspects also need to be looked into.

I would like to understand from the Minister that why was this annual extension being made? There was no compulsion from the court as you have come today with three years that is upto 2014. Similarly, why can't we have a better law for consideration of farm houses, schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions where all these development are taking place and extension is also taking place.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would also like to know that encroachment is not only done by the slum dwellers, done by the *Jhuggi-jhopries* but also by many others. In Delhi whenever you go out, you can see encroachment is also being done by the land owners, the property owners of Delhi and that also needs to be looked into and adequate steps be taken to control this kind of encroachment which are being done by the rich, so-called rich or rich people of middle class and rich people who reside in Delhi. With these words, I support the Bill.

श्री लालू प्रसाद (सारण) : हम कोई खास तैयारी कर के नहीं आए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और यह पूजी हुई भूमि है। कृष्ण भगवान जी का महाभारत और छप्पन कोटि यदुवंशी-शक का युद्ध यहीं हुआ। दिल्ली में देश भर के लोग आते हैं। खास कर बिहारी और यूपी से लोग आते हैं तो भागो, भागो....। देश को बिहार और उत्तर प्रदेश ने क्या नहीं दिया है? देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डा. राजेन्द्र प्रसाद जी हुए। उत्तप्रदेश से देश को प्रधान मंत्री मिले। देश और अंतरराष्ट्रीय जगत के जितने होनहार लोग हैं, यहां हर तरह के लोग रहते हैं। दिल्ली में साधारण लोग नहीं रहते हैं जो देश का हवा बनाते हैं और बिगाड़ते हैं तो यह मामूली बात नहीं है। दिल्ली को सजाइए और बढ़िया से सजाइए। शीला दीक्षित जी ने महिला होते हुए प्रयास किया है। उन्होंने बिहारियों को यहां स्थान दिया है और वह स्वीकार कर रही हैं।

वे बिहार और उत्तर प्रदेश की अहमियत को स्वीकार कर रही हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाइए और देश के गांवों को छोड़ दीजिएगा, तो फिर बात अच्छी नहीं बनती। बिहार ने हमें देश के एक महान् नेता जगजीवन बाबू दिए। वे जिस भवन में रहते थे, जहां हम उनसे मिलने जाते थे, मैं इनका मन और मिजाज देखता हूं, सब लोगों ने लड़कर जो स्मारक बनाया है, ये उस मकान का किराया भी चार्ज करते हैं। यह बहुत गंदी, बुरी बात है, इसे खत्म करना चाहिए। इसे बिहार और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इन चीजों को मन और मिजाज से हटाइए।

दिल्ली में जितनी कालोनियों के बारे में बोला जा रहा है, एनडीएमसी आदि के बारे में माननीय सदस्यों ने जो बताया, यह सब मकड़ी जाल है। कैसे शोषण किया जाये, दोहन किया जाए, कैसे घूसखोरी की जाए। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एनडीएमसी और डीडीए को अन्ना जी के हवाले कर दिया जाए। वे इसके भ्रष्टाचार को देखें। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली सीमित नहीं है, यह गाजियाबाद से नोएडा तक चला गया है, फिर जयपुर तक चला जाएगा। इस समूची जगह का मिलान हो गया है। दिल्ली को विकसित करने के बारे में मुख्य मंत्री जी पर प्रैशर है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन बीजेपी वाले शीला दीक्षित जी को स्थिर नहीं रहने देना चाहते, समय-समय पर उपद्रव मचाते रहते हैं।...(व्यवधान) उन्हें काम करने देना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री लालू प्रसाद जी की बात के अलावा किसी भी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

---

* Not recorded

श्री लालू प्रसाद : जब बिहार और यूपी को दिल्ली में बैठे हुए लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं, तो वे यह भूल जाते हैं कि जिस दिन हम चारों तरफ खड़े हो जाएंगे, क्या तब बिजली आएगी। जो ट्रांसमिशन लाइन है, देश में सब जगह से बिजली आ रही है, लोग लिफ्ट में अप, डाउन हो रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, यह बिहार के गांवों के लिए पैदा नहीं हो रही है, दिल्ली के लिए हो रही है। सारी बिजली यहां आ रही है। ठीक है, यहां बिजली रहनी भी चाहिए। अगर बिजली नहीं रहेगी, और लोग लिफ्ट में फंसेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे।...(व्यवधान) दिल्लीवासियों को फुल-फ्लैज्ड, हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा काम यह है कि दिल्ली को फुल दर्जा दीजिए, पूरा इंतजाम कीजिए, क्योंकि जो हमारी मां यमुना है, वह कृष्ण के पैर को पखारने के लिए लालायित थी। आज हम लोगों ने यमुना की क्या हालत बनाकर रखी है।...(व्यवधान) पूरा नाला बनाकर रख दिया है। हजारों, करोड़ रुपये खर्च हुए। चाहे छठ कीजिए, हम मथुरा भी गए थे, हमने काफी अपवित्र करके रखा हुआ है। हमें सब काम छोड़कर यमुना की सफाई करनी चाहिए, मां यमुना को गंदगी से मुक्त करना चाहिए। वह अमृत जल है। गंगा के जल से दिल्ली को पीने का पानी मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव जी ने ठीक कहा कि गुड़गांव बढ़िया, डेकोरेटेड शहर बन रहा है, लेकिन नीचे पानी नहीं है। अंडरग्राउंड पानी खारा है। मंत्री जी, इस सारे इंतजाम में लगना चाहिए। आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रदेश बन रहा है। माननीय मायावती जी ने प्रपोज़ किया है। वह बनेगा या नहीं, हम सब समझते हैं। ...(व्यवधान) हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं। शीला जी के पुत्र अभी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी यहां तक सटा हुआ है। यूपी तो छाती पर चढ़ा हुआ है। यहां से लेकर बिहार तक चले जाइए। हम लोग ही हैं।...(व्यवधान) नेपाल को छोड़िए। किशनगंज से शुरू कीजिए, यूपी, बिहार दोनों में हम लोग एक दीवा में चढ़े हुए हैं।...(व्यवधान)

13.00 hrs.

मैडम, हम वही बात कर रहे हैं। अब मैं कनक्लूड कर रहा हूं। हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप पर प्रैशर है, इसलिए काम करने देना चाहिए। शीला दीक्षित जी काम भी कर रही हैं। निश्चित रूप से बिहारियों को, बिहार के हजारों-लाखों मजदूर, यूपी के मजदूर मारे-मारे फिरते हैं, उनके लिए शैल्टर, आवास, होस्टल्स, क्योंकि वहां से महिलाएं और पुरुष आते हैं, आदि का इंतजाम करना चाहिए। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल का इंतजाम और हर तरह की संस्था का इंतजाम करना चाहिए। यदि आगे से ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम युद्ध शुरू करेंगे। माननीय स्वर्गीय जगजीवन बाबू जी के नाम पर उन्हें डिमॉरलाइज करने के लिए आपने जो चार्ज किया है, उस समय के चार्जेज को तुरंत वापिस कीजिए, नहीं तो ...(व्यवधान) अगर नहीं हुआ तो आगे से हम एक भी बिल पास नहीं करने देंगे।

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): अध्यक्ष महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद करता हूं। मैं उनके सुझाव, विचार और टिप्पणियों का भी स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी चुनौती शहरीकरण की है। दिल्ली उसका सबसे मुख्य कारण है। दिल्ली में जो बढ़ती हुई आबादी है, केवल यही चिंता की बात नहीं है। परन्तु साथ-साथ देश की विभिन्न नगर पालिकाएं, नगर निगम, महा नगर निगम हैं, जो शहरीकरण की रफ्तार है, वह बढ़ती जा रही है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स मे देखें, तो नगर पालिका और नगर पंचायत में आबादी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे महानगर जैसे दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरू आदि में आबादी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में हमारी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर निगम और महा नगर निगम में आबादी बढ़ रही है। अब जैसा भी विकास हो, उस विकास के साथ कुछ बोझ भी आता है और सबसे बड़ा बोझ शहरीकरण का होता है। इसलिए केन्द्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम की योजना छः साल पहले स्वीकृत की थी। जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, उसे केन्द्र से सहायता मिले। राज्यों को उससे सहायता मिले, यह एक पहला प्रयास था। मैं स्वीकार करता हूं कि पहले प्रयास में कुछ कमी या खामी होगी, क्योंकि यह पहली दफा लागू की गयी थी। अब जो जेएनएनयूआरएम योजना है, उसका यह अंतिम साल है। हम जेएनएनयूआरएम-टू, उसके दूसरे भाग को लागू करने की एक योजना बना रहे हैं। आपके सुझाव हों, हमारे साथियों के सुझाव हों या राज्यों के सुझाव हों कि जो कमी या खामी है, उसमें कैसे परिवर्तन किया जाये और अपने देश के छोटे, बहुत छोटे, बड़े और बहुत बड़े शहरों को सुधारने का प्रयास किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय शाहनवाज हुसैन जी ने कहा कि मास्टर प्लान में कमी, खामी है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैंने ओपनली यह बात कही है, क्योंकि जब भी मास्टर प्लान बनता है, उसकी शुरुआत होती है, जब तक उसका समापन होता है, यानी मास्टर प्लान तैयार हो जाता है, वह बहुत पुराना हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह बहुत पुराना मास्टर प्लान है, इसलिए एक नये मास्टर प्लान की आवश्यकता है। इस दफा हमारा यह प्रयास है, इसलिए मैंने सदन से एक साल का समय न मांगकर तीन साल का समय मांगा है, ताकि एक सही मास्टर प्लान बने। ऐसा मास्टर प्लान जो सब कुछ सम्मिलित कर ले। आज आवश्यकता केवल दिल्ली के मुख्य जगहों की नहीं है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहां हमारे गल्ले के गोडाउन्स हैं। हमारी बहुत सारी वेयरहाउसिंग हैं चाहे वे केमिकल्स की हों या पेपर्स की हों। इसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाये, क्योंकि आज दिल्ली कोई कृषि क्षेत्र नहीं रहा। हम दिल्ली में बहुत सारी जमीन को देखकर कहते हैं कि यह एग्रीकल्चरल लैंड है। परन्तु यहां कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड है? आज राजधानी दिल्ली जो एक बहुत छोटा सा राज्य है, उसका एग्रीकल्चर के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी, जिक्र किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स का। माननीय सदस्यों को याद होगा कि एशियन गेम्स वर्ष 1982 में हुए थे, उस समय बहुत सारे मजदूर दिल्ली में काम करने के लिए आए थे, स्टेडियम बनाने के लिए आए थे, उनमें से 90 प्रतिशत वापस नहीं गए। झुग्गी-झोपड़ियां उस समय से दिल्ली में उत्पन्न होनी शुरू हुईं और आज तक, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, बहुत सारा लेबर जो आता है, बहुत से लोग जो काम करने जाते हैं, वे वापस नहीं जाते हैं। आज जो आर्थिक गतविधि है, सभी जगह मैगनेट आर्थिक गतिविधि होती है, जहां आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, वहां लोग पहुंचते हैं। आज हमारे छोटे-बड़े शहरों में जो बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि है, यह ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्राम पंचायत से, हमारे खेतों से लोगों को वहां विस्थापित करती है, तो यह बात केवल दिल्ली की नहीं है। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से चिंतित हैं और सहमत भी हैं कि इसका हमें कोई उपाय ढूंढना होगा।

जहां तक दिल्ली में अनअथराइज्ड कालोनीज के रेगुलराइजेशन की बात है, मैं सोचता हूं कि पूरे देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में दिल्ली ही एक शहर है जहां अनअथराइज्ड कालोनीज हैं, रेगुलराइज्ड अनअथराइज्ड कालोनीज हैं, अनरेगुलराइज्ड अनअथराइज्ड कालोनीज हैं, टू-बी-रेगुलराइज्ड अनअथराइज्ड कालोनीज हैं। इनकी सीमा बांधनी है। इनकी सीमा बांधना, इनको कैसे विस्थापित किया जाए, इनके लिए क्या उपाय ढूंढे जाएं अगर उसी जमीन में हमें उनके लिए आवास बनाने हैं, आवास योजना लानी है। अगर उस काम में दो साल का समय लगेगा, तो उस समय तक उनको कहां हटाया जाए। फिर जब हटाने की बात करते हैं, तो दूसरी जगह के लोग कोर्ट चले जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सी कठिनाइयां है। यह बात भी सच है, कुछ माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया, कि यहां अन्य एजेंसीज भी हैं - एमसीडी है, डीडीए है, दिल्ली सरकार है और डेल्ही अर्बन आर्ट्स कमीशन भी है। इन चार-पांच एजेंसीज में जिस प्रकार का समन्वय होना चाहिए, वैसा सही समन्वय नहीं बन पाता है, यह बात सही है। इसका भी प्रयास हो रहा है कि किस प्रकार इनमें कोऑर्डिनेशन किया जाए क्योंकि जब तक अनअथराइज्ड कालोनीज की सही सीमा नहीं बनेगी, काम पूरा नहीं हो सकता। मेरे पास बहुत से आवेदन आते हैं कि किसी अनअथराइज्ड कालोनीज की सीमा गलत बनी है, एक बार जब सीमा बन जाए और हम उसको एप्रूव कर दें, तो कुछ लोग रह जाएंगे और फिर से एक नई शुरूआत करनी पड़ेगी। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से इस प्रयास पर हम लगे हैं और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आवास योजना आज अमीरों की न हो, बल्कि सबसे गरीब वर्ग की हो, जो हमारे इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स हैं, उनकी हो। डीडीए ने लक्ष्य बनाया है और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि तीस हजार मकानों पर काम चल रहा है, तीस हजार और लिए जाने हैं। हम एक लाख मकान इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए बनाएंगे। ये भी कम रह जाएंगे,

इसलिए यह प्रयास किया जाएगा कि इसको एक लाख से बढ़ाकर दो लाख किया जाए। आज दिल्ली को राजधानी बने हुए 100 साल पूरे हुए हैं, अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली एक सुंदर नगर हो, सुंदर महानगर हो, तो जब तक इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए मकान नहीं बन पाएंगे, नई झुग्गी-झोपड़ियां और बनेंगी, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए डीडीए को मैंने निर्देश दिए हैं कि आप सब काम छोड़ दो, आप कोई बड़े मकान, एचआईजी या एमआईजी के चक्कर में मत पड़िए, डीडीए का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि किस प्रकार इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मकान बनाए जाएं। यही हमारा प्रयास है।

मास्टर प्लान के परिवर्तन की, संशोधन की शुरूआत हो गयी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक कमेटी है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? मास्टर प्लान डीडीए बनाती है, यह कभी-कभी ऑफिसेज में बन जाता है, जमीनी स्थिति उसमें नहीं आ पाती है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक समिति बनाई है और हमने डीडीए में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे वह सही बन पाए। मैं स्वागत करूंगा आप सभी माननीय सदस्यों का कि आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास भी दिल्ली के बहुत सारे लोग आते हैं, सुझाव लाते हैं, आप उनसे सुझाव मंगवाइए और वह सुझाव आप मुझे भेजिए। मैंने एक अपेक्स कमेटी बनाई है। जब डीडीए मास्टर प्लान बना लेती है, तब यह मंत्रालय के पास आता है और यह बात भी सही है कि मत्रांलय के पास इसे देखने का कोई तंत्र नहीं है कि यह सही है या नहीं।

इसलिए मैंने एक एपेक्स कमेटी बनाई है, जो इसकी फाइनल जांच करेगी। हम उस समय इसे इंटरनैट पर डालेंगे, ताकि लोग समझ सकें कि यह केवल आफिस में नहीं बनी है, खुलकर, आप सबकी भागीदारी से बनी है। सब लोग चाहते हैं कि छूट मिल जाए, इतनी छूट नहीं मिल सकती है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो सम्भव है, वह किया जाए।

जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या मास्टर प्लान लागू है या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि मास्टर प्लान के बारे मे सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है इसलिए कोई रोक नहीं है। आज के दिन में मास्टर प्लान लागू है। यहां पर मानिटरिंग कमेटी की बात भी हुई। इसकी कई शिकायतें मेरे पास भी आई हैं। मुझे विश्वास है कि सदन जब यह बिल पास करेगा तो जो यह समस्या है कि चार सदस्य मानिटरिंग कमेटी में आ जाएं और शिकायत करें कि यह गलत है या वह सही है, इस तरह भय का जो वातावरण दिल्ली में पैदा हुआ है, वह सदन की सहमति से और कानून से खत्म हो जाएगा तथा लोगों को राहत मिलेगी।

जहां तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है, इस पर कई जगह बातचीत हुई है। आप सबने जो इस बारे में सुझाव दिए हैं और विचार प्रकट किए हैं, मैं गृह मंत्री जी तक उन्हें पहुंचा दूंगा। इस

पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत साल पहले दिल्ली को राज्य का थोड़ा सा दर्जा दिया गया था।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): दिल्ली सुंदर बने, आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। लेकिन यह नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहां पर गंदगी, बदबू और उससे पैदा होती बहुत सी बीमारियां हैं। इसके लिए आपकी सरकार या दूसरी अन्य सरकार कोई भी नीति बना ले, हमने भी बनाई थी और काम शुरू किया था, लेकिन बात नहीं बनी। उसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। जो नालियों की गंदगी है उसके लिए आप एक सीवर लाइन बनाने और उसे गांवों में खेतों में डाल दें। वहां पर यह गंदगी जाए, एक तो उससे खेतों में खाद मिलेगी और दूसरे दिल्ली भी साफ और सुंदर रहेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह मेरा सुझाव नहीं है, बल्कि इस बात को डॉ. राम मनोहर लोडिया जी ने कहा था और मुझे इस बात का गर्व है। उन्होंने सुझाव दिया था कि हिन्दुस्तान के जितने शहर हैं, वहां की सीवर लाइनों को, शहर की गंदगी सहित इकट्ठा करके नालों द्वारा शहर से 10-12 किलोमीटर दूर जो गांव हैं, उनके खेतों में डाला जाए। इससे खेतों में खाद भी मिलेगी और अन्न भी ज्यादा पैदा होगा। इस तरह की अगर सरकार नीति बनाती है तो हम आपको बधाई देंगे और आपकी सरकार इस काम के लिए अमर हो जाएगी।

श्री कमल नाथ: मैं मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देता हूं उनके अच्छे सुझाव के लिए। इसे हम जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के दूसरे चरण में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार भी चाहती है और हमारा लक्ष्य है कि कचरा मुक्त भारत बनाया जाए। लक्ष्य होना तो ठीक है, लेकिन इसे कैसे किया जाए, इस पर हम विचार कर रहे हैं। आपका सुझाव अच्छा है कि शहर की गंदगी को सीवर के माध्यम से शहर के बाहर ले जाकर खेतों में डाला जाए।

एक माननीय सदस्य ने इलाहाबाद की बात की थी, लेकिन यह विषय दिल्ली का है। फिर भी मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह भी ठीक है कि वहां से इस देश को प्रधान मंत्री मिले हैं। यह भी सही है कि इलाहाबाद एक ऐतिहासिक शहर है और जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन में जो उनके सुझाव हैं, मैं उन पर विचार करूंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): रिव्यू कर लीजिए।

श्री कमल नाथ: मैं करूंगा। जहां तक कॉमनवैल्थ गेम्स के विलेज की बात है कि उसमें शेयर अलाट कर दें, उसमें कुछ परेशानी है, क्योंकि उसमें जो अतिरिक्त एरिया बनाया है, वह एक टावर में नहीं है, यह पूरे फुट प्रिंट में है। इसमें जितने फ्लैट्स हैं, उनमें पांच या सात, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, स्केवयर मीटर बड़ा है। एक टावर गलत है तो उसे सील कर सकते थे, लेकिन यह पूरा फुट प्रिंट है। इसकी हम उपराज्यपाल महोदय से चर्चा कर रहे हैं और अपने मंत्रालय में भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से बिल्डर को दंडित किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अलाटमेंट की बात मैंने कही थी।

श्री कमल नाथ: अलॉटमेंट पर हमने यह सोचा है कि हम पहले 100 फ्लैटों की मार्किट कीमत मिल जाए। आज के माहौल में अलॉटमेंट करना संभव नहीं है। पहले हम 100 फ्लैट ऑक्शन करेंगे और इसमें जो सही मार्किट वैल्यू है, वह सामने आ जाएगी। तब हम इसे शासकीय अधिकारियों को देंगे, अगर वित्त मंत्रालय चाहता है तो हम कहेंगे कि आप पैसे दे दो और ले जाओ। अगर गृह मंत्रालय चाहता है तो हम कहेंगे, पैसे दे दो और ले जाओ।

श्री शैलेन्द्र कुमार : एमपी लोग चाहते हैं।

श्री कमल नाथ: अब एमपीज के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है, अगर माननीय स्पीकर ऐसा आदेश देंगी तो इस पर आवश्यक रूप से सोचा जाएगा।...(व्यवधान) मैडम, आज परेशानी अलॉटमेंट की नहीं है, आज परेशानी यह है कि जिन्हें यह अलॉट हो गया, उन्हें पजैशन कैसे दिया जाए। जब उन्हें पजैशन दिया जाएगा, तो माननीय सदस्य के विचार पर सोच-विचार किया जाएगा। माननीय सम्पत जी ने कई सुझाव दिये हैं और एक जो चिट्ठी गयी थी कि there is no record.

सभापति महोदया : आपने कहा कि मुझ पर इस बात को छोड़ते हैं तो मैं यहां सम्मानित सदस्यों से कहना चाहती हूं कि इस विषय में हम आपसे और संबंधित विभाग से विचार-विमर्श कर लेंगे।

श्री कमल नाथ : अगर आपके ऐसे कोई आदेश आएं तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और मुझे मौका मिले, अपने साथियों की कुछ मदद इसमें हो जाए। माननीय सम्पत जी ने कहा था, he had said that there is no record kept of people coming in and out of Delhi. We do not keep any record of people coming from the country in and out of Delhi. This is being done in some other countries but we do not keep any such records. I do not think that it is desirable to keep such records also.

He had emphasised that the Plan is just not only made for the richer sections but for the weaker sections also. The focus of this Bill is on the weaker sections, unauthorised colonies, JJ colonies, rural parts, godowns, etc. They form 95 or 98 per cent of our population. So, the focus will have to remain there. माननीय विजय बहादुर सिंह जी ने एमसीडी और डीडीए में कोआर्डिनेशन बहुत कम है, के बारे में कहा था। मैंने इस बारे में जिक्र कर लिया है और मुझे विश्वास है कि एमसीडी और डीडीए के कोआर्डिनेशन में नये तरीके से गति आयेगी। माननीय महताब जी ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा की बात की और उनका यह भी आइडिया था कि the Master Plan must be of long-term. It must be for 25 years.

The Master Plan, which is made now, will have the vision of the next 25 or 30 years. A Master Plan has got to be visionary. It cannot be static. It cannot be taken into account because you make a Master Plan for the future and not for the past. अगर भविष्य के लिए यह मास्टर प्लान बनता है तो यह आज वर्तमान की स्थिति ही केवल नहीं देखेगा बल्कि भविष्य में कितनी आबादी बढ़ेगी और इसमें क्या-क्या हो सकता है और इसकी कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, ये अगले 25 साल को देखते हुए, उस दृष्टिकोण से मास्टर प्लान बनेगा।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के विचारों में बहुत वजन था और इन विचारों का ध्यान रखते हुए ही ये मास्टर प्लान का रिविजन करेंगे। मैं समझता हूं कि उनके ये सुझाव अगले एक-दो साल और आते रहेंगे ताकि एक अच्छा मास्टर प्लान बनाने में उनकी भी भागीदारी रहे।

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st Day of December, 2014 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Long Title were added to the Bill.

SHRI KAMAL NATH : I beg to move:

"That the Bill be passed."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, if the House agrees, we would skip the lunch hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

13.21 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will treated as lapsed.

(i) Need to exempt 'Jallikattu' from the purview of the Notification dated 11-7-2011 issued by the Ministry of Environment and Forests

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Jallikattu is the oldest ancient sports and festival being celebrated in Tamil Nadu since centuries ago and is beloved to our ancestors. The annual Jallikattu is very famous in Madurai, Alanganallur and other places. It is mostly celebrated during Pongal festival season. Jallikattu is considered as a bravery game (in Tamil, it is called as Veera Vilaiyattu) i.e. valour of Tamils are exposed in the game. The persons/tamers try to control the bull, chase it and hold on its hump for a few minutes and once the bull comes under his control, the respective person is declared winner. Some special award/cash prize is given to the winner. The bulls are not harassed, ill-treated or abused in the game. Jallikattu is also held as part of the religious ritual during the festivals in the temple. Bulls participating in the Jallikattu are registered with the State authorities and only with their prior permission, they are permitted. State Government gives full security and protection to this game in order to avoid any violence or untoward incidents. The Animal Welfare Board of India (AWBI) and Animal Welfare Activists' observers remain present when the event is held.

---

* Treated as laid on the Table

However, Ministry of Environment and Forests recently banned that Bears, Monkeys, Tigers, Panthers, Lions and Bulls could not be exhibited or trained as performing animals. Any attempt to ban the Jallikattu will be against the wishes and interests of the Tamil people and hurt their religious feelings and sentiments and they vehemently oppose inclusion of Bull in the Orders issued by the Union Government.

In this regard, it is to state that the Hon'ble Supreme Court by respecting the sentiments of crores of people of Tamil Nadu allowed holding the game by issuing some strict guidelines and there are scrupulously followed by the Organizers. This measure may protect the animals from any kind of torture.

Keeping in view of above, I humbly urge upon the Union Government to respect the sentiments of crores of Tamil population in the country, understand their traditional importance of this game and exempt 'Jallikattu' from the purview of Notification dated 11 July 2011 issued by the Ministry of Environment and Forests.

(ii) Need to ensure financial propriety in expenditure incurred on training of Government officers

SHRI PRADEEP MAJHI (NABARANGPUR): It is seen that almost all the Ministries and the Public Undertakings send their officers on foreign training programme and also on various other activities, despite the fact that quite a few officers are on the verge of their retirement or on the superannuation within next one year. This huge expenditure of the Government for the training of the officers goes wasted. The officers after getting this training become eligible for higher post in private companies. Whether this programme is for the benefit of the Government or to help the officers to get post retirement placement in private companies.

I, therefore, urge upon the Government not to send officers on the verge of their retirement for training from Public Undertakings and Ministries.

(iii) Need to include Rajasthani language in Eighth Schedule to the Constitution

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु कई दशकों से मांग की जा रही है एवं राजस्थान पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वैसे तो राजस्थान में कई भाषाएं बोली जाती हैं जैसे ब्रजभाषा, मालवी, धुध्धारी, मेवाड़ी, हदोती, वागड़ी, एवं शेखावती इत्यादि परंतु राजस्थानी भाषा को लोग अधिक संख्या में प्रयोग करते हैं । राजस्थान सरकार ने कई साल पूर्व राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा भी की है । राजस्थान में राजस्थानी भाषा में कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक साहित्यों की रचना हुई है और आम कार्यक्रमों एवं सामाजिक समारोहों में राजस्थानी भाषा को महत्व दिया जाता है । इस संबंध में भारतीय की स्थानीय भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु मानदंडों का पता लगाने हेतु श्री सीताकांत मोहपात्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन 2003 में हुआ और इस कमेटी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी । परंतु तब से अब तक इस पर राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु कोई विचार नहीं हो पाया है । खेद की बात है कि इस रिपोर्ट पर विचार कर कोई निर्णय लेने हेतु कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की है जिससे भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के कार्य में कई संशय एवं आशंका पैदा हो गई है ।

अत- अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को जल्द जनहित में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए । जिससे राजस्थान को राजस्थानी भाषा पर गर्व अनुभव हो सके ।

(iv) Need to follow the rules of reservation for appointment of SCs/STs in jobs of Supreme Court and High Courts

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): छत्तीसगढ़ प्रदेश में वहां के 16 जिला न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई है, जो सभी अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित है । उच्च न्यायालय ने इन जजों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, जिसे राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी । मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय ने इन जजों को हटाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा था, जिसमें न तो सेवानिवृत्ति का कारण भेजा गया और न ही इन सभी जजों का सर्विस रिकार्ड भेजा गया ।

मैं बताना चाहूंगा कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारी ग्रुप ए, बी, सी व डी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है । इसका प्रमुख कारण उच्च न्यायालयों में आरक्षण व्यवस्था का न होना है । देश के कुल 18 उच्च न्यायालयों में से 16 उच्च न्यायालय अलग-अलग तरीके से स्वयं के बनाए आरक्षण नियमों का पालन करते हैं । बाकी बचे दो उच्च न्यायालय दिल्ली और मुम्बई जो देश के सर्व प्रमुख हैं, ने पिछले 61 वर्षों से आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया है । आरक्षण को लेकर सभी उच्च न्यायालयों में असमानता व्याप्त है, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक इस विषय को मुख्य न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाया गया और न ही विधि एवे न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं । इन सभी से हटकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । सभी उच्च न्यायालयों के कर्मियों एवं जजों को दिए जाने वाला मानदेय भारत के कंसोलिडेटेड फंड से भुगतान किया जाता है । अतः सभी उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए ।

मैं माननीय न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कार्यवाही करें और न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण दिलवाने का कष्ट करें ।

(v) Need to release funds under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana to Haryana particularly for Faridabad Parliamentary Constituency for construction of roads

श्री अवतार सिंह भडाना (फ़रीदाबाद): केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को वर्षवार ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण हेतु धन का आवंटन किया जाता है, लेकिन हरियाणा राज्य में धन का आवंटन समय पर नहीं होने के कारण कई योजनाएं लंबित पड़ी हैं या पूर्व में जो योजनाएं चल रही हैं, उनका कार्य धनाभाव के कारण संतोषजनक नहीं चल रहा है । हरियाणा राज्य को पिछले दो-तीन वर्षों से इस योजना के अंतर्गत कोई भी धन आवंटन नहीं होने के कारण पूरे राज्य में और खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद में पिछले तीन वर्षों में आज तक एक भी किलोमीटर सड़क का भी निर्माण नहीं हो पाया है । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ आम जनता को धनाभाव के कारण नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों में भारी रोष है । मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि हरियाणा राज्य को पिछले तीन वर्षों का लंबित बजट का कोटा तुरंत जारी किया जाए ताकि हम जनहित में अपने निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करवा सके ।

(vi) Need to run Indore-Amritsar Express via Ujjain and also make provision for financial allocation in the forthcoming budget for Simhasth Mahakumbh in Ujjain

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में सिंहस्थ महाकुंभ वर्ष 2016 में होना निश्चित हुआ है । सिंहस्थ महाकुंभ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आने की संभावना है । महाकुंभ को सफल बनाने हेतु सरकार को अभी से काम शुरू करवाने की आवश्यकता है ।

उज्जैन रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने की घोषणा पूर्व रेल बजट में हो चुकी है लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कार्य अविलंब पूर्ण किया जाना चाहिए । प्रतिवर्ष अमृतसर से धार्मिक नगरी उज्जैन में लाखों श्रद्धालु आते हैं और अमृतसर से उज्जैन के लिए कोई ट्रेन नहीं है । अगर गाड़ी संख्या 19325/19326 इन्दौर-अमृतसर एक्सप्रेस को वाया उज्जैन होकर चलाया जाए तो अमृतसर का उज्जैन से सीधा जुड़ाव हो जाएगा इससे यात्रियों को काफी लाभ होगा ।

मेरा आग्रह है कि महाकुंभ हेतु जो भी राशि केन्द्र को आवंटित करनी है उसको इसी आगामी बजट में शामिल किया जाए ताकि समय से सभी प्रबंध हो सके ।

(vii) Need to provide opium licence (Patta) to farmers in Rajasthan

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Opium Policy is declared by the Union Government once a year. Since last few years, there has been no meeting of Union Government for the policy decision. During the year 2006-07, there was mass destruction of opium crop due to severe weather conditions and hail storm. But this year, when the policy was made, the farmers who lost their crop in year 2006-07, were not taken care of in the policy statement.

The Government needs to help needy opium growers whose crop was destroyed in the year 2006-07 to get the opium pattas for the following year as this year they were deprived of the pattas.

I, therefore, urge the Union Government to take a look at it and provide opium pattas to farmers.

(viii) Need to extend all possible help to the State Government of Gujarat in its efforts to minimize pollution level

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): देश में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण से हवा, पानी, जमीन तथा ध्वनि के प्रदूषण के खतरे बढ़ते जा रहे हैं । प्रदूषण विस्फोट, अणु विस्फोट से ज्यादा भयानक है । इसे अंकुश में लाना अत्यावश्यक है । गुजरात सरकार ने गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु ''रूर्बन मॉडेल'' का विकास कर रही है एवं पर्यावरण मित्र, प्रदूषण मुक्त औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत है ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि गुजरात सरकार के इन प्रयासों में हर प्रकार की सहायता करे ।

(ix) Need to transfer land belonging to Defence Department in Belgaum district, Karnataka to Belgaum district Authority to ensure smooth flow of traffic in the area

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): Belgaum City in the Karnataka State is fast developing city next to Bangalore. The increase in population has simultaneously increased the moving number of vehicles on the roads of Belgaum City. But a small building/room/stall which houses a Canteen, belonging to Defence Department, near the Ashoka Circle, the first circle towards entering Belgaum city, is a major stumbling block for otherwise smooth traffic movement in the city. The district Administration has been repeatedly requesting the Defence Department/authorities in Belgaum for its demolition and simultaneously handing over this small area or zone to the District Administration to acquire so as to ensure construction of large circle to enable free traffic movement. This canteen can be shifted to an alternate State Government land in near vicinity.

This matter is pending concurrence of the proposal submitted to Defence authorities in Belgaum. Therefore, I urge upon the Defence Ministry to direct the concerned Defence authorities in Belgaum for early transfer of this little piece of land to Belgaum District Authorities in the public interest.

(x) Need to convert N.H. 104 between Chakiya and Sheohar in Bihar into two-lane.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-104 के खंड चकिया से शिवहर के बीच 40 किलोमीटर का राजमार्ग दस वर्षों से सिंगल लेन का है और सिंगल लेन का राजमार्ग होने के कारण कई गंभीर दुर्घटनाएं समय-समय पर होती रहती है । उक्त राजमार्ग के इस खंड को छोड़कर बिहार के सभी राजमाग्र के दो लेन हेतु दोहरीकरण के कार्य को मंजूरी मिल गई है । इस मार्ग के बनने से पटना आने जाने के लिए काफी सुविधा मिल सकेगी । इस क्षेत्र में विकास संबंधी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है जिसमें सड़क की असुविधा भी एक बड़ा कारण है । मेरी निगाह में चकिया से शिवहर के बीच सड़क को हर लिहाज से चौड़ीकरण कर दो लेनों का करना अति आवश्यक हे एवं क्षेत्र के लोग आये दिन इस राजमार्ग सड़क की दयनीय एवं जर्जर हालत का उल्लेख करते हैं । एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 104 खंड चकिया जीरो से शिवहर के बीच 40 किलोमीटर की सड़कों को दो लेन का बनाकर चौड़ीकरण किया जाये ।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पिछड़े इलाके में अवस्थित 104 राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड चकिया से शिवहर के बीच दो लेन का राजमार्ग बनाकर चौड़ीकरण किया जाये जिससे इस खंड का यातायात सुगम ढंग से चल सके और इस राष्ट्रीय राजमार्ग के आस पास के पिछड़े इलाकों को विकास की राह मिल सके ।

(xi) Need to ensure adequate quantity of Fertilizers to farmers in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र में खाद की भारी कमी है । खेत बुवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं । खाद की उपलब्ध्ता न होने के कारण किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है तुरंत खादों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ।

अतः माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध् है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में तुरंत खादों की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

(xii) Need to ensure supply of adequate quantity of coal to thermal power units in Uttar Pradesh.

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की तापीय विद्युत परियोजनाओं की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं । जहां बहुत सी विद्युत परियोजनाएं कोयले की कमी के कारण अपनी क्षमता से कम विद्युत उत्पादन कर रही है तथ नयी परियोजनाएं कोयले के अभाव में शुरू नहीं हो रही है । महोदय, कोयले की कमी के कारण प्रदेश में विद्युत उत्पादन पर असर पड़ा है । यहां तक कि जो पूर्व में केन्द्र सरकार तथा कोयला कंपनियों से जो अनुबंध किये गये थे, सरकार की नयी नीति के कारण कोयले के आवंटन में कमी की जा रही है जो बिल्कुल ही अनुचित है । सरकार से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश को उसकी तापीय विद्युत परियोजनाओं एवं जनसंख्या के आधार पर कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये ।

(xiii) Need to develop Hogenakkal Falls in Dharmapuri district of Tamil Nadu as world class tourist destination

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Hogenakkal Falls is located in Dharmapuri district which comes under my Parliamentary Constituency. It is referred to as the Niagara water fall of India. With its fame for medicinal baths and boat rides, it is a major site of tourist attraction. Carbonate rocks in this site are considered to be the oldest of its kind in South Asia and one of the oldest in the world.

Hogenakkal waterfalls is a beautiful picnic spot with its water supposed to be having curative powers. Hogenakkal is set in thick, green woods and is considered both a sacred bathing place and a spa-like health resort. The boating at Hogenakkal is also considered to be one of the tourist attractions. The area is surrounded by hills and offers lovely panoramic view.

Although, this tourist spot is referred to as Niagara of India, yet it requires further development of infrastructure to make it truly a nationally and internationally important tourist destination. I am given to understand that the Government has identified and is identifying tourist destinations to undertake development of tourist destinations to world standard.

Therefore, I urge upon the Government to include Hogenakkal under this scheme and make Hogenakkal as a world class tourist destination and add Hogenakkal in all the tourism publicity campaign, so that the economic condition of this industrially backward district can also be improved.

(xiv) Need to develop and implement comprehensive police reform measures in the country

SHRI JAYANT CHAUDHARY (MATHURA): Police Reforms have been a subject of debate for the past 30 years, with more than half of our States still under the outdated Police Act, 1861. On September 22, 2006 the Supreme Court in a historic judgment instructed the Central and State Governments to comply seven directives that laid down practical mechanisms to kick-start police reform. Only 17 States have moved legislation based on the Model Police Act prepared by the Ministry of Home Affairs.

The NHRC reports that during the last 18 years, out of the 10,94,113 registered cases of human rights violations, Uttar Pradesh has the most reported violations with 6,22,635 complaints. The politicization of police is a major concern and allegations are regularly made that appointments and transfers of senior police officials are effected on political considerations.

Without autonomy, professionalism, accountability and improved conditions for the police force, we cannot expect the police in our county to do its job effectively. I request the Central Government to take suitable measures to modernize the police system in the States.

(xv) Need to allocate coal blocks for Kalisindh and Chhabra Thermal Power plants in Rajasthan.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून, 2007 में 2 X 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 एवं 2 एवं 2 X 250 मेगावाट छबड़ा सब-क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की अपूर्ति हेतु " परसा ईस्ट व केन्टे बासन " कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया । वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इन कोल ब्लॉक्स के " नो गो एरिया " में स्थित होने के कारण इसकी पर्यावरण स्वीकृति लंबं समय से अपेक्षित थी । केन्द्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय के इन ब्लॅक्स की पर्यावरण स्वीकृति को इस शर्त पर दी है कि इन कोल ब्लॉक्स से प्राप्त कोयले से सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित प्रोजेक्ट्स को कोयले की अपूर्ति की जायेगी । अतः इस कोल ब्लॉक से प्राप्त कोयले की अपूर्ति 2 X 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 व 2 एवं 2 X 250 मेगावाट छबड़ा सब- क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स के स्थान पर 2 X 660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 2 X 660 मेगावाट छबड़ा सुपर -किटिकल थर्मल प्रोजेक्ट्स को की जायेगी । अतः 2 X 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 व 2 एवं 2 X 250 मेगावाट छबड़ा सब- क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं है ।

राजस्थान सरकार ने 2 X 660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 2 X 660 मेगावाट छबड़ा सुपर - क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट्स एवं 12वीं योजना के अंतर्गत राज्य क्षेत्र सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति हेतु गो एरिया में स्थित तीन कोल ब्लॅक्स शेरबंद-बेसी एवं भालूमुण्डा, मांड रायगढ़ (छत्तीसगढ़) तथा पछवाड़ा साउथ, राजमहल (झारखंड) के आवंटन हेतु को कोयला मंत्रालय में आवेदन किया है । इन तीनों ब्लॅक्स के आवंटन से 2 X 660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 2 X 660 मेगावाट छबड़ा सुपर - क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट्स एवं 12वीं योजना के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की अपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी ।

राजस्थान सरकार ने फरवरी, 2009 में बांसवाड़ा में आई.पी.पी. के अंतर्गत (केस-2टैरिफ बेस्ड प्रतिस्पर्धात्मक निविदा) पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु स्वीकृति जारी की है । विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अगस्त, 2010 में इन प्रोजेक्ट्स को दीर्घावधि कोल लिंकेज की स्वीकृति हेतु कोयला मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भी प्रेषित कर दी है । बांसवाड़ा में स्थापित इस प्रोजेक्ट हेतु सभी आवश्यक स्वीकृतियां एवं निष्पादन संबंधी तैयारियां पूर्ण कर ली है, किंतु लांग टर्म कोल लिंकेज/कोल ब्लॉक के आवंटन के अभाव में पावर प्रोजेक्ट डेवलपर का चुनाव केस-2 टेरिफ बेस्ड प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के तहत नहीं

किया जा सका है । 12वी पंचवर्षीय योजना की विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले के लॉग टर्म लिंकेज के आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय की स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी (लॉग टर्म) की बैठके बुलाई जाये ।

राज्य क्षेत्र की सूरतगढ़ (यूनिट 7 एवं 8) छबड़ा (यूनिट 5 एवं 6) एवं बांसवाड़ा में आई.पी.पी. की पर्यावरण स्वीकृति के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन कर दिया गया है । केन्द्र उनकी पर्यावरण स्वीकृति जारी करे ।

अतः कोयला मंत्रालय से 2 X 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 एवं 2 एवं 2 X 250 मेगावाट छबड़ा सब- क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तीन कोल ब्लॉक्स आवंटित किए जायें । शेरबन्द-बेसी, मांड रायगढ़ (छत्तीसगढ़) भालूमुण्डा, मांड रायगढ़ (छत्तीसगढ़), पछवाड़ा साउथ, राजमहल (झारखंड), बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल आई.पी.पी. के लिए कोयले के लॉग टर्म लिंकेज का आवंटन किया जाये । केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय कोल ब्लॉक्स/सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स की पर्यावरण की स्वीकृति जारी करे ।

13.22 hrs.

(ii) LIFE INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2009

MADAM SPEAKER: Now, we will take up Item No.18

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam Speaker, on behalf of Shri Pranab Mukherjee, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Life Insurance Corporation Act, 1956, be taken into consideration."

The Basic objective of the LIC (Amendment) Bill, 2009 is to bring the LIC Act, 1956 in consonance with the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

The LIC (Amendment) Bill, 2009 was introduced in the 15th Lok Sabha on 31st July, 2009. It was referred to the Standing Committee on Finance (2009-10) for examination and report.

The Standing Committee presented its report to the Parliament on 12th March, 2010. Based on the report of the Standing Committee, the Government propose to introduce amendments to the LIC (Amendment) Bill, 2009.

13.22 hrs.

(Dr. M. Thambidurai ***in the Chair***)

The LIC (Amendment) Bill, 2009, *inter alia*, proposes to provide for raising minimum capital of the LIC from Rs. 5 crore to Rs. 100 crore to make it in consonance with the provisions under the Insurance Act, 1938, empower LIC to make regulations in respect of terms and conditions of the Agents and to enable

LIC to create a Reserve Fund to be utilized for expansion of LIC's business and implementing various social sector schemes.

As regards this Bill, the Government have accepted almost all the major recommendations of the Committee including maintaining the sovereign guarantee to the LIC policies, enable LIC to raise other forms of capital for meeting their working capital requirements, allow LIC to retain the powers of opening new branches while following the broad guidelines etc.

I would like to further elaborate that the amendment, as proposed on page 2, line 19, regarding the extent of Government guarantee has been dropped as per the recommendation of the Standing Committee.

The original Section 37 regarding policies to be guaranteed by the Central Government remains as it is, that is, the sovereign guarantee will continue. In addition, a proviso has been added advising LIC to maximize returns on funds for the benefits of the policy holders. This is in accordance with the advice of the Standing Committee. However, recommendations of the Standing Committee under Clause 5 pertaining to the distribution of valuation surplus could not be accepted because provisions should be kept in accordance with the provisions of Section 49 of the Insurance Act, 1938 which is applicable to all the insurance companies in the country. This would also allow Life Insurance business expansion, strengthen solvency margins and help in fulfilling corporate social responsibility.

The operation of this amendment will be with the prospective effect and will be applicable to new policies from the date of notification. Further, in Clauses 8 and 9 (i), it is proposed to shift framing of rules with respect to terms and conditions of agents by the Central Government and empowering LIC to frame regulations with the previous approval of the Central Government. These amendments would give flexibility to LIC to take care of the professional training needs of the agents and their welfare which is in line with the spirit of the recommendations of the Standing Committee.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Life Insurance Corporation Act, 1956, be taken into consideration."

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): Sir, at the outset I would like to thank you for giving me this opportunity to express my views on the Life Insurance Corporation (Amendment) Bill, 2009, a Bill further to amend the Life Insurance Act, 1956. I would also like to thank my party for giving me this opportunity to express my views and debate on this Bill.

Sir, before going into the crux of the Bill, I would like to throw some light on the insurance sector and how it came into existence in this country after Independence. Before Independence there were about 200 private companies which operated in the insurance sector but after nationalization in 1956, the Life Insurance Corporation was formed in this country. LIC started with a working capital of Rs. 5 crore from the Central Government and now this has grown into a robust institution with a surplus fund of Rs.7,00,000 crore having a solvency margin of more than Rs. 40,000 crore. This has become possible because the Government had provided for some sovereign guarantee to this institution. The hon. Finance Minister in his initial remarks said that the sovereign guarantee of this institution has been retained. It has not been evoked. The view of our party is that the sovereign guarantee should not ever be removed because the policy holders of LIC is more than 26 crore and there are about 13.5 lakh agents and about 1.25 lakh employees working in this organization. So, removal of the sovereign guarantee will adversely affect the growth of the LIC which has a social role in the development of the economy. It has so far played a very important role in the growth of our country.

So, according to me, LIC should be viewed in the context of the social role that it plays and the social obligation it fulfils. Also, the Government should keep in mind the faith and trust which was the driving force for the growth of the Life Insurance Corporation of India. So, it should not just be viewed as an national institution but should be viewed as an institution of national integrity and its symbol should be viewed as a symbol of security for the people.

Sir, so my request to the hon. Finance Minister, through you, would be that the LIC of India should not be compared or equated with the private players who have entered into the fray of insurance after the amendment of the IRDA Act in 1999.

So, due to social obligations and social endeavours, the LIC is doing it and hence, 26 crore people are holding the policies. As you all know, *Aam Aadmi Jeevan Bima* Insurance Policy has been started by the LIC in 2007. The hon. Finance Minister of this country has inaugurated this policy in Shimla. This *Aam Aadmi Jeevan Bima* is giving insurance to households which are having no land. Under this policy, around 1.3 crore people have been benefited and the growth is going to be exponential in rural areas for which the local State Governments and the Government of India are providing the premium. In view of the social endeavour which the organisation is taking up, I would request the Government not to ever curtail the present status. On these aspects, I want to express my points of view which are covered in the Bill.

Firstly, I will speak on Section 2 of the Bill which deals with the capital of the Corporation.

> "The paid-up equity capital of the Corporation shall be one hundred crores of rupees provided by the Central Government after due appropriation made by Parliament by law for the purpose and which may be enhanced to such an amount as the Central Government may, by notification, determine."

This is only unwarranted. As I said earlier, the Corporation has a solvency margin of more than Rs. 40,000 crore and IRDA says that any insurance company has to provide solvency margin in line with the size of its business. I think that it is only unwarranted. On the face of it, any increase in the capital has to be welcome. But this increase in capital is being proposed in the background of the Malhotra Committee recommendations for disinvestment of LIC. Here, the move of the Government raises several other issues like primarily giving a signal that

sometimes the Government may offload a part of its share to the private sector, be it Indian or foreign. This is proved by merely substituting it by a notification and by doing this, the Government is taking away the sovereignty and supremacy of Parliament.

Therefore, I would request the hon. Minister to confine the amount to only Rs. 100 crore. Any further increase or rise in the capital in excess of Rs. 100 crore, if and when required, may be provided by the Central Government through appropriation made by Parliament and by moving an amendment to this effect in principal Act governing LIC. So, I urge upon the Government to confine this limit to only Rs. 100 crore and suitable amendments should be made in this Bill.

Coming to Section 18 of the principal Act, sub-Section 4 has been removed. This point is regarding the opening of branches. Once again, the rationale on which the Government has been acting is as per enactment of the IRDA which says that all insurance companies should have a level-playing field. The permission to open up new branches was confined only to LIC. Now, after the enactment of the IRDA, the power will go to IRDA as regards the opening up of branches.

As I said earlier, its social endeavour and vast rural growth which it has made in the country should be taken into account. The number of customers as of now is around 26 crores and it is likely to reach the mark of 50 crores in the next five to six years. So, there is an immediate need for increasing the number of zonal offices and also opening more number of branches in the rural areas.

Hence, omission of sub-section 4 will lead to more delays and confusion in monitoring the Government machinery for sanction of new branches and small offices. So, I would like to say that sub-Sections 2 and 3 should be considered for suitable amendments and omission of sub-Section 4 should be considered for dropping off.

Here also, the power is being taken away and the Act does not say about any alternate as to whom it should go. This sort of clarity should be there in the Bill. I do not find merits in the proposed amendments and in future, this might have a negative effect in limiting the branch expansion of the LIC.

Coming to Section 28 of the principal Act, it deals with the surplus from the insurance business and how it should be utilized. As regards this, I heard the hon. Minister saying that it has not been removed. I want a clarification on this point as to whether it has been brought to 90 from 95. I would like to be clarified on that.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I said in my opening remarks that the recommendations of the Standing Committee of clause 5 pertaining to distribution of valuation surplus could not be accepted because the provision should be kept in accordance with the provisions of Section 49 of the Insurance Act, 1939, which is applicable to all the insurance companies in the country. It means it was 95:5. Now we are bringing it to 90:10. But, again I would like to clarify that the operation of this amendment will be with prospective effect and will be applicable for the new policies from the date of notification. It means all other companies are having 90:10 and we want to bring the LIC on the same pattern.

SHRI SHIVKUMAR UDASI : Thank you for your intervention.

Basically what is happening is that the 26 crores policy holders have bought the policy under the impression that the surplus dividend will be given on the basis of 95 per cent as per the Principal Act. Now, you are making it 90 per cent with prospective effect. From 1999 to this date, 23 companies have entered the market. In spite of your sovereign guarantee, in spite of your 95 per cent surplus dividend sharing – now you are going to have it on par with other private players – the market share of the LIC has eroded from 35 per cent and it has gone to the private players. In the policy selling they have lost around 29 per cent, without this Bill coming into effect. If you do this now, most of the people will go to private players, whereby you are demoralizing a Government organization like the LIC,

which is having a social responsibility. You are demoralizing the institution. I urge upon the Government to have 95 per cent for the prospective buyers also. This is our Party's view. You please consider this because the Standing Committee has also recommended the same to you.

Then, I am coming to Section 37 of the Bill. It is said that for the words "by the Central Government" the words "to the extent as the Central Government may by order from time to time determine " shall be substituted. The hon. Minister has already stated that in his opening remarks the sovereign guarantee will be retained. So, I am not opposing this because the Standing Committee and other stakeholders, like the employees of the LIC, had asked for it. I congratulate the Government for retaining the sovereign guarantee. Otherwise, it would have hampered the growth of the LIC.

Now, I come to last two Sections of the Amendment Bill, Sections 48 and 49 dealing with powers to make rules and regulations. In this, the licensing and regulation of the service conditions of the entire population of agents would be under the purview of the IRDA. The LIC agents, in particular, is a large self-employed group who have been instrumental in propagating the importance of life insurance as a means of social security. When I was a child, I used to see that whenever an LIC agent used to come to my place in the village, he used to sell that policy, not as a risk-oriented business, but as a social security device. He would tell the policy holders to have the policy as a retirement plan, etc. So, curbing the powers of the agents who are basically from the rural areas, by amending this Section, will affect their livelihood. So, I am of the view that it would be preferable to continue with the existing legal provision relating to terms and conditions of the LIC agents because they are mainly in the rural areas. You have to see that their livelihood is not affected.

With this I conclude my speech and I would request the hon. Minister, through you, to consider our Party's views on this Bill and accordingly pass it.

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मैं जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर लगभग 1000 बीसी से चला आ रहा है। उस वक्त कम्युनिटी इंश्योरेंस के माध्यम से आर्यन लोग अपने राज्य में इंश्योरेंस करते थे। वर्ष 1818 में पहली लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी भारत में शुरू हुई थी। वर्ष 1870 के अन्दर पहली भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी बॉम्बे म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसायटी बनी थी। वर्ष 1947 के अन्दर लगभग 245 लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एवं विदेशी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होकर इसी पार्लियामेंट के माध्यम से बिल बनकर और उनके रेग्युलेशंस बनकर और पांच करोड़ रूपये के कैपिटल से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शुरूआत हुई थी। आज इस बिल के अन्दर उन पांच करोड़ रूपये की जगह सौ करोड़ रूपये का जो पेड-अप इक्विटी कैपिटल का प्रावधान है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शिव कुमार उदासी जी ने बोला था कि वह पार्लियामेंट के अन्दर वापस नहीं आयेंगे अगर उसमें सरकार की तरफ से नोटीफिकेशन रहते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि नोटीफिकेशन के बावजूद भी सभी बजट के अन्दर या डिमांड ऑफ ग्रांट्स के माध्यम से जो भी बढ़ाया जायेगा तो इस सदन के अन्दर हर बार हम लोगों को सूचित किया जायेगा, हम लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। अगर यह पेड-अप इक्विटी सौ करोड़ से ज्यादा भी नोटीफिकेशन के बावजूद आयेगी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अलावा बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ इस देश के अन्दर ऑपरेट हो रही हैं, उनकी भी पेड-अप कैपिटल सौ करोड़ रूपये ही है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी उस लेवल-प्ले के अंदर मौका दिया जाये, यही लॉ आफ दी लैंड के कारण जस्टीफाइड किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक बहुत सुनहरा इतिहास रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के उस सुनहरे इतिहास के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वह पॉलिसी होल्डर का है। जिनके विश्वास के कारण लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का यह बहुत बड़ा इतिहास रहा है। आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। लगभग 13 लाख 17 हजार 416 करोड़ रूपये के करीब इनकी आज की ऐसेट्स बेस है।

महोदय, इसके अन्दर उन एजेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, वे प्रत्येक पॉलिसी होल्डर में एक विश्वास, एक कड़ी बनाते हैं, जिनके माध्यम से वे पॉलिसी होल्डर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की उन पॉलिसीज़ से जड़ते हैं। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन के कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें एजेंट्स के बारे में, उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। जो उनका कमीशन हम पिछले सात साल से घटाते जा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि उन एजेंट्स के कमीशन के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इस बिल के अन्दर एलआईसी के लाभ

में से 95 परसेंट की जगह 90 प्रतिशत तक शेयर होल्डर को दिये जाने का प्रावधान है। 5 प्रतिशत जो एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन को मिलेगा, वह उस संस्था के सशक्तिकरण के लिए होगा और उससे बड़ा जो रिस्क कवरेज उस संस्था के लिए होगा। चूंकि आज के समय में हम लोगों ने देखा है, पहले यूरोपियन मंदी के कारण बड़े से बड़े इंश्योरेंस सेक्टर के अन्दर, आज पूरी दुनिया के अन्दर सबसे बड़ा एआईजी इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है, उसे भी आखिरकार यू.एस. गवर्नमेंट ने आर्थिक मदद की। वह 5 प्रतिशत जो बफर होगा, वह इंश्योरेंस कंपनी के लिए, एलआईसी के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छा रहेगा और भविष्य के अन्दर रिस्क कवरेज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो शत-प्रतिशत गारंटी भारत सरकार की तरफ से एलआईसी को दी हुई है, एलआईसी ने कभी भी उसका उपयोग नहीं किया।

बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय में भी, भूकम्प और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा के समय में भी, जब बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें पॉलिसी होल्डर को कम्पनसैशन देना पड़ा। उसके लिए भी उसका उपयोग नहीं लिया। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वह प्रावधान जिसमें शत-प्रतिशत भारत सरकार की तरफ से पॉलिसी होल्डर को गारंटी देने का था, उसको उन्होंने विड्रा किया है, उस विड्रा करने के पीछे जो मंशा रही है कि भारत सरकार के प्रति पॉलिसी होल्डर का विश्वास बरकरार रहेगा। इस बिल में एलआईसी की शाखा बढ़ाने का अधिकार इरडा को दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि शायद विश्व में सबसे अच्छे रेगूलेटर्स कहीं हैं तो भारत के अंदर हैं। हमने आर्थिक मंदी के समय में भी देखा बैंकिग सेक्टर के अंदर भी हिन्दुस्तान के अच्छे रेगूलेटर्स के कारण ही हिन्दुस्तान के बैंकों की विश्वसनीयता को मंदी से उबारने में सबसे बड़ा योगदान रेगूलेटर्स का रहा है। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर में ईरडा के माध्यम से भारत के अंदर दूसरी सभी बीमा कम्पनियों के लिए हैं, वैसे के वैसे एलआईसी के लिए भी होंगे। आज बैंकों में हमारी शाखा खोलने का प्रावधान रेगूलेटर्स के पास है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंकों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्र तक है। यह जो सराहनीय काम भारत सरकार ने किया है, उसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इंश्योरैंस सेक्टर में लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या इंश्योरेंस से जुड़ी है। आज हिन्दुस्तान में इंश्योरेंस की ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। हमें इस सेक्टर के लिए आने वाले समय में मजबूती से काम करना चाहिए। एक अच्छे बिल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तानी लाइफ इंश्योरेंस करवा सकें, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए।

महोदय, मैं आज इस मौके पर वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान और मजदूर हैं। विशेषकर अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर की लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आज किसी देश और समाज का

विकास कहीं से होगा तो वह किसान और मजदूर के माध्यम से होगा। आज देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसान और मजदूर की है। अगर इस देश में 9 प्रतिशत तक की ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, देश को महाशक्ति बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसान और मजदूर का होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसान और मजदूर की लाइफ इंश्योरेंस के लिए किसी न किसी प्रकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कृषि बीमा के संबंध में भी इस मौके पर बोलना चाहता हूं कि कृषि बीमा के तहत कृषक को कुछ छूट देनी चाहिए कि यदि वह मौसम आधारित बीमा करवाना चाहे तो करवाए और क्रॉप कटिंग के आधार पर कराना चाहे तो करवाए। आज किसान क्रेडिट कार्ड का किसानों को किस प्रकार से फायदा मिल रहा है, इस बारे में मैंने दो दफा सदन में मंत्री जी से आग्रह किया था। आज मैं तीसरी दफा भी आग्रह करता हूं कि केसीसी के तहत किसान को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके लिए भी आप प्राथमिकता से सोचें। आने वाले समय में एलआईसी एक अच्छा इतिहास रचे। इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी के एजेंट, पॉलिसी होल्डर और उसके कर्मचारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे काम हो सकता है, उनकी मजबूती कैसे हो सकती है, वैसे ही फैसले भारत सरकार की तरफ से होंगे, इसकी आशा मैं भारत सरकार से करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो 21 प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने देश में जीवन बीमा कारोबार का संव्यवहार प्रारंभ किया है और इस बिल में यह भी प्रावधान है कि न्यूनतम पूंजी को पांच करोड़ रूपए से बढ़ाकर एक अरब रूपए करने का उपबंधन रखा गया है। अगर रकम बढ़ाई जाएगी तो केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा होगी।

सभापति महोदय, अगर देखा जाए तो बीमारी हो या प्रसूति या नियोजन, क्षति की दशा में कर्मचारियों को सुविधाएं देने का प्रबंधन इस बिल में किया गया है और राज्य सहकारी सोसायटियों के संवर्द्धन का भी समावेश किया गया है। धारा 37 में पांच वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष किया गया, निरीक्षक की जगह सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बीमाकृत व्यक्ति के स्थान पर कर्मचारी शब्द रखा गया है। दिनांक 15.06.2008 तक 1.25 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं जबकि इस वक्त 54 लाख के ऊपर जारी किए जा चुके हैं। आश्रितों को प्रसुविधाएं देने के प्रयोजन के लिए आयु सीमा विद्यमान अठारह वर्ष से बढ़ाकर इक्कीस वर्ष किया गया है। वर्ष 2010 के दौरान तेरह प्रतिशत से बढ़ाकर 186285 करोड़ रूपया पहुंचा। पिछले वर्ष यह 164399 करोड़ रूपया था। कर्मचारियों की संख्या घटकर दो करोड़ 49 लाख 635 कर दिए गए हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी सहित निजी क्षेत्रों की 22 कंपनियां जीवन बीमा पॉलिसियां बेचती हैं। रिलायंस लाइफ और एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ सहित निजी क्षेत्र की कंपनियां भी पूंजी बाजार में उतरना चाहती है। इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बीमा एकाउंट ए और बीमा एकाउंट बी, दोनों योजनाओं को एल.आई.सी. निवेशकों को छः प्रतिशत गारंटी रिटर्न देगी।

सभापति जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो गरीब हैं, खासकर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं या बहुत गरीब हैं, जो बीमा पॉलिसी देने में असमर्थ हैं, उनके जीवन की गारंटी लेने वाली इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। गरीबों के लिए एक योजना चलायी गयी थी। उसमें बहुत-सी सोसायटीज या बहुत-से एनजीओज हैं, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से अभी सही मायने में नहीं आ पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि असंगठित क्षेत्र के जो गरीब, खेतिहर मजदूर, श्रमिक हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो कि सूक्ष्म धनराशि लेने के बाद उनकी जीवन पॉलिसी या कार्यकाल के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है तो उस पर उनको धनराशि मिल जाए। यदि उनकी मृत्यु होती है तो पर्याप्त धनराशि न मिलने के कारण असंगठित क्षेत्र के तमाम ऐसे मजदूर और श्रमिक हैं जिनका परिवार भुखमरी के कग़ार पर आ जाता है, भीख मांगने लगता है। यही नहीं, उनके परिवार में तमाम इस प्रकार के अनैतिक कार्यों के कारण उनका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से संगठित क्षेत्रों के लिए जीवन

बीमा की धनराशि और पॉलिसी फिक्स की गयी है, उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र, जिनका कोई पुरसाहाल नहीं, ऐसे लोग जो गरीब हैं, उनके लिए कोई कार्य योजना बने ताकि उनको पूरी तरह से लाभ मिले। मैं ज्यादा कुछ न कहकर इस विधेयक का पुरज़ोर समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे जीवन से जुड़े बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक 14वीं लोक सभा में भी पास होने के लिए आया था, लेकिन लोक सभा के स्थगित हो जाने के कारण यह विधेयक पास नहीं हो सका। आज सवा सौ करोड़ के भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम की न्यूनतम पूंजी पांच करोड़ से बढ़ा कर एक अरब रुपए करना आवश्यक है। जब से जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश में 21 प्राइवेट सैक्टर की कम्पनियां भी कार्यरत हैं।

सभापति महोदय, राष्ट्रीयकरण के बाद जीवन बीमा कम्पनियों के साथ-साथ बहुत सी ऐसी कम्पनियों की बाढ़ आ गई, जिसमें देश के बहुत से गरीबों ने अपना पैसा लगाया। वे कम्पनियां किस आधार पर बनाई गई थीं, कैसी बनाई गई थीं। देश के कई कोनों से आज भी अखबारों में निकलता है, यह देखने को मिलता है कि बहुत सी जीवन बीमा कम्पनियां आईं, उन्होंने लोगों से पैसा जमा करवाया, उनकी तीन-चार किश्त जमा करने के बाद वे भाग गईं। वे अपना ऑफिस तक भी उठा कर भाग गईं। मैं विधेयक पर बल देते इतना जरूर कहूंगा कि ऐसी फर्जी कम्पनियां देश में कैसे आईं, उन्होंने गरीबों का पैसा जमा करवाया और उसके बाद यहां से वे भाग गईं। उन्होंने कैसे नौजवानों का पैसा जमा करवाया और उसके बाद वे भाग गईं। इस पर माननीय मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, जीवन बीमा उद्योग कुल प्रीमियर संग्रह सन् 2010 के दौरान 13 प्रतिशत बढ़ कर 1,86,285 करोड़ रुपए हुआ, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वहीं यह जानकर आश्चर्य होता है कि बीमा कम्पनियों में 18184 कर्मचारियों को घटा दिया गया। हम एक तरफ पांच करोड़ से अपनी न्यूनतम पूंजी बढ़ा करके एक करोड़ कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आबादी बढ़ने में हमने कर्मचारियों को घटाया और केवल कर्मचारियों को ही नहीं घटाया। आखिर कौन से ऐसे कारण हैं, माननीय मंत्री जी इसे देखें कि केवल कर्मचारियों को ही नहीं घटाया, बल्कि 2,73, 984 एजेंटों को भी घटा दिया। हम एक तरफ जीवन बीमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कर्मचारी और एजेंटों को निकालते जा रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्राइवेट सैक्टर की जो जीवन बीमा कम्पनियां थीं, उन्होंने भी 62956 कर्मचारियों की कटौती कर दी। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है कि इस देश में जो वंचित एवं पिछड़े लोग हैं, उन्हें अवसर दिया जाए, जिनको एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण प्राप्त हो। इन कर्मचारियों में जो जीवन बीमा निगम की प्राइवेट सैक्टर की और जीवन बीमा निगम के जो कर्मचारी हैं, इसमें एससी, एसटी और ओबीसी का कोटा पूरा होता है या नहीं, यह भी एक विचारणीय विषय है, इसे जरूर करना चाहिए।

सभापति महोदय, जैसा कि अपने नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन बीमा कम्पनी, यानी हम केवल जीवन बीमा करेंगे, फसलों का बीमा नहीं करेंगे। जानवरों का हमारा देश, हमारे देश का काफी किसान फसलों पर आधारित है और उस किसान के फसलों की बीमा के बारे में सरकार और कम्पनियों की तरफ से जो उदासीनता दिखाई जाती है, वह बिलकुल ही निन्दनीय है। निश्चित तौर पर यह किसानों का देश है और किसानों के देश में किसानों की फसलों का बीमा भी रुचि लेकर इन कम्पनियों को करना चाहिए। कभी-कभी प्राइवेट सैक्टर की कम्पनियां बड़ी-बड़ी चीजों में अपनी रुचि दिखाती हैं। वे दूसरे प्राइवेट सैक्टर में काफी रुचि दिखाती हैं, यह देखना चाहिए कि जिनका आपने राष्ट्रीयकरण किया है, ये सारी कम्पनियां, जो किसान के हित के लिए बीमा है, उस पर रुचि दिखा रही हैं या नहीं। केवल किसान ही नहीं, हमारे देश का काफी आदमी पशुओं पर आधारित है। गांव में जो व्यक्ति रहता है, वह पशुओं पर भी कर्जा लेकर 25-30 हजार की एक भैंस खरीदता है और वह भैंस विभिन्न बीमारियों से मर जाती है। वह आशा लगाए हुए होता है कि अमुक भैंस से पैसा मिलेगा तो मैं दूध बेचूंगा और उससे मेरी बेटी की शादी होगी। उससे मैं बीमार की दवा कराऊंगा और अपने बच्चे को पढ़ा लूंगा।

14.00 hrs.

लेकिन वह भैंस जब मर जाती है तो फिर उसके पास कोई सहारा नहीं रहता।

अन्त में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि उसी तरह से देश के मजदूर, जो आज मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, उन मजदूरों की भी अकाल मौत हो जाती है, उधर ये जीवन बीमा कम्पनियां कोई रुचि नहीं दिखातीं। मैं चाहता हूं कि उधर भी ये जीवन बीमा कम्पनियां उन मजदूरों पर, जो 40 परसेंट गरीब भारत है, जो इस इंश्योरेंस की बात को नहीं जानता, वहां जाकर उनका भी बीमा करने का काम करें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन एमेंडमेंट बिल, 1956 में संशोधन के लिए जो बिल पेश किया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में जो इन्होंने आरम्भ में कहा, उस पर मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि 2009 में इस बिल को स्टेंडिंग कमेटी में भेजा गया। फिर 2010 में स्टेंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के साथ इसे जमा किया और माननीय मंत्री जी स्टेंडिंग कमेटी की मैक्सिमम रिकमेण्डेशंस के साथ 2011 में सदन के सामने आये।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि इस बिल के पास हो जाने से जो कानून बनेगा, उससे कारपोरेट हाउसेज़ की भी जिम्मेदारी सामाजिक क्षेत्र में बढ़ेगी और इस संशोधन को करने से लचीलापन आयेगा। ये बातें माननीय मंत्री जी ने अपने उद्‌बोधन में कहीं हैं। हम इस पर आगे चलेंगे।

मुझे 2-4 बातें कहनी हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन बिल, जो आप लाये हैं, देखने में बहुत सहज और साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसके संशोधन के बाद जो रूप-रेखा इस देश में बननी है, उससे पता चलता है कि आपकी निगाहें कहीं पर हैं और निशाना कहीं पर है। पूरे बिल को देखने से लगता

<u>14.03 hrs.</u>

(Mr. Deputy-Speaker ***in the Chair***)

है कि कारपोरेट हाउसेज़ की तरफ आपका झुकाव 90 परसेंट हो गया है और इस देश के आम अवाम, जिनको इससे लाभ लेना है, उनके प्रति, उन कर्मचारियों और उन एजेण्टों के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी से मुकरने की तैयारी कर रहे हैं, जो आप अपने संशोधन में लाये हैं। माननीय मंत्री जी, इसमें हमारा लोजिक भी है।

1999 में आपने इसमें एक संशोधन कर दिया और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को आपने इसमें प्रवेश दिलाया। जहां तक मेरी जानकारी है, 21 निजी कम्पनियां इस क्षेत्र में आज काम कर रही हैं और पूरी आबादी के पांच से 6 प्रतिशत लोगों को ही आप लाभ पहुंचा पाये हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन का हाल का जो अध्ययन आया है, इस अध्ययन के आधार पर 89.36 मिलियन कृषक परिवारों में से 43.42 मिलियन कृषक परिवार आज भी कर्जे में दबे हैं, कारण कि उनकी फसल अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आदि से या अन्य कारणों से बर्बाद होती है, लेकिन आपने इतनी प्राइवेट एजेंसियों को इस क्षेत्र में प्रवेश दिलाने के बावजूद इन किसानों को, ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को इस लाभ से महरूम करने का काम किया है। आज देश में स्थिति भयावह है। किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में रहकर कर्ज में ही मर जाता है। इस दुर्दिन का आपकी जो यह इंश्योरेंस की पॉलिसी है, जो आपने इस देश में व्यवस्था कर रखी

है, माननीय मंत्री जी, यह सबसे बड़ा कारण है। बीमे का कारोबार वांछनीय ढंग से विस्तारित इस देश में नहीं है। इसका जो लाभांश है, इसकी जो आमदनी है, वह किसी संपन्न कारोबार से कम नहीं है। किसी कारपोरेट हाउस के कारोबार से कम इसकी आमदनी नहीं है। जहां तक जानकारी है, इसका लाभांश 28 प्रतिशत है। देश के सामान्य वर्ग के लोगों को इसका क्या लाभ मिला, जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, तो उस समय इसका उत्तर देना चाहेंगे। आप इसमें एक और संशोधन लाए, इसके कैपिटल को पांच करोड़ से रूपए बढ़ाकर एक अरब रूपए तक ले जाने की बात कही। आप कहां से पूंजी जाएंगे? आप अनुबंध के आधार पर पूंजी की मात्रा बढ़ाएंगे। यह पूंजी कहां से आएगी? यह स्पष्ट है कि बड़े उद्योगपतियों को आप इसमें प्रवेश दिलाना चाहते हैं और कारपोरेट हाउसेज को, उद्योगपतियों को बड़े पैमाने पर इसमें प्रवेश दिलाकर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, यह आपकी मंशा है। इस कारपोरेशन में उनका एकाधिकार हो जाए, ऐसी व्यवस्था आपने इस संशोधन के माध्यम से की है।

इसमें एक और संशोधन आपने किया कि जो इसके एजेंट हैं, उनके लिए जो नियम और उपनियम बनेंगे, वह यह कारपोरेशन बनाएगा। यह कारपोरेशन इन एजेंटों के लिए नियम और उपनियम बनायेंगे, ऐसी स्थिति में कारपोरेशन अपने लाभ का ख्याल करेगा या इसमें काम करने वाले लाखों मजदूर, लाखों एजेंटों के हित की बात करेगा। इस डेमोक्रैटिक सिस्टम में इस तरह की व्यवस्था संशोधन के माध्यम से लाकर आप देश को क्या बताना चाहते हैं? हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि बीमा कंपनियों में आप एजेंट और कर्मचारियों की छटनी कर रहे है और दूसरी तरह लाभ की बात कर रहे हैं। किसान, मजदूर को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और वर्ष 2010 में इस सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, आपने 18184 कर्मचारी इस क्षेत्र में कम कर दिए। वर्ष 2010 में इन कर्मचारियों की संख्या घटकर 2 लाख 49 हजार 635 रह गयी, जबकि वर्ष 2009 में उनकी संख्या 2 लाख 67 हजार 819 थी। दूसरी तरफ जो इसके एजेंट हैं, जो इस व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे मजबूत हथियार है, सबसे ताकतवर अस्त्र है, माननीय मंत्री जी जो इसके एजेंट हैं, वर्ष 2010 में इनकी संख्या को घटाकर आपने 27 लाख 10 हजार 301 कर दिया, जबकि वर्ष 2009 में उनकी संख्या 29 लाख 84 हजार 285 थी। एक साल में आप पौने तीन लाख एजेंटों की संख्या घटाते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? आप कर्मचारी घटा रहे हैं, आप इसके एजेंटों की संख्या घटा रहे हैं, इसमें कारपोरेट हाउसेज को घुसा रहे हैं, किसान मजदूर को कोई लाभ नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कंप्लीट रूप से जो आपका यह बिल आया है, कारपोरेट हाउसेज को इस कारपोरेशन में, इस कारोबार में आय कमाने के लिए आपने अच्छा प्रबंधन करके इस देश के साथ बड़ा भारी धोखा करने का आप प्रयास कर रहे हैं।

जो आप संशोधन लाए, इसके पीछे आपका मकसद यह है कि आने वाले समय में जो बवाल मचेगा, कर्मचारियों और एजेंटों की घटती संख्या से जो बवाल मचने वाला है, इसको नियंत्रित करने के लिए आपने पूर्व-प्रबंधन का काम किया है। एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि इस देश में श्रमिकों के लिए जो कानून हैं, इस संशोधन के माध्यम से, जो आप संशोधन कर रहे हैं, इसमें जुड़े हुए जो एजेंट और मजदूर हैं, देश में श्रमिकों के लिए जो कानून आपने बनाया है, क्या वह कानून इनके साथ भी काम करेगा या इनके लिए आप अलग से नियम, उपनियम बनाकर इनके सारे हक को मारकर कारपोरेट हाउसेज के घर को भरना चाहते हैं? यह हम आपसे जानना चाहते हैं।

हमारे मित्र हरीश जी, जो कांग्रेस के साथी हैं, इन्होंने कहा कि 13 लाख करोड़ से ज्यादा के एलआईसी के एसेट्स हैं। अच्छी बात है, आपने सही बात कही, लेकिन इसके जो एजेंट हैं, उनकी कमीशन घट रही है। एजेंट का कमीशन ही नहीं, एजेंट की संख्या भी घटा रहे हैं। कुछ दिन बाद इनकी जो मंशा है, क्योंकि एक साल में इन्होंने ढाई लाख से ज्यादा एजेंटों को कम कर दिया, 18 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को इन्होंने कम कर दिया। माननीय मंत्री जी अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं कि कारपोरेट हाउसेज की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ेगी। इस देश में कारपोरेट हाउसेज की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ती है, उसका एक ही मकसद होता है कि अधिक से अधिक लाभांश कमाया जाए और अधिक से अधिक धन उपार्जित किया जाए। न कि इस देश के लोगों की भलाई के लिए और किसान मजदूरों के प्रति उनकी कोई जिम्मेवारी बनती है। कुल मिला कर इस कारपोरेशन को प्राइवेट पूंजिपति के हाथ में डालने का छदम प्रयास है, आगे जो बवाल आए उससे बचने के लिए माननीय मंत्री जी इस बिल को लाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन राय : हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। इसके समर्थन करने का सवाल नही है। यह जनविरोधी है। इस देश के करोड़ो किसानों और मजदूरों के अहित का भी बिल है। इसके एजेन्टस के अहित का बिल है। सर्वहारा वर्ग के खिलाफ का बिल है। इसलिए हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम चाहते हैं कि जो जनपक्षीय बिल हो जिसमें देश के 43.42 मिलियन किसान जो कर्ज में दबे हैं उनके कर्ज के निवारण से संबंधित कानून और बिल इस सदन में लाइए ताकि देश की आत्मा जो गांवों में बसती हैं उनका भला हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिंद।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Deputy-Chairman, Sir, the Life Insurance Corporation is a national financial institution of our country. People of this country are having large confidence on this institution. I can remember, when I was a boy of five or six years of age, my father used to pay LIC premium through a cheque to his agent. When I started earning money, I followed the same footpath. When my son has come, who has started earning money very recently, he has also started following that footpath. Generation after generation, the people of this country are having large confidence on this institution.

Sir, LIC continues to be the dominant life insurer even in the liberalized scenario of Indian insurance and is moving fast on a new growth path surpassing its own past records. LIC has crossed many milestones and has set unprecedented performance records in various aspects of life insurance business. The same motives which inspired our forefathers to bring insurance into existence in this country, inspire us at LIC to take this message of protection to light the lamps of security in as many homes as possible and to help the people in providing security to their families.

In this background, it is a question to be decided whether Clause 2, which seeks to amend the original Section 5, is warranted or not. There is no difficulty to this extent when it says: "The paid-up equity capital of the Corporation shall be one hundred crore of rupees provided by the Central Government after due appropriation made by Parliament by law for the purpose". There is no difficulty up to this point. But the difficulty is thereafter when it further says: "..which may be enhanced to such an amount as the Central Government may, by notification, determine." What is the meaning of this sentence? What does the Government want to do? Why it is to be determined by notification? If you want to enhance to such an amount as the Central Government may decide, you come up again with an amending legislation. Let there be debate once again in this House, why it is warranted for this enhancement, whether any other enhancement is necessary.

We are making our points very clear that we are against any sort of disinvestment whether you bring it by notification or whether you bring it by legislation. If the legislation comes, we will get a chance to discuss. But, if by a notification, you want to disinvest any amount of the LIC's capital, we are against it. Do not endeavour to make disinvestment by a backdoor process. That would be a request to the hon. Minister. We are opposing such a move. If the additional fund is necessary in future and the Government wants to provide it, let it be provided by way of necessary appropriation in Parliament.

I would like to be very brief. My point is that we are against any type of disinvestment, privatisation of LIC – either by notification or by any other way.

Sir, one of my friends has said that the Government is again going to amend Section 28 of the principal Act by Clause 5. The hon. Minister has given in his Statement that only the prospective effect would be taking place. I join issue with him there. If it compares with the private insurance company then the confidence which the people are having on LIC or rather I say a great respect that the people are having for LIC would be lost. I would like to request the hon. Minister to reconsider this amendment in Section 28 (1) (a) and also restore the previous position. Do not bring it in the same pedestal of a private insurance company.

So far as Clause 9 is concerned, you want to amend the original Section 49. Here, I would like to request that if any rule is brought that should not hamper any of the terms and conditions of the existing employees. New mode of recruitment and new terms and conditions may be applied but the existing terms and conditions should not be altered. But 'b' part is laying another stringent condition.

Another thing is that directions may be given, as per rule, through LIC agent. There are many old age persons who are illiterate and in their need LIC is an only encashment for them. It must be the duty of the agent that the ultimate benefit of an insurance policy should be given to the person concerned. The LIC

should supervise that the benefit should reach to the beneficiary. It should be made a part of the conditions. With this I am concluding.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Sir, I thank you for allowing me to take part in the debate concerning the LIC of India.

I really appreciate the Government that it has come up with this Bill to enhance the paid-up capital of the Corporation from Rs. 5 crores to Rs. 100 crores by substituting a new Section for Section 5 of the principal Act, 1956. At that time the LIC intends to go in for expansion of its insurance business activities to contain the stiff competition from the insurance companies in private sector.

Sir, I must say here that when the Government allowed the private companies to enter into the insurance business, everyone thought that the LIC will be in trouble. But the reality today is that the more customers are now switching over to LIC because of the difficulties that the customers are facing with insurance companies in private sector, because of misselling of products by these private insurance companies. The problem of misselling has become acute with the entry of new players because of increased competition among agents to get business.

A common practice is seen that the Life Insurance agents approach the customers and sell them policies telling them to pay for a just limited period, say five years, and assuring them a return of 20 times after 20 years with additional insurance benefits, whereas the actual premium payment term is of 20 years and it is a regular premium policy. Thus, the customer faces the risk of police lapse.

Sir, I have some information that several thousands of cases have been filed with the Ombudsman of Insurance Companies in connection with mis-selling of products. These private companies offer huge commission to their agents and these agents in turn allure the customers with wrong and misguiding informations. But these Ombudsmen do not enjoy any jurisdiction or power to entertain the cases of such mis-selling of insurance policies. Therefore, these Ombudsmen should be conferred with more powers to decide such cases for providing justice to these disgruntled customers of private insurance companies.

Sir, I would like to take this opportunity to urge upon the Government to fill up the large number of vacancies in the Life Insurance Corporation of India without any delay so that we can strengthen the effective functioning of LIC.

Sir, I would also like to bring to the kind attention of the Government certain problems which are being faced by the LIC agents. The LIC agents have been opposing the Insurance Regulatory and Development Authority's move to raise the annual minimum business limit, privatization of insurance companies, and not to deprive the agents their basic rights like provident fund and pension. They also demanded that all the vacancies in the Life Insurance Company should be filled up without any delay. They also opposed the appointment of the Direct Selling Agents, who took much of the earnings of the agents by way of collecting premium from the policyholders, deducting the commission.

Sir, a Pension Welfare Fund set up from forfeited commissions of terminated life insurance agents is what some ten lakh agents of the Life Insurance Corporation of India are trying to secure by way of post-retirement benefits.

In its 50 years of existence, LIC has terminated 30 lakh agents and their forfeited commissions may be running into hundreds of crores of rupees. This commission, as of now, goes to the LIC fund, though it is the hard-earned money of the agents. The agents are also demanding that their gratuity benefits be brought on par with those of the LIC staff. Currently, an agent can avail himself a maximum amount of Rs.1,00,000 as gratuity benefit as against Rs.3,50,000 in respect of the LIC employees. They are also seeking a revision of the IRDA training norms for agents. Currently, it is mandatory for insurance agents to put in 100 hours of training. There is no effective control to ensure the quality in the stipulated 100-hour training programme. Obviously, the stress is on building up a large quantity of agents with no eye on quality.

Sir, I, once again, urge upon the Government to create a mechanism to prevent mis-selling of insurance policies by the insurance companies in the private sector and redress the grievances of the LIC agents such as to stop the move of

IRDA to raise the annual minimum business limit, privatization of insurance companies, not to deprive the agents their basic rights like provident fund and pension, to immediately fill up the vacancies in LIC, and not to appoint the Direct Selling Agents.

With these words, I conclude and support the Bill.

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपना वक्तव्य पेश किया। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन्स को मानने के बारे में भी सदन में सूचना दी।

But what is the real cause behind bringing this Life Insurance Corporation (Amendment) Bill before this House? If we go through the performance of the Life Insurance Corporation and to the spirit of nationalisation, we will find that for the community as a whole and for the country, the contribution by the Life Insurance Corporation is of a great extent. What are the investments by the LIC? I am giving you the figures of investment in Government and social sectors by the Life Insurance Corporation. It is for the Central Government securities. As on 31st March, 2011, it is Rs. 4,07, 934 crore. Similarly, we can find that for the State Governments and other Government guaranteed marketable securities, housing and infrastructure investment, housing, power, irrigation, water supply and sewerage, road, port and bridges, railways, others including telecom, the Life Insurance Corporation has contributed a large amount of money. Up to the 31st March, 2011, it is Rs. 7,49,150 crore. This is the total amount which the Life Insurance Corporation has contributed.

I am not going into the details about the Five Year Plans. But since the 2nd Five Year Plan of our country up to the 11th Five Year Plan, the contribution made by the Life Insurance Corporation is also there. It is with the Ministry of Finance; and the Government is totally aware of it. What dividend the Government is getting is also important. Total dividend being five per cent share of the Government paid to the Government till 31st March, is more than Rs. 10,000 crore as an equity of Rs. 5 crore.

Sir, what I am going to tell is about the real background to bring this Amendment Bill. The erstwhile Government appointed the Malhotra Committee, which recommended disinvestments in the LIC. For what reason did it recommend so? When the LIC is already contributing so much to the Indian economy, what is the need for such type of a recommendation by the Malhotra Committee?

Similarly, another Committee had been appointed by the Government, sometime back, to go into the financial strength of the LIC. This is the financial strength which I have just now mentioned. It is the Government paper from which I quoted all these figures. But the Government is running behind the private sector! It is moving ahead for the so-called economic reforms in the country everywhere in the public sector. The Government is running behind even the Life Insurance Corporation also.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Are you opposing it?

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : I am coming to that.

The pertinent question is this. There is also a recommendation from the Standing Committee, which is the main point, which says: “allocate 90 per cent or more of surplus as the Central Government may approve for the Life Insurance Policy holders of the LIC and to credit such percentage of remaining surplus as the Central Government may approve.”

Why are they giving such types of recommendations and why such types of things are coming in the Bill, though they have been turned down by the Standing Committee unanimously? The savings through the LIC are long-term investments. The people are depending on LIC for investment and they are going to the LIC to invest for 20 years and 25 years. Now, it is stretching up to 30-40 years also. What is the rate of payment of the LIC? Settlement of death claim in the LIC has come to 98.5 per cent. It is a world record. The performance of the Life Insurance Corporation is a world record.

Sir, it will affect the ability of the LIC; and it will affect the main purpose of the Life Insurance Corporation, if the policy-holders, who have purchased policies from the LIC as per the present Act, have been assured 95 per cent of the surplus to them. Now, the Government by altering this surplus pattern is trying to take away very unjustly what really belongs to the policy-holders.

Sir, 26 crore policy-holders are going to be affected. In the near future, within 5-10 years, the number of policy-holders will go up to 50 crores. My

question is: why should the Life Insurance Corporation go into competition with the private sector? Why is the Government trying to bring foreign investors into the insurance sector? Why will the LIC go in for competition with the private sector and foreign competitors? There is no question about this.

The youths, those LIC agents, are losing their jobs. The Government should feel ashamed that lakhs of people, lakhs of youths are losing their jobs. Why should they lose their jobs in such a big country when there is dearth of jobs, when our economy is slowing down and when there is a serious problem in the manufacturing sector? The Government is not creating any jobs in the banking sector and in the insurance sector but lakhs of youths have lost their jobs. Therefore, my point is that it is very clear that the Government has brought this Bill to encourage the private sector in the insurance area. That is why, the entire Standing Committee unanimously rejected all the recommendations.

Therefore, I humbly request that the Government should accept the amendment which we have moved and the Government should henceforth re-think about participation of foreign players in the insurance sector; and it should be scrapped.

With these words, I oppose this Bill.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Thank you, Sir for giving me this opportunity.

It is now an established fact that this amendment being a knee-jerk action is one more step, not towards globalization or free market but towards a complete sell-out. We have been consistently viewing as to how this Government has been diluting the position of LIC from a premium institution in the field of insurance and in the process instead of making a level playing field for private players, it is preparing the filed so that private players will thrive and succeed. The pity is that most of these private players, I would not like to name particular companies, but those private players who are entering the Indian market in the garb of joint ventures with Indian companies, have gained huge discredit and bad name in their own original countries. Most of them or a lot of them have even gone bankrupt and have lost the confidence of the people of their own countries. But, India seems to be a country where they can come and we swallow hook, line, and sinker whatever they throw at us. The Government should first clarify about the present 37 per cent status as to whether it will be maintained or not. As of now, we find that in spite of this long period of time, insurance and even LIC has not been able to reach down to the common poor people as much as we would like it to do. Insurance has remained more or less for the rich or at best for the upper middle class. The benefits of the huge reserves of LIC over the years have come to the Government. This is probably, as far as I know, one of the few corporations or probably the only corporation which since its inception has not borrowed money from the Government but has consistently been paying the Government for its development activities.

I am also aware that LIC has been funding part of the Five Year Plans. Earlier hon. Members have also mentioned about this. So, we cannot neglect the contribution that LIC has made. In the same breath when we see today the way the workforce is being downgraded, the way agents are being thrown out of the job, it definitely saddens everybody in this House that at this critical economic juncture which this country is being forced to go through by this anti-people Government, it is indeed sad that we throw people out on the streets and do not bother to bring about a participative style of management where employees, agents and management of LIC could collaborate together to make it a vibrant and strong corporation once again that can contribute in the development of the nation.

As we have noticed, whenever in the past the LIC has ventured out of its core business, it has incurred losses. This point has been highlighted over and over again primarily because there is a deep seeded interest in the Government that private players should occupy the space that will be deserted by LIC. The faith, the belief in the LIC held by every Indian in every economic stratum is amazing. But, by these amendments we are trying to break that very faith and we are trying to create the situation where there will be disbelief in the minds of the people as to what changes this Government wants to bring in.

If we see the recommendations of the Standing Committee on Finance in 2009-10, the Committee has used very stern language and has criticized the move of the Government. One little quote would be enough to understand:

> "We also find that there is a move to reduce the bonus to the policy holders by altering the distribution pattern of the surplus of the Life Insurance Corporation. This, we feel, is very unfair to the policy holders."

In a very soft manner this is a solid slap to the Government, which I think they should not ignore or put aside as being something of no consequence.

This whole recommendation given during the Fifteenth, this present Lok Sabha, is an eye-opener about the concerns of the Standing Committee on Finance

about these amendments. Like many speakers have mentioned earlier, I would not be suggesting any amendments because I firmly believe that we oppose this amendment and we cannot support this amendment. In the process, I would like to suggest a few things. As recommended by the IRDA for tests concerning agents, these are being held in English. I would suggest that the hon. Minister should consider – I am not suggesting an alternative in the form of Hindi – regional languages – even Rajasthani – should be utilized for testing agents..… (*Interruptions*) And Odiya, of course..… (*Interruptions*)

We would suggest that regional language be considered. It is a pity that across the House from the ruling coalition to the other coalition everybody joins hands so surreptitiously and moves in unison when it is an anti-people policy or anti-people amendment. We must give kudos to all of you for doing it so smoothly in front of the whole nation and none of us are capable of understanding the smartness and intelligence! I must congratulate the hon. Minister. I would like that this should be done in the regional language.

I would also like that rogue companies who are coming in with private players who have gained bad-will in their own countries should be averted, IRDA should be alerted to guard against such people functioning within India.

The last point I would like the hon. Minister to ensure is that farm insurance and, along with farm insurance, small and medium enterprises where Indians are trying to stand up on their own feet and work on their own instead of looking for jobs should also come under an ambit of insurance, so that there is a safety net in case they fail in their enterprises. Just as private players are getting into farming insurance, we should have a set-up whereby the Government can also give a sovereign guarantee for farm losses and to the farmer. Thank you.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I would like to clarify one point. I have already said in my opening remarks about the guarantee. I again wish to reiterate in response to the amendment proposed by Gurudas Dasguptaji – several Members have also spoken about the guarantee, there should be no confusion about it – that Government guarantee under clause 6 has already been clarified by me in my opening remarks. The provisions of section 37 of the LIC Act, 1956 remains unchanged and a proviso has been added advising LIC to make efforts to maximize returns on the funds so as to maximize bonuses to the policy holders.

The Central Government's guarantee to LIC policies will continue to be as it is as per Section 37. I have already clarified this point.… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): The official amendment has to be brought for that purpose.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Where is your amendment? Your statement is not sufficient. … (*Interruptions*)

SHRI NAMO NARAIN MEENA: In the Act itself, the guarantee that is already there will continue.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion.

Over the years, LIC has grown by leaps and bounds with subscriptions touching 25 crores. Ever since the insurance sector has been opened to the private sector, LIC has lost 35 per cent of the market share in terms of premium collected, and there was a decline of 29 per cent in terms of number of policies sold. It is high time that the LIC makes serious attempts to enter new areas and strengthen its position. Then only the LIC can emerge as a front leader.

Let me come to the issues. Through this Bill, a provision has been substituted under Section 5 for the enhancement of paid-up equity capital from Rs. 5 crore to Rs. 100 crore. I do not understand why the Centre intends to raise the paid-up capital to Rs. 100 crore at one stroke. Suppose the Government wishes to increase the amount, then the equity capital could have been raised marginally so as to protect it from any market fluctuations. LIC capital with solvency margin has exceeded Rs. 30,000 crore. Let us remember that 95 per cent of the capital belongs to policy-holders. Moreover, in the said provision, the option to further increase the capital by the Government without seeking the approval of the Parliament amounts to undermining the supremacy of the Parliament. What prevents the Centre from seeking the approval of the Parliament to increase the equity capital as and when needed? I think this section may have to be suitably amended to enable the Centre to seek Parliament's approval for further increase in the paid-up capital. The reason why I am saying this is that this type of move should not pave way for disinvestment process. So, I request the hon. Minister to make a firm commitment in this House to the effect that the Government has no such intention of making any disinvestment of LIC shares at any point of time.

Yet another disturbing aspect is to reduce the surplus fund from the existing 95 per cent to 90 per cent as found in clause 5 of the Bill, that is, substitution of new Section 28 (1) (a). This would result in lesser returns to the policy-holders of LIC. I think this move will also wean away prospective subscribers from LIC to

private insurance companies. I think it is better to retain the existing Section which provides for 95 per cent distributable surplus to policy-holders.

Now, I come to the LIC agents. LIC agents play a vital role in popularizing LIC products. But for their dedicated service, LIC might not have grown to this extent as it stands today. Hence I feel that the proposed amendment to Section 49 of the Principal Act as continued in this Bill be so carefully worded to the effect that it is not detrimental to the interests of the LIC agents. It is essential that the LIC agents who are all the backbone of the organization are suitably rewarded with upward revision of commission fee and better facilities also, including social security scheme.

With these words, I conclude.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you Deputy Chairman Sir. LIC Amendments Bill, 2009 was introduced in this House despite popular oppositions. So, at that time, the Government can understand the feelings of the House. And the Bill has been referred to the Standing Committee. The Standing Committee scrutinized the proposals and accordingly made some recommendations. We have some objections on some basic points and ultimately, the Government has come to sense that some objections should be recognized and the amendments with regard to the sovereignty have already been accepted.

In the initial remarks, the Minister himself stated that the Central Government's guarantee to LIC policies will continue to be as it is, as per section 37. But why has this attempt been made? It was an intention to pave the way for privatization at large. Sir, as sovereign guarantee is key to the LIC's pre-eminent position of Life Insurance Business, that cannot be diluted.

Another point of our objection is about dilution of 95 per cent to 90 per cent. The present pattern of distribution of surplus is 95 per cent for the policy holders and five per cent to the Government. Why this proposal is being diluted? Why is it 90 per cent for the policyholders and 10 per cent for the Government? In every case, the Government used to say that it is 'aam aadmi yojana'. Why are you giving the blow to the 'aam aadmi' by reducing the five per cent? So, this is the point of serious objection. And I think the Government should come to the sense so that it should be as it is, that is 95 per cent and five per cent.

My third point is that the proposal in the amendment might have the negative effect of limiting the future branch network expansion of LIC and thereby the growth of the corporation business. The Minister should respond to that whether he has agreed to limit it or the proposal stands as it is, is going to accept. So, in view of that we are opposing this Bill.

We have reservation rather opposition particularly in case of diluting 95 per cent to 90 percent and to the Central Government from five per cent to 10 per cent.

And what about the LIC agents? Any welfare measures or anything should be taken for the benefit of the agents.

They are the real drivers of this sector. Their number is not less than 28 lakhs in our country. At least, I hope the Minister in his reply would say something with regard to the LIC agents of our country. I hope, he is going to take some sort of welfare measure for them.

Another very important point which other hon. Members also apprehended, I do share that this sort of trend should be avoided in the name of globalization and liberalisation. They are going to corporatise, going to privatise this LIC organisation. This should be stopped. The Government should stop this. The Government should respond very positively to the particular proposal which has been raised here.

With these words, I put my objections and oppose this Bill.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, जीवन बीमा निगम का जो कानून आया है, उस पर कई माननीय सदस्यों को हमने सुना। सरकार के मूल विधेयक में है कि पांच करोड़ से सौ करोड़ तक पूंजी को बढ़ा दिया जाए। लेकिन उसके बाद पेंचवाला सवाल यह है कि सरकार जब चाहेगी उसे बढ़ा देगी। यह कौन सा कानून है। यानी जब आप अपने हाथ में इस अधिकार का कानून ले रहे हैं कि जब मन में आयेगा तो बढ़ा देंगे तो पांच से सौ का क्या मतलब हुआ। आपने हजार, दो हजार, पांच हजार या दस हजार अभी क्यों नहीं कर लिया। आप अपने हाथ में अधिकार रख रहे हैं। लोगों को कानून बता रहे हैं कि पांच करोड़ से सौ करोड़, जबकि मैं समझता हूं कि उसकी लैंग्वेज देखी जाए कि जब सरकार चाहेगी, तब बाइ नोटिफिकेशन् उसे बढ़ा देगी। ऐसा कानून आप ही रखिये। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मनमानी करते रहेंगे, जब मन होगा बढ़ा देंगे और जब मन होगा, घटा देंगे। यह कौन सा कानून हुआ? इसलिए वामपंथी लोग ठीक कहते हैं कि ये लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं।

महोदय, अभी श्री हरीश चौधरी भाषण कर रहे थे। पुराने जमाने में राजा-महाराजाओं के समय में भी यह था। लेकिन सन् 1912 में रेगुलेशन से यह कानून आ गया। उसके बाद 1938 में भी हुआ और सन् 1956 में नेशनलाइज होकर 240 प्राइवेट कंपनियों को एकजुट करके इंश्योरेंस का काम चल रहा है। इसमें रंग-बिरंगी बीमा योजनाएं हैं, जिन पर आज सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी 25-26 करोड़ लोग इससे आच्छादित हुए हैं और एजेन्टों की संख्या लगभग तीस लाख है, जिसके बारे में सुनते हैं कि ये लोग घटा रहे हैं, यानी ये लोग चाहते हैं कि इन्हें घटा दिया जाए। पांच वर्षों में इनका लक्ष्य है कि 25-26 करोड़ से पचास करोड़ लोगों को इससे आच्छादित किया जाए। हम जानना चाहते हैं कि यदि एजेन्टस घट जायेंगे तो इतने लोगों का आच्छादन कैसे होगा? इसलिए एजेन्ट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। क्योंकि अभी जो 25-26 करोड़ लोगों का आच्छादन है, पांच वर्ष में आप 50-60 करोड़ लोगों का करना चाहते हैं और उसके बाद आप फिर आगे का लक्ष्य बढ़ाकर रखेंगे। हमारे देश के करीब दस करोड़ लोगों के रोजगार गारंटी कानून के कारण बैंक्स में या पोस्ट ऑफिसेज में खाते खुल गये हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनका इंश्योरेंस कब तक होगा? हम जनश्री बीमा योजना के बारे में बहुत सुनते हैं, यह धोखा है। हम जानना चाहते हैं कि उपरोक्त दस करोड़ लोगों में से कितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ है। जो दस करोड़ लोग रोजगार गारंटी कानून के तहत काम कर रहे हैं और जिनके बैंकों और पोस्ट आफिसेज में खाते खुले हैं, उनमें से कितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ है और यदि नहीं हुआ है तो कब तक इंश्योरेंश होगा। आपने जनश्री बीमा योजना बनाई है, जिसमें सौ रुपये भारत सरकार देगी, आप कभी पांच सौ करोड़ रुपये दे देते हैं, कभी हजार करोड़

रुपये दे देते हैं। आपने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। लेकिन राज्य सरकारों को कहां समझ है और उनके पास पैसा कहां है। जो सौ रुपये प्रति मजदूर देने के लिए तैयार नहीं है, फिर यह काम कैसे होगा। इसलिए जो तमाम गरीब लोग मजदूरी कर रहे हैं, उन सभी मजदूरों का जीवन बीमा कैसे सुनिश्चित हो, इसका अभी तक क्या प्रबंध हुआ है, क्या प्रगति हुई है।

15.00 hrs.

कितने लोगो का बीमा हुआ है? कब तक सब का बीमा हो जाएगा? रोजगार गारंटी कानून में जितने लोग लगे हुए हैं अनिवार्य जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत उनका कवरेज होना चाहिए। किसान मेहनत कर करता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन दीजिए, इज्जत दीजिए, प्रमोशन दीजिए, इंक्रीमेंट दीजिए और सारी मार किसानों पर पड़ रही है। उनकी फसल बीमा योजना में भी ऐसा-ऐसा पेंच लगाया जाता है कि वह भी उनको नहीं मिल पाती है।

15.01 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha ***in the Chair***)

किसानों के लिए बराबर आफ़त है, बाढ़ है, सुखाड़ है, और सरकार है। सब तरफ से किसानों पर ही आफत है। उनका बीमा कब तक और कैसे होगा?

महोदय, एक बात है कि कुछ-कुछ राशि उनकी भी लगेगी या जमा करते-करते वे मर जाएंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। हम सरकार से एक नया प्रावधान करवाना चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है, जब वह मर जाएगा तो बीमा के प्रावधान के तहत वह सहायता उसके परिवार को मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं मरे, जीवित रह जाए तो उसको घाटा न हो, उसके लिए भी कुछ उपाय होना चाहिए। ऐसा कौन-सा कानून है कि उसके मरने के बाद फायदा होगा अगर जीवित रह गया तो उसको फायदा नहीं होगा उसका घाटा होगा। इस कानून में सुधार करना चाहिए। भारत सरकार तो सौ रूपया प्रति व्यक्ति जनश्री बीमा योजना में दे रही है और सौ रूपया या तो राज्य सरकार दे या अन्य कोई संगठन दे या वह व्यक्ति अपने आप दे। यह कानून का प्रावधान है। अब उसमें कितनी राज्य सरकारों ने सौ रूपया दिया है, आप उसका हिसाब बताइए? कुछ राज्य सरकारों की मनमानी है कि वह इसे करे या न करे लेकिन इसमें गरीब ही मारा जाएगा। मजदूर को रोटी तो बराबर मिलती नहीं है, वह बेचारा बीमा के लिए कहां से जमा करेगा? उसके लिए क्या प्रावधान हुआ है? जो बड़े आदमी हैं और जो देशी-विदेशी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं वे रंग-बिरंगे इंश्योरेंस ला रहे हैं। गाड़ियों, ट्रकों व बसों के इंश्योरेंस आ रहे हैं। उन सब का उपाय है, चोरी के कागज़

बना कर उनका पैसा निकाल लिया जाता है। एक्सीडेंट नहीं हुआ केवल थोड़ा धक्का लगा तो संपूर्ण बस के बीमा का पैसा निकाल लिया जाता है। मैं यह सब देख और समझ रहा हूँ।

गरीब आदमी को कोई सहायता नहीं मिल पाती है। किसान मर जाता है लेकिन उसके परिवार की कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। दिल्ली में हमारे यहां का मजदूर मर जाता है। चार-पांच मंजिल तक सर पर ईंट उठा कर ले जाता है, गिर कर मर जाता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उसके लिए न कोई जीवन बीमा होता है और न कोई कार्पोरेशन होता है। यह जो 5-6 करोड़ किया गया है, उसको बढ़ाया क्यों नहीं गया है? अपनी मनमानी और अधिकार रख लिया कि जब मन में आएगा तब बढ़ाएंगे, जहां चाहेंगे वहां बढ़ाएंगे। इसका जवाब दें। रोजगार गारंटी कानून में जो गरीब मजदूर काम करता है उसका अनिवार्य बीमा कब तक हो जाएगा? कितने लोगों का हुआ है, कितने राज्य सरकारों ने किया नहीं किया है, यह सब बताएं। उसके बाद स्वास्थ्य बीमा की बात है। गरीब आदमी को स्वास्थ्य बीमा के रूप में तीस हजार रूपये मिलेंगे, यह तो आपके वित्त विभाग को देखना है। सभी गरीब आदमियों का स्वास्थ्य बीमा कब तक होगा, कैसे होगा, क्या उपाय किया गया है या राज्य सरकार पर छोड़ दिया है? यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई राज्य सरकार पीछे छूट जाए या उसको समझ में नहीं आए या गरीबोन्मुखी नहीं है, समतामुखी है, किसानोन्मुखी नहीं है, मजदूरोन्मुखी नहीं है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको देखें। किसान, मजदूर गरीब मेहनतकश लोगों का भला कैसे होगा?

महोदय, फसल बीमा वाला कृषि विभाग से संबंधित विषय है, लेकिन सारे मामले का मालिक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और ये इंश्योरेंस का विधेयक लाये हैं। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर साल देश में दस लाख लोग सड़क हादसों में मरते हैं, उनके इंश्योरेंस के लिए क्या व्यवस्था है? गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया तो कहते हैं कि नम्बर ही नहीं है तो इनका कैसे होगा? वह बेचारा कोर्ट, कचहरी में दौड़ता रहता है। गरीब आदमी जो एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, मोटर साईकिल से, स्कूटर से, बस से, ट्रक से, टैम्पू से, रेल आदि से एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, इन सारे लोगों की संख्या साल में दस लाख है। कुछ देशों की आबादी भी दस लाख नहीं होगी, लेकिन हमारे उतने लोग हर साल एक्सीडेंट्स से मर रहे हैं। उनका तुरन्त भुगतान होना चाहिए, इसके बारे में क्या हो रहा है? किसानों के पास बहुत बड़ी संख्या में जानवर हैं, उनके जीवन-बीमा का कैसे आच्छादन होगा? किसान दस हजार, बीस हजार रूपये की पूंजी लगाकर, बैंक से लोन लेकर गाय, भैंस खरीदते हैं। बीमारी से गाय, भैंस मर जाती हैं तो किसान बेहाल हो जाता है, वह ऋणग्रस्त हो जाता है, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं है। इन सभी मामलों का उत्तर माननीय मंत्री जी सदन को बतायें कि कैसे किसान, मजदूर और गरीब लोगों का भला होगा? जीवन बीमा की जो ये देशी,

विदेशी कंपनियां देश में आ रही हैं, इनसे क्या खतरा है, इनसे सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, इन सबसे कैसे लोगों को सहायता दी जाये, पीड़ित लोगों या पीड़ित परिवारों को इनसे कैसे सहायता मिले, इसका क्या उपाय हो सकता है, इन सब बातों को माननीय मंत्री जी साफ-साफ बतायें, तब बिल पास होगा, नहीं तो हम लोग अड़चन खड़ी कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, आपने मुझे भारतीय जीवन बीमा निगम के संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमसे पूर्व वक्ताओं ने सारे विषय को रख दिया है। हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक भारतवर्ष की जनता का विश्वास लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा निगम पर है। यह विश्वास कोई दो,चार या पांच साल में नहीं बना है, इस विश्वास को बनने में 50 साल लगे हैं। आज अगर देखा जाये तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का जो आगमन इस देश में हो रहा है, वे जिन लोगों का इंश्योरेंस करती हैं और इंश्योरेंस करने के बाद उनका ऑफिस बंद हो जाता है, वे चले जाते हैं। वह जो जनता है, जिन्होंने उनसे गलती से इंश्योरेंस करवा लिया या मान लीजिये वे दिग्भ्रमित हो गये, उसके लिए क्या व्यवस्था वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही है? साथ ही साथ किसानों के लिए जो बीमा की योजना है, अगर इसे देखा जाये तो भारत में जितने भी किसानों का बीमा हुआ, उनके खेत-खलिहान का बीमा हुआ, कार्यालय में जाते-जाते उनका आधा जीवन समाप्त हो रहा है और तब जाकर उन्हें भुगतान होता है। अगर हम एजेंट्स की बात करें तो लगभग पूरे भारत में 30 लाख एजेंट्स हैं।

यदि पाँच व्यक्ति प्रति परिवार भी लगाए जाएँ तो लगभग डेढ़ करोड़ लोग होते हैं। इन डेढ़ करोड़ लोगों के बारे में भारत सरकार का क्या चिन्तन है? क्या उनको पैन्शन मिल रही है, क्या जिस प्रकार दूसरी संस्थाओं में प्रोविडेन्ट फंड मिलता है, क्या उस प्रकार से उनको मिलता है? भारतीय जीवन बीमा निगम के जो मृतक आश्रित कर्मचारी हैं, क्या उनको मरने के बाद नौकरी मिली? क्या वे भी आज फटेहाल घूम रहे हैं? आज की तारीख में हमें इस पर सोचना होगा कि जो नरेगा में मज़दूर हैं उनकी क्या स्थिति है। अभी हमारे यहाँ झारखंड में बोकारो जिला में नरेगा का एक मज़दूर मरा है। आज यदि उसका इंश्योरैन्स होता तो शायद उस परिवार को कुछ लाभ मिलता लेकिन सरकार की घोषणाएँ होती हैं और वह सरज़मीं पर हम कैसे उतारें, इसका चिन्तन नहीं किया जाता है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो चाहे वह मज़दूर हो, किसान हो, भारत में लगभग 60 प्रतिशत ठेका मज़दूर या किसान मज़दूर काम कर रहे हैं। उनके इंश्योरैन्स का क्या प्रावधान है? विदेशों से तो इंश्योरैन्स कंपनियाँ भारत में आ रही हैं, लेकिन क्या भारतीय जीवन बीमा निगम को विदेश के लोग बुलाते हैं? इस पर हमें ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि यह जो सैक्शन 18 है, इसको हटाया नहीं गया है। इसलिए कि आज अगर हम इसको हटाते हैं तो आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको हमें देखना पड़ेगा। चूँकि इसी में जो चौथा नंबर का सैक्शन है, इसको रहने दिया जाए। चूँकि गाँवों में, देहातों में भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यालय खुलता है, वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलता है। उस परिस्थिति में अगर हम इसको हटा देते हैं तो वहाँ

कार्यालय खुलने में कठिनाई आएगी और सबसे बड़ी बात है कि हम पैसा कहाँ से लाएँ। इसमें दिया गया है कि हम जो अमैन्डमैंट कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो बिल है, इसमें यदि कोई व्यक्ति दो बार अपना प्रीमियम जमा करता है और संयोग से उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें यह सोचना होगा कि मरने के बाद हम उसको क्या लाभ तत्काल दे सकते हैं। अभी रघुवंश बाबू ने कहा कि मरने के बाद ही लाभ मिलता है। मरने के पहले यदि उसको लाभ मिले तो अच्छा है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बिना मरे भी लाभ मिलना चाहिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): जी हाँ, बिना मरे भी लाभ मिलना चाहिए। हमारा आपसे आग्रह है कि झारखंड में किसान के खेतों का जो बीमा हुआ है, उसका आज तक लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। उसमें लगभग तीस प्रतिशत लोगों का भुगतान हुआ, बाकी लोगों को भुगतान नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से उन लोगों का भुगतान होना चाहिए और जो सैक्शन 18 है, इसको ओमिट नहीं किया जाए और इस पर भारत सरकार चिन्तन करे। धन्यवाद।

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Thank you, Sir. LIC is a huge financial institution to which this amendment has been moved by our hon. Minister. It is a very sound, one of the profit making institutions of India which is controlled by the Government.

As people repose faith on the governmental institutions but not on Governments, LIC is also enjoying huge confidence of our people than any other private players in the insurance fields like TATA AIG, Bajaj Allianz, MeTLife, etc.

I would like to draw the attention of the hon. Minister that these private players in the insurance fields are having some hidden agenda, which are not properly explained to the policyholders and ultimately they exploit them. The Government must look out within its ambit about the activities of these organisations.

The LIC not only gives service of huge money lending, etc., to the industrialists and big entrepreneurs but also to the middle bracket and higher income groups of people. It gives benefit, particularly, for the policy holders or the consumers and at the same time, to a number of employees of LIC, which are around 2.5 lakh employees and around 30 lakh of LIC agents, who are actually giving a yeomen's service for the health and growth of LIC.

But I cannot welcome this Amendment Bill. It is because the Government from its earlier Malhotra Committee and after that follow up Committees to see and examine the financial health of such a premier institution or following the policy of liberalisation, globalisation, privatisation and commercialisation, will facilitate the way of disinvestment and get entries of private players in the insurance sector of India.

Time and again, I have seen that LIC employees, agents and their family members are on demonstrations and *dharnas*. I have also attended the same with many other Members of Parliament. I have also forwarded the applications, particularly, of employees and agents to our hon. Minister of Finance for

consideration. But still their future is hanging. I must in this scope request our hon. Minster to settle and assure the future of our agents and employees, whose life should not be destroyed on the plea of amendment, etc.

In regard to farming sector, already some Members have mentioned that insurance for the crops, particularly, for the small and marginal farmers are absolutely necessary in West Bengal. Most of the small and marginal farmers are not having crop insurance. Due to this, suicides among the farmers are also increasing there like many other States of our country.

The LIC must innovate some avenues so that financial benefits can be given to students, patients, new doctors, technical persons, who are trying to get a hold on their professions. They should also be helped for building hospitals, etc.

My final point is regarding properties. LIC gets mortgage of these properties by way of agreements, all over the nation. But I have seen most of these properties are being destroyed due to non-maintenance. It is a national loss. They should be properly maintained or properly utilised for social purposes like schools, hospitals or any other purpose but these national assets should not be destroyed just because they were mortgaged.

By this I do not want that this Amendment should be moved. I am opposing this Amendment for the benefit of the LIC employees, people of India and agents of LIC.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Sir, LIC has been consistently a good performer serving a large number of policy holders and significantly contributing its reserves in areas where these are most needed. With the opening up of life insurance sector, LIC has now to grapple with stiff, unhealthy and cut-throat competition from private players.

I have strong reservations on the proposal to amend Sections 48 and 49 of the LIC Act, 1956. These provisions empower the Central Government to determine the terms and conditions of service of the agents of the corporation. By this amendment, this power of the Central Government is being given away to the LIC with overall supervision under IRDA. The reason being given for such a change is to bring the insurance agents in parity with other workers involved in the similar areas of functioning and to treat the LIC like any other insurance company. But, I strongly feel that by such an amendment, the Government is seriously compromising on the work conditions and job security of the LIC agents numbering more than 14 lakhs. They have done a great service to the nation by spreading the concept of insurance cover and stimulating small savings across the country but the amendment is unjustly treating them at par with sellers of high risk investment plans like mutual funds.

With the amendment of the Insurance Act, the recent regulations have made the working conditions of agents more demanding. The LIC has now asked its agents to meet the minimum requirements like Rs.1 lakh premium per annum, minimum enrolling of 12 life insurance policies per annum and annual renewal of 50 per cent of policies per annum. These demands would *prima facie* appear to be reasonable but it is not so in reality due to the economic instability of a large number of people covered in rural and urban areas and the limited exposure that the agents have on the potential clients. Such measures have threatened the existence of up to 65 per cent of insurance agencies.

The present amendment on agents, if passed, would further aggravate the plight of insurance agents as until now they had the protection of the Central

Government on working conditions. The amendment in line with legislations of the developed world is premature in our society and it is though well intentioned would surely have negative impact on the agents. Thus, going with the spirit of LIC Act, we must support the Standing Committee's recommendation which has warned against such an amendment with regard to agents and has instead suggested steps to be taken for equipping the LIC agents by imparting them better professional training, creating welfare funds with pension benefits… (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Nothing would go on record.

(Interruptions) … *

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): To this I would also add an immediate end to direct sale of policies by company as it is not only unjust but uncompetitive in spirit.

With these words, I conclude.

* Not recorded

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया। मैं सिर्फ़ दो मिनट बोलूंगा। यह जीवन बीमा निगम का संशोधन विधेयक है। जीवन बीमा निगम की पॉलिसी पर जब कोई विवाद होता है तो इनके यहां एक कमेटी बनी हुई है और ये मैटर उस कमेटी में भेज देते हैं। फिर उसके साथ एक समझौता करते हैं कि 50 प्रतिशत ले लीजिए, 30 प्रतिशत ले लीजिए, 40 प्रतिशत ले लीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कमेटी के बाद भी लोग कन्ज्यूमर कोर्ट में जाते हैं और सैंकड़ों मुक़दमें अभी जीवन बीमा निगम और कन्ज्यूमर कोर्ट के बीच में चल रहे हैं। यह बिल टोटैलिटी में आना चाहिए था और जो कन्ज्यूमर कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उनका भी इसमें समावेश करके जो पॉलिसीधारक हैं, उनको भी इसका बेनेफिट देना चाहिए था, वह इस संशोधन विधेयक में नहीं लाया गया है, इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो एल.आई.सी. से संबंधित विज्ञापन आते हैं, उसकी कोई समीक्षा करता है या नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ विज्ञापन तो बहुत अच्छे हैं जो जीवन भर के लिए प्रभाव डालते हैं। जैसे एक विज्ञापन है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी- जो असर डालते हैं। कुछ अन्य विज्ञापन हैं। जैसे एक शादी वाला विज्ञापन आ रहा है कि कौन-सी लड़की से शादी करोगे? जिसकी तनख्वाह ज्यादा हो, जिसका पिता बहुत पैसे वाला हो तो वे कहते हैं कि आप इंडाउमेंट एल.आई.सी. ले लीजिए और शादी तो उससे करो जिससे प्रेम करो। आप इसकी समीक्षा कीजिए। जो वाकई प्रभाव डालने वाले विज्ञापन हैं, उन्हीं को रखिए और अन्य विज्ञापनों की समीक्षा करके उन्हें हटाइए।

मंत्री जी ने अपने प्रारंभिक रिमार्क में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही थी, वह इस एक्ट का पार्ट नहीं है। जब भारत सरकार ने दो प्रतिशत सी.एस.आर. करने के निर्देश जारी कर ही दिये है तो वह इस एक्ट का पार्ट बनना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, in all, 15 hon. Members have participated in the discussion. I would like to thank all of them for their valuable suggestions and inputs. Before responding to the specific issues raised by the hon. Members, I would like to mention about the Life Insurance Corporation of India since several hon. Members have raised questions regarding the performance of LIC of India.

Sir, the LIC of India was set up in the year 1956 to ensure security to policyholders in the matter of their life insurance protection and to spread insurance much more widely. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please maintain silence.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you may please address the Chair.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: The LIC of India, the only Government-owned life insurance company as against 23 life insurance companies in the private sector. Life Insurance Corporation is the market leader in the insurance market even after 10 years of opening up of the insurance sector to private companies. The market share of LIC of India as on 31.10.2011 is 74 per cent in terms of number of policies issued and 78 per cent in terms of premium earned during this year. LIC's total investment as on 31st March, 2011 is Rs. 12.6 lakh crore which is about 18 per cent of India's GDP in 2010-11. As on 31st September, LIC has invested Rs. 4 lakh crore in the Central Government securities; Rs. 1.76 lakh crore in the State Government securities and Rs. 1.65 lakh crore in the housing infrastructure like power, irrigation, water supply, sewage, ports, bridges and roads. In 2010-11, the LIC has settled 1.76 lakh maturity claims by paying Rs. 49,000 crore to its policyholders. Out of these claims, 96 per cent of the claims have been paid in advance, through post-dated cheques so that the policyholders could get their money on time. The LIC settled 7.2 lakh death claims in 2010-11 by paying over Rs. 8,000 crore of which again 95 per cent claims were paid within

15 days from the date of intimation of death. LIC rejected only one per cent of the individual death claims during 2010-11 as compared to the average rejection rate of 8.9 per cent by the rest of the companies in the sector.

Sir, now I would like to respond to some of the issues raised by hon. Members. Shri Shiv Kumar Udasi and several other hon. Members talked about the power to open branches by LIC. There seems to have been some confusion about the fact that his power is being taken away. No. LIC shall establish as many Divisional Offices and branches which may be decided by the LIC of India in accordance with the guidelines issued by IRDA under the Act in this regard. Therefore, permission of IRDA is not required in these two cases since they have to work under the guidelines issued by the IRDA.

The hon. Finance Minister took a meeting of the Chief Ministers of the Eastern States on credit flow. Some questions came before him in that meeting that there are no LIC offices in some districts. The hon. Finance Minister gave the order then and there itself to open branches in at least all the districts, specially in the North-Eastern States. So, there is no question of taking away the power.

Shri Shiv Kumar also raised a question regarding Section 28. I have already clarified that the provisions of valuation surplus and its retention will be with prospective effect from the date of notification and all existing policy holders will continue to get 95 per cent return level from the policy. This is from prospective effect. It will be applicable on the new policies after the notification is issued.… (*Interruptions*)

Shri Shiv Kumar and Dr. Raghuvansh Prasad Singh also raised about the capital increase from Rs. 5 crore to Rs. 100 crore. In the initial LIC Bill, 2009, it was proposed to increase the capital beyond Rs. 100 crore by notification of the Central Government as per the recommendations of the Standing Committee. Capital beyond Rs. 100 crore is to be raised through appropriation made by the Parliament by moving an amendment in the Act. Thus, there is no question of

diluting the Government stake and LIC will remain 100 per cent with the Government.

Shri Rama Shankar raised the question of reservation of SCs and STs. He said they are not given employment. Sir, I would like to say some figures on this point. The number of employees belonging to SCs and STs in LIC are as under. In Class I officers cadre, the Scheduled Castes figure is 18 per cent and STs figure is 7.1 per cent. In Class II category, in Divisional Officers, the SCs form 15.63 per cent and STs form 6.77 per cent. In Class III category, SCs are 17.68 per cent and STs are 7.78 per cent. For Class IV category, the figure of Scheduled Castes is 22.88 per cent and STs figure is over ten per cent as against 16 per cent. As regards Class IV, it is 53.72 per cent and SCs and STs, it is 6.12 per cent.

As far as the policy of the UPA Government is concerned, the SCs, the STs and the OBCs are being recruited and it appears that there is no backlog. In some of the posts, the number is more. If at all there is any backlog in this regard, it will be looked into.

Shri Shailendra Kumar and Dr. Raghuvansh Prasad Singh also raised about insurance cover to the poor people. I clarified that AABY is a scheme for rural landless households. There is also the Jan Shree Bima Yojana. Under JBY, there are 45 categories including workers in organised sector, rural and urban poor. By paying an annual premium of Rs. 200 out of which 50 per cent is subsidy by the Government of India, the life of such policy holders is covered to an extent of Rs. 30,000 for normal death and Rs. 75,000 for accidental death or for any disability.

The cover of households is 2.94 crore under the JBY and 1.87 crore under AABY. Many hon. Members, including Dr. Raghuvansh Prasad Singh, raised the issue of LIC agents. The number of agents is determined by the LIC based on their business potential. The number of insurance agents has gone up from 11.93 lakhs in 2007-08 to 13.44 lakhs in 2008-09 and further it has gone up to 14 lakhs in 2009-10. It has come down slightly to 13.4 lakhs in 2010-11. Depending upon the business potential, the actual number will be determined. The average

commission has increased from Rs. 57,000 in 2001 to Rs. 99,536 in 2010, which is almost Rs. 1 lakh.

Shri Thamaraiselvan and some other hon. Members raised the issue of jurisdiction of Ombudsman to cover the agents. In this regard, the Government is actively considering appropriate modification in the rules governing Ombudsman to cover agents under the purview of these schemes. Hon. Member Shri Satpathy raised the question of dilution of the status of the LIC. I would like to assure the hon. Member that there is no question of diluting the LIC's status. I would like to tell him that the LIC, despite this sector having been opened up in 2000 and despite the presence of 23 private insurance companies in the country, as I have already told you, as on 31st September, 2011, holds 74 per cent of market share in terms of number of policies issued and 78 per cent in terms of premium collected in this year.

A question regarding the language in respect of issue of licence to the agents was raised. Licensing to the LIC agents and its various provisions are presently governed by the regulator, the IRDA. The training material and conduct of examination for agents are dealt by the IRDA-accredited institutions. The issue regarding conduct of examination, and providing training materials in regional languages will be taken up with the IRDA for conduct of examination in regional languages on the on-line mode. Since the IRDA is the regulator, we will communicate your feelings to the IRDA to consider it.

I would like to clarify that the power of the Central Government to enhance the capital by notification has been withdrawn. I have already clarified it. But Dr. Raghuvansh Prasad Singh raised this issue. The power of the Central Government to enhance the capital by notification under clause 5 has been withdrawn. सर, यह खत्म हो गया है, विदड्रा कर रखा है। ...(व्यवधान) The paid up capital of Rs. 100 crore will be provided by the Central Government after the appropriation is made by the Parliament by law for this purpose..… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Let me complete. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb. Nothing will go on record except the Minister's reply.

(Interruptions) … *

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Any further increase in the equity capital beyond Rs. 100 crore is to be done by carrying out necessary amendment in the Act. It has to be approved by the Parliament. Sir, this is in the official amendment, serial number four. … (*Interruptions*) Sir, I have replied to the amendments moved by Shri Gurudas Dasgupta. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what the hon. Minister says.

(Interruptions) … *

SHRI NAMO NARAIN MEENA: The issue of retention of the valuation surplus for the policy holders has been raised by Shri Shivkumar, Shri Harish Choudhary, Shri Rama Shankar Rajbhar and by Shri Arjun Roy. An amendment is also moved by Shri Bansagopal Choudhry.

I would like to state in this connection that the objective of the amendment was to bring LIC Act, 1956 in conformity with the Insurance Act, 1938 and to provide for distribution of ninety per cent of the surplus generated amongst the policy holders. The amendment also proposed creation of a Reserve Fund with the LIC. So, a Reserve Fund will be created.

Sir, presently, LIC is dependent on the financial support from the Government of India for expanding its operations. I would reiterate that the fund so reserved will be used only for meeting the expenses towards expansion of

* Not recorded

insurance business, strengthen solvency margin and also help in fulfilling the corporate responsibility.

Presently, the LIC is implementing various schemes for the welfare of weaker sections of the society. For implementation of these schemes, the funds are provided by the Central Government.

Sir, in the end, however, I would like to reiterate that this amendment is in consonance with the Insurance Act 1938, which is applicable to all other life insurance companies and assure the hon. House that this amendment would be effective prospectively. This amendment would not have any adverse effect on the existing policyholders of LIC and will be applicable for the new policies from the date of notification.

Sir, with these remarks, I commend this Bill for the consideration of the House.

MR. CHAIRMAN): The question is:

> "That the Bill further to amend the Life Insurance Corporation Act, 1956, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 **Substitution of New Section for Section 5**

Amendments made:

Page 1, line 7, -

for "5"

substitute "5.(1)". (3)

Page 1, *for* lines 9 and 10,-

substitute "by law for the purpose". (4)

Page 1, *after* line 10,-

Insert "**(2)** The Corporation may issue and sell bonds and debentures or such other prescribed instruments carrying interest for the purpose of raising its working capital to such amount as may be prescribed." .(5)

(Shri Namo Narain Meena)

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That Clause 2, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2, as amended was added to the Bill.

Clause 3 **Amendment of Section 18**

Amendment made:

Page 2, *for* lines 1, *substitute,*-

‘(3). In Section 18 of the principal Act, for sub-section

Clause 3

Amendment made:

Page 2, *for* lines 1, *substitute,*-

‘(3). In Section 18 of the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(4).“There may be established as many divisional offices and branches in each zone as may be decided by the Corporation in accordance with the guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority established under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 in this regard.”.’. (6)

(Shri Namo Narain Meena)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 3, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.
Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 **Substitution of New Section for Section 28**

MR. CHAIRMAN: Shri Bansagopal, are you moving your amendment?

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY (ASANSOL): Sir, I beg to move:

Page 2, line 8,-

for "ninety"

substitute "ninety-five". (10)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 10 moved by Shri Bansagopal Choudhury to the vote of the House.

Those in favour may please say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS: 'Aye'

MR. CHAIRMAN: Those against may please say 'No'.

SEVERAL HON. MEMBERS: 'No'.

MR. CHAIRMAN: I think the 'Noes' have it.

SOME HON. MEMBERS: The "Ayes' have it.

MR. CHAIRMAN: They have demanded Division. We will have Division now. Let the Lobbies be cleared—

Now, the Lobbies have been cleared.

The question is:

Page 2, line 8,--

for "ninety"

substitute "ninety-five" (10)

The Lok Sabha divided:

DIVISION **15.52 Hrs.**

AYES

Acharia, Shri Basu Deb

Baske, Shri Pulin Bihari

Chowdhury, Shri Bansa Gopal

Dome, Dr. Ram Chandra

Karunakaran, Shri P.

Lingam, Shri P.

Malik, Shri Sakti Mohan

Mandal, Dr. Tarun

Natarajan, Shri P.R.

Panda, Shri Prabodh

Rajesh, Shri M.B.

Riyan, Shri Baju Ban

Roy, Shri Mahendra Kumar

Saha, Dr. Anup Kumar

Sampath, Shri A.

Satpathy, Shri Tathagata

Singh, Dr. Raghuvansh Prasad

NOES

Aaron Rashid, Shri J.M.
Agarwal, Shri Jai Prakash
Ahir, Shri Hansraj G.
Amlabe, Shri Narayan Singh
Argal, Shri Ashok
Bais, Shri Ramesh
Baite, Shri Thangso
Baliram, Dr.
Balmiki, Shri Kamlesh
Banerjee, Shri Ambica
Banerjee, Shri Kalyan
Bansal, Shri Pawan Kumar
Bapiraju , Shri K.
Basavaraj, Shri G. S.
Beg, Dr. Mirza Mehboob
Besra, Shri Devidhan
Biswal, Shri Hemanand
Chakravarty, Shrimati Bijoya
Chauhan, Shri Prabhatsinh P.
Chidambaram, Shri P.
Chitthan, Shri N.S.V.
*Choudhary, Shri Bhudeo
Choudhary, Shri Harish
Chowdhary, Shrimati Santosh
Davidson, Shrimati J. Helen

* Voted through slip for Noes

De, Dr. Ratna

Dhanapalan, Shri K. P.

Dhruvanarayana, Shri R.

Dikshit, Shri Sandeep

Dubey, Shri Nishikant

Engti, Shri Biren Singh

Ering, Shri Ninong

Gavit, Shri Manikrao Hodlya

Geete, Shri Anant Gangaram

Gogoi, Shri Dip

Gouda, Shri Shivarama

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hassan, Dr. Monazir

Hussain, Shri Ismail

Jaiswal, Shri Gorakh Prasad

Jakhar, Shri Badri Ram

Jena, Shri Srikant

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha

Kashyap, Shri Virender

*Kaypee, Shri Mohinder Singh

Kharge, Shri Mallikarjun

Krishnasswamy, Shri M.

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Ramesh

Kumar, Shri Shailendra

Kumari, Shrimati Putul

Kurup, Shri N. Peethambara

Lakshmi, Shrimati Panabaka

---

* Voted through slip for Noes

Madam, Shri Vikrambhai Arjanbhai

Mahato, Shri Baidyanath Prasad

Mandal, Shri Mangani Lal

Manjhi, Shri Hari

Mcleod, Shrimati Ingrid

Meena, Shri Namo Narain

Meena, Shri Raghuvir Singh

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mishra, Shri Govind Prasad

*Moily, Shri M. Veerappa

Narah, Shrimati Ranee

Narayanasamy, Shri V.

*Natrajan, Kumari Meenakshi

Nirupam, Shri Sanjay

Noor, Kumari Mausam

Pandey, Dr. Vinay Kumar

Pandey, Shri Gorakhnath

Pandey, Shri Rakesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Shri Dinsha

Patel, Shri Kishanbhai V.

Pradhan, Shri Amarnath

Premdas, Shri

Purandeswari, Shrimati D.

---

* Voted through slip for Noes

Rajagopal, Shri L.

Ramasubbu, Shri S.S.

Rathwa, Shri Ramsinh

Roy, Shri Arjun

Ruala, Shri C.L.

Sayeed, Shri Hamdullah

Shekhawat, Shri Gopal Singh

Singh, Shri Ijyaraj

Singh, Shri R.P.N.

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sukhdev

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Vijay Bahadur

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Shri Makansingh

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan

Tagore, Shri Manicka

Tandon, Shrimati Annu

Taviad, Dr. Prabha Kishor

Tewari, Shri Manish

Thakor, Shri Jagdish

Thamaraiselvan, Shri R.

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

*Thomas, Shri P.T.

*Udasi, Shri Shivkumar

---

* Voted through slip for Noes

Venugopal, Shri D.

Vundavalli, Shri Aruna Kumar

Vyas, Dr. Girija

Yadav, Prof. Ranjan Prasad

Yadav, Shri Hukmadeo Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

MR. CHAIRMAN : Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 17

Noes: 107

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 **Amendment of Section 37**

Amendment made:

Page 2, *for* lines 18 to 20, *substitute,-*

'**6**. In Section 37 of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Corporation shall endeavour that its funds are invested in the attractive schemes formulated by it to ensure increased bonus to policyholders while having least investment risk so as to enable the Corporation to play a greater role in economic enrichment of the masses while maintaining its position as a leader player in the market.".'. (7)

(Namo Narain Meena)

MR. CHAIRMAN: The Amendment no.11 tabled by Shri Gurudas Dasgupta has become redundant.

* The following Members also recorded their votes through slips;
Noes 107 + Shri Bhudeo Choudhary+Shri Mohinder Singh Kaypee +Shri M.Veerappa Moily + Shrimati Meenakashi Natrajan +Shri P.T. Thomas +Shri Shivkumar Udasi =113.

The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6

Amendment made:

Page 2, *for* lines 18 to 20, *substitute,-*
'**6**. In Section 37 of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Corporation shall endeavour that its funds are invested in the attractive schemes formulated by it to ensure increased bonus to policyholders while having least investment risk so as to enable the Corporation to play a greater role in economic enrichment of the masses while maintaining its position as a leader player in the market.".'. (7)

(Namo Narain Meena)

MR. CHAIRMAN : The Amendment No. 11 tabled by Shri Gurudas Dasgupta has become redundant.

he question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clause 7 **Amendment of Section 44**

Amendment made:

Page 2, *for* lines 21, *substitute,-*

7. In Section 44 of the principal Act, in clause

(b) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that nothing contained in this clause shall apply on and from the date on which the provisions contained in section 2E of the Insurance Act, 1938 shall cease to operate."..

(8)

(Shri Namo Narain Meena)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clause 8 **Amendment of Section 48**

Amendment made:

Page 2, *for* lines 22 and 23, *substitute,-*

8. In Section 48 of the principal Act, in sub-section (2),-

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) the instruments which may be issued and the amount of

working capital under sub-section (2) of section 5;";

(ii) in clause (cc), the words "and agents" occurring at both the places, shall be omitted.'. (9)

(Shri Namo Narain Meena)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 8, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.
Clause 9 was added to the Bill.

Clause 1 **Short Title and Commencement**

Amendment made:

Page 1, line 2,-

for "2009"

substitute "2011". (2)

(Shri Namo Narain Meena)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Sixtieth"

substitute "Sixty-second". (1)

(Shri Namo Narain Meena)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : Now the hon. Minister may move that the Bill, as amended, be passed.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, we are walking out in protest. … (*Interruptions*)

15.57 hrs.

At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other hon. Members left the House

MR. CHAIRMAN : The Lobbies may be opened now.

15.59 hrs.

(iii) PETROLEUM AND MINERALS PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) AMENDMENT BILL, 2010

MR. CHAIRMAN : Now we will take up Item No. 19.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, be taken into consideration."

Sir, to eliminate, reduce pilferages and sabotage of oil pipelines, a need has been felt by the petroleum industry for amending Sections 15 and 16 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, to make them more stringent and enable the law enforcing agencies to award deterrent punishment to offenders.

MR. CHAIRMAN : If you want to speak more, you can do so now.

SHRI R.P.N. SINGH: No, Sir. I have moved the Bill. I will speak after the discussion.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, be taken into consideration."

16.00 hrs.

(Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदया, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 मंत्री जी ने जो पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन विधेयक पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 में किया जा रहा है। इसमें धारा 15 और 16 के स्थान पर सरकार यह संशोधन बिल लाई है। सरकार ने स्वीकार किया है कि देश में इन पाइपलाइनों द्वारा पेट्रोलियम और गैस का जो परिवहन होता है, उसमें पाइपलाइनों से चोरी करके पेट्रोलियम और गैस निकाली जाती है। इससे पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय को काफी नुकसान होता है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाने के लिए यह संशोधन विधेयक पेश किया है। इस बिल के माध्यम से कठोर कानून बन जाएगा, लेकिन कठोर कानून होने के बाद भी क्या यह कानून पाइपलाइनों से गैस और पेट्रोलियम की चोरी रोकने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा मैं नहीं मानता।

इस बिल में बताया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस को ले जाने के लिए कई भूमिगत पाइपलाइनें संपूर्ण देश में बिछाई गई हैं। ऐसी पाइपलाइनों के नेटवर्क में काफी वृद्धि हुई है। पाइपलाइनों की नियमित गश्त और निरीक्षण के बावजूद गैर सामाजिक तत्वों द्वारा प्रायः पाइपलाइनों की चोरी और उनके ध्वंसन की काफी घटनाएं हो रही हैं। चूंकि कच्चा पेट्रोलियम और इसके उत्पाद परिसंकटमय सामग्री हैं इसलिए ऐसी पाइपलाइनों से उनकी चोरी और छलकाव का गंभीर परिणाम होता है। आपने स्वीकार किया है और बाद में यह भी कहा है कि शिकायत करने के बाद सुरक्षाकर्मियों को धमकाया जाता है और इन शिकायतों की जो एफआईआर होती है, चोरी के मामले दर्ज होते हैं, उनमें भी बाधा पहुंचाई जाती है। देश में इस प्रकार की चोरी करने वालों का बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसे तेल माफिया कहा जाता है। देश में जहां पर अभी ऐसी पेट्रोलियम और गैस के परिवहन हेतु गैस के लिए 6554 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है और भविष्य में 4721 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरह पेट्रोलियम के लिए आपने 7404 किलोमिटर की पाइपलाइन बिछाई है और भविष्य में और पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। सरकार की पेट्रोलियम कम्पनीज जैसे ओएनजीसी है, जो विदेशी कम्पनीज द्वारा बाहर से भी पेट्रोलियम लाने के लिए एग्रीमेंट करती है, उसके द्वारा भविष्य में बाहर के देशों से पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम लाने की योजना बनाई जा रही है। इसे सरकार कितनी सुरक्षा दे सकेगी, इस बारे में सरकार ने तैयारी की है, वह काफी हद तक सही है।

हमारे देश में इस तरह की जो पाइपलाइनें बिछी हैं, उनकी सुरक्षा करने और सरकार द्वारा यह कबूल करना कि वे असुरक्षित हैं, सही बात है। भारत में कई जगह पेट्रोलियम पदार्थ और खनिज पदार्थों का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन नार्थ-ईस्ट में होता है। वहां देश में कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत होता है। वहां पर आतंकवादी, उग्रवादी संगठनों जैसे उल्फा है, उनके द्वारा कई बार इन पाइनपलाइनों को नुकसान पहुंचाया जाता है और परिवहन में बाधा डाली जाती है। ऐसे समय में सरकार नो जो कठोर कदम उठाए हैं और कानून बनाने की पहल की है, हम उसका समर्थन करते हैं।

सभापति महोदया, मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिकायतकर्ता होते हैं, वे चाहे विभाग के अधिकारी हों या कर्मचारी, उन पर चोरी करने वाले और पाइपलाइनों को क्षति पहुंचाने वाले हमला करते हैं और धमकाते भी हैं। बिल में भी बताया गया है कि ऐसी शिकायतों को दर्ज कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले होते हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए भी इस बिल में जिक्र करना चाहिए था।

मैं महाराष्ट्र की एक घटना का उल्लेख करुंगा। महाराष्ट्र में एक उप-जिलाधिकारी एक पेट्रोल पम्प पर गये थे। वहां वह चोरी के मामले की शिकायत पर गये थे लेकिन तेल माफियाओं ने उस उप-जिलाधिकारी को जिंदा जला दिया। यह घटना आज की नहीं है, ऐसा काफी जगह पर होता है। हर क्षेत्र में गिरोह बनते जा रहे हैं इसलिए सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें और कारगर बनाने के लिए कठोर कानून बनाएं लेकिन साथ में जो आधुनिक तकनीक है, उसका भी उपयोग सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। सेंसर, सीसी कैमरे हैं, सेटलाइट है, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। देश के कई ऐसे भाग हैं जहां पर आदमी नहीं है, वहां से पाइप लाइन आती होगी। वहां पर अगर चार पुलिस वाले जाएंगे तो उन पर हमला हो सकता है। ऐसी जगहों पर नई तकनीक का उपयोग होना चाहिए। जहां पर पाइप लाइन को काटकर गैस की चोरी हो रही है, तो आधुनिक तकनीक के द्वारा इस चोरी का पता लगाया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सीसी कैमरों, सेंसर के द्वारा चोरी का पता लगाया जाना चाहिए, जिससे शिकायत कर्ता की जरूरत भी न पड़े। मैं आपके बिल का समर्थन करते हुए यह भी कहूंगा कि कर्मचारियों के द्वारा जब शिकायत की जाती है तो पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन गवाह को कोर्ट में जाने से पहले धमकाया जाता है। कोर्ट के द्वारा अपराधियों को सजा मिलने में काफी बाधाएं आती हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इन मामलों में आप आधुनिक तकनीकों का उपयोग कीजिए, जिससे गवाह की जरूरत भी न पड़े। उन चोरों को कोर्ट में पेश करते समय मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। आपने इस बिल में दिया है कि जितने अपराधी लोग हैं उन अपराधी लोगों पर कार्रवाई करने की बात तो आपने कही है, लेकिन मेरा अनुभव है कि कई कर्मचारी और अधिकारी विभाग के इन चोरों और माफिया

लोगों से मिले होते हैं। वे लोग जानबूझकर शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए शिकायत न करना भी अपराध माना जाना चाहिए। आपने सजा को बढ़ाकर तीन साल की जगह दस साल किया है और दंडित करने का प्रावधान किया है, यही दंड उन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मिलना चाहिए, जो अधिकारी या कर्मचारी इन चोरों और माफिया लोगों के साथ मिलकर अपनी उगाही करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। अगर इस अमेंडमेंट बिल में इन सारी बातों का उल्लेख किया होता तो शायद यह और भी अच्छा होता। आपने इसमें काफी बातें कही हैं और धारा 15-16 में जो आपने दिया है कि अपराधियों पर आपने नॉन-कॉग्निजिबल धाराएं लगाकर बेल न मिलने का भी आपने प्रावधान किया है और यह अच्छी बात है। जहां पर तीन वर्ष की सजा थी, एक वर्ष की सजा थी, उसे बढ़ाने के लिए आपने लिखा है। मैं समझता हूं कि देश के कीमती उत्पाद की चोरी रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, इसका सभी लोग समर्थन करेंगे और इसमें हम खाली पुलिस पर ही निर्भर न करें बल्कि पुलिस के सिवाय, हमारे संबंधित विभाग के भी कुछ सुरक्षा बल का निर्माण होना चाहिए। उन्हें भी चोरियां रोकने के लिए अधिक अधिकार देने की जरूरत है। अगर हम पुलिस को मदद करने के लिए संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी न डालेंगे तो आपका बिल अपनी जगह पर रहेगा और देश में तेल माफियाओं पर इसका कोई असर होने के आसार मुझे नहीं दिखते हैं। इस बिल को और भी कारगर बनाने के लिए आपको संबंधित विभाग का एक सुरक्षा बल बनाने की जरूरत है। इस देश के बड़े-बड़े शहरों को गैस सप्लाई करने के लिए और भी पाइप-लाइन आपको बिछानी हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन हैं वहां भी गैस पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछानी हैं।

देश के अधिकांश भागों में नक्सली गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में उल्फा जैसे संगठनों ने कई बार हमारी पाइप लाइन को क्षति पहुंचाई है। परिवहन को भी क्षति पहुंचाई है। भविष्य में हम जहां नेटवर्क बढ़ाने जा रहे हैं, जहां नक्सली गतिविधियां हैं, वहां हमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Madam, Chairman, I rise to support the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2011.

Madam, the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 was enacted to provide for the acquisition of right of the users in land for laying pipeline for the transport of petroleum products such as crude oil and gases.

It has been a very long time that the petroleum and the gas pipelines have increased not in a small amount but, as my learned friend Mr. Gangaram Ahir has said, that more than 6,500 kilometers of pipelines have been laid throughout the country. The protection and the forces that are put in place for that are unable to contain the pilferage and the sabotages that are taking place in various parts of the country. It is true that he has not mentioned anything about the North-East region. It is a place from where I come. In the North-East, it is infested by naxalites, ULFAs, NSCNs and other kind of such anti-social elements which pave way to bring all these kinds of difficulties for the officers and the police forces that are working there.

Madam, this Bill is to strengthen the police forces so that the people who are involved in such activities be punished severely. Of course, some stringent measures have already been taken up.

I would like to give a reference of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas which had given its observations. I would also like to give a reference regarding a death sentence in the rarest of the rare cases.

As per Section 354 of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides:

> "When the conviction is for an offence punishable with death or, in the alternative, with imprisonment for life or imprisonment for a term of years, the judgment shall state the reasons for the sentence awarded, and, in the case of sentence of death, the special reasons for such sentence."

This definition has been given by the hon. Supreme Court. The Standing Committee on Petroleum and Natural Gas has given in its Report that they are not basically against the stringent provisions proposed in section 15(4).

Although the new provisions proposed in Section 15(4) are to provide sufficient deterrence to potential offenders, the Committee apprehend the scope for misuse of these harsh provisions against innocent people.

As regards the punishment of death proposed in Section 15(4), the Committee take note of the safeguards provided for in Section 354(3) of CrPC 1973 and particularly the observations of the hon. Supreme Court, which says:

> "A real and abiding concern for the dignity of human life postulates resistance to taking the life through laws instrumentality. This ought not to be done save in the rarest of rare cases when the alternative option is unquestionably foreclosed. "

Now, Madam, there are cases. I have been to several parts of the country during my tours. I am also in the Committee on Science and Technology and we had a chance to visit most of the parts of Gujarat and also the Bombay High. We had seen such accidents do take place. I would like to give a reference. When we had been to Bombay High, we got a Report that some ship fishermen go around these pipelines with their nets, they had these mistakes. There were two instances where the pipelines were eroded and oils had leaked. In these cases, Madam, you will see that it is very hazardous and especially to ecology and environment. But an accident is an accident. In these cases, this kind of law, as the Standing Committee has said, maybe 'not justified'. Like they say, " let a thousand criminals go unpunished but never punish an innocent man". So, in this regard, I am sure that even though these laws have to be enacted, we have to see that the

innocent farmers, say in Punjab or Haryana or Gujarat are not affected. I had been to Jamnagar where the Reliance Company was laying its lines. We have this problem with the farmers and we have this problem with the innocent people. There are cases where these pilferages take place due to this small kind of accident by the farmers or by the innocent people unknowingly. So, we have to see what kind of 'omission' or 'commission' has to be put as a provision in this Bill.

Madam, I would like to state that in the North East we have these oil refineries in Guwahati, Bongaigaon and Numaligar. When the pipelines come from Digboi and other oilfields to these refineries, it becomes a very risky job. It is true that there have been cases of sabotaging. But here, the attitude of the people and all of us has to be involved. We have to educate the people, the farmers and also the locals. We have to tell them: "No, this is a property of the country. These laws will be good for us. This will not be an accident just for us but it will be for the whole nation and the whole world if it is an environmental hazard."

The pipelines of GAIL, Reliance and other companies have been laid throughout the country. Not only the police force or the escorts that have been put to look after these pipelines but also the local people have to get themselves involved. It is our duty, as the Legislators, as the Members of Parliament, to go to our areas and tell them: "What is a State property? What is the country's property? What kind of benefits we will get in the future." It is because sometimes, the States would say that it is the Centre's responsibility and the Centre would say that it is the States' responsibility. So, these kinds of cases would also come. Such cases can be resolved only when there is an interaction between the Central Government and the State Governments.

Madam Chairperson, I would really like to support this Bill because you would find that Section 15 and 16 of the aforesaid Act, which lay down the provisions to deal with the cases of pilferage from, or sabotage of, pipelines, do

not provide for sufficient deterrence to criminals from committing the offence of pilferage or sabotage. That is the reason why this Amendment has to be made.

The salient feature of this Amendment Bill is that it is proposed to substitute the said Sub-section (2) of Section 15 of the aforesaid Act and insert Sub-section (3) and (4) in that Section, *inter alia,* to provide that –

a. whoever makes or causes to make any authorised connection with, or removes, destroys, damages or displaces any pipeline or inserts any device to extract petroleum or its products or minerals from such pipeline or disrupts supplies being made through the pipeline, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine;
b. a person, who is convicted or an offence under Sub-section (2), commits the offence again under the sub-section shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years and may extend to 10 years for the second or subsequent offence; and
c. whoever, with the intent to cause or knowing that he is likely to cause damage to or destruction of any pipeline, causes by fire, explosive substance or otherwise damage to, or destruction of, any pipeline being used for transportation of crude oil/petroleum products/gas with the intent to commit sabotage or with the knowledge that such act is so imminently dangerous that it may in all probability cause death or a person or such bodily injury likely to cause death of any person, shall be punishable with rigorous imprisonment which shall not be less than 10 years and may extend to imprisonment for life or death.

Now, there is a new provision which says that under Section 16 of the aforesaid Act, to make the offences under Sub-section (2), (3) (4) of Section 15 of the said Act, to be cognizable and non-bailable. But my learned friend, while speaking, misunderstood it. He said, it is non-cognizable. But let me tell him that it is not non-cognizable. But it is cognizable. A cognizable offence is an offence, on which any police officer or a magistrate on duty, can take action immediately.

So, with these kind of provisions, this Amendment will make this Bill more strong; and it will give more powers to the police force and the magistrates, who will be doing their duty throughout and making the rounds.

Hence, I support this Bill. I would really like to thank the hon. Minister that because of these stringent measures that he is going to take, we will bring in a kind of confidence among the officers, who are going to implement the utility of their services.

With these few words, I support this Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वैसे यह विधेयक बहस का मुद्दा नहीं है, इसे ऐसे ही पास करना चाहिए क्योंकि मंत्री जी आज बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। इस बिल में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद और गैस को ले जाने के लिए भूमिगत पाइपलाइन संपूर्ण देश में बिछाई गई है, यह सर्वविदित है।

जहां तक इसकी सुरक्षा और संरक्षण की बात है, गश्त और निरीक्षण के बावजूद पाइपलाइनों की चोरी और ध्वस्त करने की घटनाएं बराबर मिली हैं। जैसा कि सम्मानित सदस्य अहीर जी ने कहा कि आतंकवादियों की साजिश या विभाग से मिलकर कुछ लोगों की साजिश हो सकती है।
जैसे बिजली की चोरी में अक्सर देखा जाता है कि चोरी तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि विभाग के लोग मिले न हों। इसके लिए आपने कठोर सजा का प्रावधान किया है और मैंसमझता हूं कि कठोर दंड देने की आवश्यकता भी है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने इस बिल में तीन और दस के रेश्यो में सजा का प्रावधान किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें आपको जुर्माने का भी प्रावधान करना चाहिए और कम से कम पचास हजार या एक लाख रुपये जुर्माने की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। इसलिए आप इस बिल में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान कीजिए।

मैं आपका ध्यान चेन्नई पैट्रो पाइप लाइन परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके रास्ते में पैट्रोल मंत्रालय का रोड़ा है, जैसे तमिलनाडु की मनाली रिफायनरी के लिए कच्चे तेल की पाइप लाइन बिछाने की 126 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी पाइप लाइन परियोजना को पैट्रोलियम मंत्रालय ने मंजूरी देने से इनकार किया है। यदि मान लीजिए इसकी शुरूआत हो जाती है और इससे लोगों को फायदा मिलता है तो हम चाहेंगे कि मंत्री जी इसे मंजूरी दे दें, ताकि वहां के लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसके पहले सदन में जब भी चर्चा हुई है तो मैंने हर बार मांग की है कि जिस तरह से आप पाइप लाइन से गैस की सप्लाई करते हैं, रिफायनरी के अलावा घरों में जलाने वाली जो रसोई गैस की सप्लाई होती है, यदि इसके तहत आप सिलेंडरों की व्यवस्था खत्म करके पाइप लाइन से हर घर में गैस की सप्लाई दे दें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा। उससे गैस की चोरी रुक जायेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और तमाम लोगों को इससे सुविधा भी मिलेगी। महानगरों में आपने कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था की है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि आने वाले समय में आप रसोई गैस पर जो सब्सिडी देते थे, उसे आप खत्म करने जा रहे हैं। यदि आप यह खत्म करेंगे तो मेरे ख्याल से एक सिलेंडर की कीमत करीब सात सौ रूपये हो जायेगी। हमारा

निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था न करें, बल्कि हम चाहेंगे कि आप सिलेंडरों की व्यवस्था खत्म करके पाइप लाइन के द्वारा सब घरों में रसोई गैस की सप्लाई की व्यवस्था करा दें तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सात हजार पैट्रोल पम्पों को कंप्यूटराइज करके डिवाइस लगाने जा रहे हैं, यह डिवाइस काफी पम्पों पर लग भी चुकी है। मेरे ख्याल इससे पैट्रोल पम्पों पर जो मिलावट होती है, उसे रोकने में और कम तौलने पर कुछ अंकुश लग सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह सिफारिश भी करना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनको मिलने वाले कमीशन का भी ध्यान रखें। यदि उन्हें पर्याप्त कमीशन मिलेगा तो मिलावट और कम पैट्रोल डालने की जो शिकायते हैं, वे बिल्कुल नगण्य हो जायेंगी।

इसके अलावा आपने 2006 से 2011 तक तीन नीति पर तेल वितरण का कार्य किया है। तेल वितरण कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनका कुप्रबंधन जिम्मेदार है। वर्तमान मंदी के कारण जो महंगाई हुई है, पांच लाख करोड़ रुपये उसके परिणामस्वरूप हैं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में रुपये का अवमूल्यन हुआ है, हमारे रुपये का मूल्य घटा है, उससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप कच्चे तेल की जो खरीद करते हैं, उससे घाटे की संभावना बढ़ गई है और उससे महंगाई बढ़ जाती है।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बगल में दादरी है। वहां पर गैस आधारित परियोजना में एक संयत्र लगाने की बात थी। उस पर इस सदन में कई बार चर्चा भी हो चुकी है। मेरे ख्याल से पैट्रोलियम मंत्रालय उस थर्मल पावर प्रोजैक्ट को यदि गैस की सप्लाई दे दे तो वहां पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन भी बढ़ेगा और उससे हम केवल उत्तर प्रदेश को ही 24 घंटे बिजली नहीं दें सकेंगे, बल्कि अन्य प्रदेशों को भी हम बिजली दे सकते हैं।

16.29 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी की खूबसूरती और सुंदर वस्त्रों को देखकर भरपूर तरीके से इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश की सबसे महत्वपूर्ण और घर-घर, गांव-गांव तक व्यवस्था में जुटी हुई पैट्रोलियम खनिज पदार्थ, गैस पाइप लाइन, कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उसमें समय-समय पर कुछ कठिनाइयां और कुछ माफियाओं द्वारा उसका विध्वंसक स्वरूप बनाकर नुकसान पहुंचाने या चोरी करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं।

महोदय, एक तो नक्सलियों द्वारा ऐसी कठिनाईयां मिलती हैं जिनका उद्देश्य होता है कि देश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए। कुछ माफियां है जिनका उद्देश्य है कि गिरोह बनाकर के संपदा को लूटना या चोरी करना। देश में 65 सौ से ज्यादा पाइप-लाइनें बिछाई गई हैं। उनके रख-रखाव और व्यवस्था के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कठिनाइयां हैं।

महोदय, यह देश की व्यवस्था से संबंधित विधेयक है। इसमें चोरी या लूट को रोकने के लिए और नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को दण्डित करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इसमें कठोर दण्ड के प्रावधान होने चाहिए जो उस प्रकार के नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में जो व्यवस्था दी है, उसमें किसी में दस साल की सजा का प्रावधान, कहीं 3-10 साल की सजा का प्रावधान है और इसे संज्ञेय अपराध घोषित करते हुए कहीं न कहीं इसे रोकने की तो व्यवस्था है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जान-बूझ कर इसमें लिप्त हैं, उनके लिए और भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

पुलिस राज्य का विषय होता है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भी कहीं न कहीं कुछ कमियां होती हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज के समय में कुछ तो अपराध में लिप्त लोग हैं जिन्हें सजा मिलनी चाहिए और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं न कहीं जालसाजी से किसी और को फंसाने का प्रावधान भी करते हैं। उधर भी ध्यान जाना चाहिए। कहीं-कहीं विभाग की गड़बड़ियों से भी यह फाल्ट होते रहते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जैसे मुम्बई हाइवे में ऐसी दुर्घटनाएं हुई, गुजरात में भी हुईं हैं, जो कि वहां भी जानबूझ कर नहीं होती हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं और देश का बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसको कैसे रोका जाए? मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहूंगा। जितना नुकसान चोरी से हो रहा है, उसको रोक कर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था करें तो भी हमें ज्यादा लाभ मिल सकता है। क्योंकि चोरी से हमारे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम और कच्चे तेल का हर वर्ष बहुत नुकसान होता है। इसी सुरक्षा व्यवस्था राज्य का विषय तो है ही साथ ही साथ केंद्र में भी उसे अपने स्तर से व्यवस्थित किया जा सकता है।

मैं एक बिंदु के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कहीं-कहीं ऐसे गिरोह होते हैं, जिनका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना और चोरी करना होता है। अगर कोई शिकायतकर्त्ता उसकी शिकायत करता है तो उसे भी प्रताड़ित करने या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस पर भी ध्यान देनी की जरूरत है। चोरों और माफियाओं के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए ताकि इस व्यवस्था को रोका जा सके।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह गांवों से जुड़ी हुई समस्या है। हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है। चाहे रसोई गैस के रूप में हो, गाड़ी की गैस के रूप में या डीजल-पैट्रोल के रूप में हो, अपने कृषि उत्पाद के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि गैस पाइप-लाईन से उसकी आपूर्ति हो। अभी महानगरों और छोटे नगरों तक ही इसकी आपूर्ति हो रही है। उसके लिए भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि छोटे कस्बों और गांवों को भी इस व्यवस्था से जोड़ने का प्रावधान बनाए ताकि लोग पैट्रोल पम्पों पर घटतौली से जो डीजल पैट्रोल लेने जाते हैं, वहां उन्हें मिलावटी सामान न मिले।

उसके लिए भी जो रोक-रूकावट की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है।

महोदय, दूसरी तरफ घटतौली की बात है, घटतौली को रोकने के लिए भी पाइप लाइन से जो व्यवस्था मिलती है, उसका लाभ गांव के लोगों को भी मिलेगा क्योंकि आज इन व्यवस्थाओं से सारे लोग जुड़ चुके हैं।

महोदय, दुर्घटनाओं के साथ-साथ पर्यावरण भी इससे प्रभावित होता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आपका यह एक्ट निश्चित रूप से सराहनीय है, हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। जो आपने प्रावधान बनाया है, उसे रोकने के लिए जो दण्ड का प्रावधान बनाया है, जो जुर्माने का प्रावधान बनाया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय तो है, लेकिन उसे रोकने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। उसके लिए और कठोर कानून बनाये जायें और जो जानबूझकर संज्ञेय अपराध करते हैं, जो ऐसे माफिया हैं, जो ऐसे गिरोह हैं, जो ऐसे चोरों के गिरोह हैं, उन पर और अधिक जुर्माना लगे और उनके लिए और अधिक दण्ड का प्रावधान हो ताकि इसे रोका जा सके।

इन्हीं बातों के साथ इस बिल के लिए हम आपका समर्थन करते हैं।

डॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय): महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक 2010 पर बोलने का अवसर दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। तेल और गैस को लेकर सारी दुनिया में एक माहौल और एक मारकाट की स्थिति है। हमारे देश के अंदर पाइपलाइन को बिछाने के लिए कड़े-कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। हमारे देश के अंदर जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के तहत जितने तेल और जितने गैस ईंधन की आवश्यकता है, सरकार की गलत नीतियों के कारण और या हम कह सकते हैं कि सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति के कारण सरकार एक अच्छी पॉलिसी बनाने में अभी तक विफल दिखाई दे रही है। इस सेक्टर को दरअसल एक मजबूत और ठोस पॉलिसी की जरूरत है। हम यह बताना चाहते हैं कि तेल और गैस को लेकर जो कानून आप बना रहे हैं, उन्हें सख्ती से लागू करने के लिए जिन कानूनों का प्रावधान किया गया है, अभी माननीय सदस्य घटतौली की बात कर रहे थे। तेल आबंटन में, गैस के आबंटन में जो भ्रष्टाचार और जो करप्शन है, मैं दूसरे राज्य के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन बिहार राज्य के बारे में जो हम लोगों के पास जानकारी है और जो हमारे मित्र सांसदों के पास जानकारी उपलब्ध है, एक भी, अभी मैं जो हमारा गिरि जिला मुंगेर है, वहां गैस की एक डीलरशिप निकली, उसमें 12 लाख रूपया लिया गया, मंत्री जी इसे नोट किया जाये। हमारे साथी वैद्यनाथ महतो जी बैठे हुए हैं, पश्चिमी चंपारण के अंदर जितने भी पैट्रोल के और गैस के आबंटन हुए, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है, क्या प्वाइंट बनाया है, क्या उसका मापदंड है, यह देखने का विषय है और यह जांच का विषय है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसे देखने की कृपा की जाये। जो कानून आप यहां बना रहे हैं और जो घूस देकर के पैट्रोल की, गैस की एजेंसी लेगा, वह पैट्रोल के अंदर केरोसिन की मिलावट, डीजल के अंदर केरोसिन की मिलावट निश्चित रूप से करेगा। माननीय मंत्री जी मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं, बेगूसराय जिला, बेगूसराय जिले में आईओसी की बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। वहां की स्थिति क्या है, जहां तक मुझे जानकारी है, बेगूसराय के अंदर जो तेल रिफाइनरी है, उसकी क्षमता छह मिलियन मीट्रिक टन तेल साफ करने की है।

उसको उतना क्रूड आइल नहीं मिलने की वजह से वह कंपनी घाटे में जा रही है। वहाँ 876 की संख्या में स्टाफ है। आप हर तीन-चार महीने बाद वहाँ के ईडी को बदल देते हैं। एक आदमी आता है, वह कुछ समझ भी नहीं पाता है क्योंकि इतनी बड़ी आइल रिफाइनरी है, जिसका बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा निर्माण कराया गया था, लेकिन आज वह घाटे की शिकार है। हज़ारों लोगों की रोज़ी उससे जुड़ी हुई है।

वहाँ पर हम चाहेंगे कि उनको तेल दिया जाए। मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप चार महीने पर ईडी बदलते हैं, लेकिन एक डीजीएम (एच आर) वहाँ पर है, ...* वह पिछले पाँच साल से वहाँ जमे हैं और सारे भ्रष्टाचार की गंगोत्री की जड़ जिनको हम कह सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): नाम नहीं लेना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The name should be deleted.

...(व्यवधान)

डॉ. मोनाज़िर हसन : जिस ईडी को आप भेजते हैं, वहाँ हम शिकायत करते हैं कि वहाँ पर इस तरह के मामले हैं, लेकिन कोई अपने घर से लाकर ठेकेदारी करवा रहा हो, वहाँ पर कालाबाज़ारी करवा रहा हो और बेगूसराय तथा बरौनी जैसी आइल रिफाइनरी, जिसको श्रीबाबू जैसे लोगों ने बनाने का काम किया था, आज वह बीमार हालत में दिखाई दे रही है।

महोदय, फर्टिलाइज़र किसी समय में बेगूसराय की नाक हुआ करता था और हज़ारों लोगों की रोज़ी और रोज़गार से जुड़ा हुआ था। मैंने निवेदन किया था कि वहाँ फर्टिलाइज़र प्लांट में गैस पाइपलाइन की व्यवस्था कराई जाए। मेरी इस संबंध में मंत्री जी श्रीकांत जेना जी से बात हुई और उन्होंने मुझे एश्योर किया कि मैं फर्टिलाइज़र प्लांट को चालू करने का काम करूँगा। पिछले दिनों राम विलास पासवान जी ने उसके जीर्णोद्धार के लिए चुनाव के दिनों में आश्वासन ही सही, लेकिन उसका शिलान्यास करने का काम किया था। उसमें अगर आप पाइपलाइन देते हैं तो बेगूसराय की हँसी-खुशी उस फर्टिलाइज़र प्लांट के आने के बाद वापस आ सकती है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि बेगूसराय में आईओसी के अंदर एक सैन्ट्रल स्कूल है। इस स्कल में वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इस स्कूल को हटाने की साजिश चल रही है। उसको रुकवाने की कोशिश की जाए क्योंकि वह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। एक बात यह भी है कि जो सोशल कार्पोरेट रिस्पाँसिबिलिटी होती है, बेगूसराय और बरौनी के अंदर जो आईओसी की फैक्ट्री है, वह कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहाँ तक निर्वाह कर रही है, वह हम नहीं कह सकते हैं। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमें जहाँ तक जानकारी है कि दो प्रतिशत पैसा दस किलोमीटर के रेडियस में खर्च होना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा है। इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए हम चाहेंगे कि आप बिहार के इस तेल आबंटन में, फर्टिलाइज़र में पाइपलाइन के बारे में और आईओसी के बारे में जिन बातों की तरफ मैंने ध्यान आकृष्ट किया, उसकी तरफ तवज्जो देने का काम करेंगे।

---

* Not recorded.

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Thank you, Sir, for allowing me to speak on this Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill. The Bill is primarily aimed at amending the said Act of 1962 to plug the incidents of pilferage and sabotage of pipelines. This no doubt is a welcome step and a step in the right direction. The Bill is also aimed at imposing more stringent punishment. In fact, I should say that it is long overdue, but better late than never.

There is a huge amount of laying of underground pipelines to carry crude oil, petroleum products and gas. Over the past few years, this huge task has grown manifold. In spite of the efforts of the Government to stop pilferage and sabotage of pipelines, anti-social elements are always ahead of the Government. Hence, there is an urgent need to increase the stringent punishment exorbitantly to curb pilferage and sabotage of pipelines so that anti-social elements think twice before indulging in such activities, which result in loss to the national exchequer.

Under sub-section(2) of Section 15, wilful removal, damage of destroying of pipelines is punishable with rigorous imprisonment which shall not be less than one year but may extend to 3 years and shall also be liable to fine. This, I would feel, is not enough considering the number of incidents of pilferage and sabotage of pipelines by anti-social elements. Hence, I would like to suggest to the hon. Minister that rigorous imprisonment may be less than 3 years but may extend to 5 years and shall also be liable to fine.

Another welcome feature of this Bill is that Section 16 of the said Act makes the offences under sub-sections(2), (3) and (4) of Section 15 to be cognizable and non-bailable. I am of the firm belief that this proposal would go a long way in stopping the pilferage and sabotage of pipelines.

I would also like to state that monitoring mechanism must be reviewed on a regular basis at the Central level. I know it is a difficult task to monitor wide network of pipelines across the country. But, is there a way out to stop pilferage

and sabotage of pipelines? So, I would like to strongly urge the Government to pay special attention to monitoring aspect to curb pilferage and sabotage of pipelines to a great extent.

In the end, I would like to conclude by saying that with the passage of the Bill, a strong deterrence would be put in place and pilferage and sabotage of pipelines, if not, reduced drastically, at least would bring in a much needed respite from growing incidents of pilferage and sabotage of pipelines in the country.

In the context, I would also like to ask the hon. Minister though not related in this connection, please take the initiative so that our State, West Bengal get pipeline gas supply as soon as possible.

Thank you Sir. I support this Bill.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you Mr. Chairman. I stand here to deliberate on this Bill which was moved by the previous Minister on 9th March, 2010. This Bill, at the outset, is a welcome step. It is a welcome step in the sense that it empowers the Government, the Ministry and the Department to lay pipelines which will become the veins to energize the body politic of our country. But at the same time, I think the lawyer friends who are present today in this House would support me in this cause that this infringes on the liberty of the citizens of the country. And I would delve into certain aspects on the empowerment that goes into that. In sub-section(4) of section 2, it says:-

> "whoever with the intent to cause or knowing that he is likely to cause damage or destruction of any pipeline laid under section(7) causes by fire, explosive substance or otherwise damage to the pipeline being used for transportation of petroleum products, crude oil etc"

Here the whole basis of this sub-section (4) is presumption. These assumptions are the very method to terrorize the people who intend to ventilate their grievance against the corporation or against the Government. So, in that respect, I can understand what happens when insurgency takes place, when left wing extremism does some fissiparous activity to sabotage. I can understand that the State moves in and takes precautionary measures. But, very little actually happens on the ground. The purpose for which this clause is included in this Bill is to strengthen the hands of the Government. Actually this does not dissuade the persons who want to sabotage or those persons who want to do pilferage. It is the law-abiding citizens of the country who are always made the victim. So, I think, the Government should look into this aspect. How would you distinguish the person who would methodically or democratically ventilate the people's cause? How would they be differentiated from the persons who are indulging in insurgent activities or Left-wing activities? That needs to be looked into.

Similarly, I would say that this Bill is for the benefit of the people who live in the hinterland. I can understand when a pipeline is laid from the North-East or from the State of Assam and is carried through the chicken-neck into the State of Bihar or parts of Uttar Pradesh or even to Madhya Pradesh. Insurgency is one of the main causes for that. But at the same time, I would also insist on the local interest from where the gas is being produced or petroleum product is being produced and it is being transported through pipelines. The areas through which those pipelines are being laid, the people of those areas should also feel that they are getting some support or getting some developmental activities. That is rarely happening not only in the North East but specially the coastal States of Indian peninsula also. Those coastal States also very rarely get the benefit. Take for instance the case of Paradip Port.

Recently, the Indian Oil Corporation has developed the Paradip Port and a pipeline has been laid. The pipeline has been laid to Haldia Port because Haldia Port is shrinking. Though you have an oil refinery, you cannot upgrade it. But you are not putting up that much of investment in Paradip and you are only connecting through a pipeline to Haldia. In that respect, only transportation of oil will be made through Paradip. In comparison to that, gas has been found in Krishna-Godavari basin. That gas by-passes the State of Orissa and goes into other parts of the country. As has been mentioned just now by our learned friend from Bihar about what the Chemical and Fertilizer Minister had mentioned some years back after he became a Minister, *viz.* to reinvigorate the fertilizer plants. Talchar is a fertilizer plant which has been closed for the last 15 to 20 years. It is because gas is not being provided. There is an agreement which I have been hearing for the last more than two years. The GAIL, ONGC, Fertilizer Corporation of India and some other companies have to work it out and make it viable so that, that plant can function. But because the gas is not being supplied or the gas pipeline does not pass through Orissa, Talchar plant is unable to function. That is one of the major reasons. When you are taking a gas pipeline or a petroleum pipeline through a

State, what benefit does that State get? It will only provide you a piece of land and also the State machinery has to protect and take adequate steps to protect that pipeline. In that, I would like to mention to the Minister that there is bond to be unrest in those areas if adequate steps are not taken to develop those areas through public participation and State support.

Of course, as has been mentioned, incidents of pilferage and sabotage do take place and to stop that, stringent action and punishment is required. But the network of pipelines has grown in our country in a very big way and a large number of incidents of pilferage and sabotage of pipelines by antisocial elements are taking place very frequently. Just by framing a law you cannot avoid such incidents of pilferage and sabotage, unless local interests are taken into consideration. Here I would like to mention that it is proposed to insert at least four subsections in CrPC. Here I would like to understand from the Minister that when as per the CrPC 1973 you are conferring on any of its officers the power of arrest, investigation, and prosecution exercisable by a police officer, you are giving tremendous power for this specific cause. That will create a lot of problems. The burden of proof is laid on the person from whose possession the crude oil or the petroleum products or gas together with the tools, vehicles, etc., is found. But the person who actually causes the crime is not mentioned in this Bill.

You have mentioned, “the corporation”, a number of times. What does this “the corporation” mean? There are a number of oil companies. If that means all the companies that are there, then that is a different matter.

I am also reminded about ONGC. ONGC has been India’s one of the largest profit-making Government companies. We all know that the explorer’s inability to strike major oil and gas finds within the country has been a constant sore point. Recently it was in the news - I hope the hon. Minister can throw some light on it – that ONGC is now going to other shores, to South China Sea and also has some agreement with Vietnam to explore. I still keep my fingers crossed. A company which is unable to find oil or gas within our territory is venturing

outside! I hope it has a good chance to find gas there. I wish all luck to ONGC to find gas or oil in South China Sea as it also will help us in a different way.

I have a question which the Government can respond to. Reports say that China's largest Government-owned energy firm, CNPC, has approached ONGC to forge a comprehensive agreement that would provide it access to India's oil and gas assets. Is this true? This is the information which I have and many Members might be having. This is an approach China is taking for a different reason. That is why I mentioned about South China Sea and ONGC's adventure to look to the East Asian countries. But here CNPC of China has approached ONGC. Please let the House know what is the actual position. Do we have any joint ventures with Chinese firms, especially with ONGC Videsh Nigam in foreign countries?

The US Energy Information Administration estimates India's proven oil reserves to be about 5.6 billion barrels in January 2010.

17.00 hrs.

This is the second largest in the Asia-Pacific region after China. That is the strength and that is the asset which we have. Therefore, I would request the Government, through you, Sir, that adequate steps should be taken to protect our natural resources. With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE): Thank you, Sir, for allowing me to speak on this Bill.

In my constituency particularly, work on the Cochin-Bangalore pipeline was started. This is objected to by the agriculturists – people from 10 districts of Kerala and 10 districts of Tamil Nadu. Already they are afraid that GAIL would take over their land – they would not acquire the land, but they would lay the pipe, according to their wishes. According to the instructions given by GAIL, they say that up to 10-15 feet from the pipeline, they cannot use the land for agricultural purposes. So, they are protesting against that.

In this Bill, we are again giving more powers to the police officers in the Cr.P.C. It will create more fear among the agriculturists and others. They further suggest that instead of taking the pipeline through the agricultural land, they could use the possible places on the National Highway. Already this suggestion was given by many Unions to the Ministry and I have also written a letter to the Petroleum Ministry.

In the amendments to clauses 16 (a), (b), (c) and (d), they talk about the owners of the land. Section 16 (b), says:

> "From whose possession, petroleum products – crude oil, petroleum products, gas, together with the tools, vehicles, etc. used in committing the crime are seized or who claims to be the owner, .."

It says, "the owner of the tool or the owner of the land …". So, the provisions of the Bill may be misused. I am requesting the Ministry to give some assurance in this respect. This should not be misused. Already they are bothered and they are afraid that the actions of the Ministry would not allow the agriculturists to cultivate the lands, etc. Now, because of these amendments, they

may have some more fear. This is to be cleared by the Ministry. They say that the owner has to prove that he is not guilty. The miscreants may use this chance. So, I am requesting the Ministry to clear this fear. This provision may be misused by the police officers. So, that has to be clarified. Thank you.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): माननीय सभापति जी, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2010 के समर्थन में मैं खड़ा हूं।

इस विधेयक को सदन के सामने रखते हुए मंत्री जी ने जो उद्देश्य और कारण दिये हैं, उनमें मुख्य उद्देश्य उन्होंने यह दिया है कि जो हमारा क्रूड ऑयल, गैस या पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जमीन के अन्दर से पाइप लाइन द्वारा जिनका वहन किया जाता है, इसमें चोरी हो रही है या इन पाइप लाइनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाता है या अलग-अलग जो माफियाज़ हैं, उनकी ओर से या कुछ आतंकवादी गुटों की ओर से इस प्रकार की धमकियां आती हैं और इसलिए हमारा जो कानून है, उसमें कुछ कड़ी सजा के प्रावधान की आवश्यकता है। उसमें आपने यहां पर सुझाव दिया है कि तीन साल से लेकर 10 साल तक का सजा होनी चाहिए। साथ-साथ आपने दंड के बारे में भी कहा है, लेकिन आप कितना दंड लेंगे, कितना जुर्माना लेंगे, यह आपने यहां निश्चित नहीं किया है, लेकिन अधिक से अधिक जुर्माना लेने की आवश्यकता है। एक चिंता भी आपने इसमें जतायी है कि चोरी तो है, लेकिन चोरी के साथ-साथ यदि किसी बुरे उद्देश्य के कारण यदि कोई आतंकवादी गिरोह उसे ध्वस्त करता है, तो उससे बहुत बड़ी दुर्घटना भी होने की संभावना है। इसका सीधे आम जनता से संबंध हो सकता है। इसलिए इस संशोधन को करते हुए चोरी को और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं या इस प्रकार के संगीन अपराध यदि जानबूझकर किए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए यह संशोधन विधेयक आप लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं।

मैं समर्थन करते हुए एक-दो सुझाव देना चाहूंगा। जो हमारी पाइपलाइन्स हैं, वे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरती हैं, क्योंकि आज भी हमारा देश सत्तर प्रतिशत ग्रामीण है। जब ग्रामीण इलाकों से पाइपलाइंस जाती हैं, तो कई बार हमें दिखायी देता है कि जो हमारी उपजाऊ जमीन है, कृषि लायक जमीन है, खेती की जमीन है, उस जमीन से पाइपलाइन जाती है। किसान इसमें सहयोग करते हैं। वे इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो मुआवजा किसानों को दिया जाता है, जब हम उनकी जमीन से पाइपलाइन डालते हैं, क्योंकि हम जमीन नहीं खरीदते हैं, केवल उपयोग के लिए उसका अधिकार ले लेते हैं, अर्जन करते हैं उसका उपयोग करने के लिए, लेकिन जो मुआवजा किसानों को दिया जाता है, वह बहुत कम दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसलिए इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब यह पाइपलाइन गांव से गुजरती है, तो जिन किसानों के जमीन से यह गुजरती है, उनका भी सहयोग हमें लेने की आवश्यकता है। यदि हम किसानों का सहयोग लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो सकता है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिन किसानों के जमीन से पाइपलाइन गुजरती है, उनको सही मुआवजा दिया

जाए। सही मुआवजा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मुआवजा दिया जाता है, वह बहुत कम होता है, क्योंकि बाद में वह जमीन कृषि लायक नहीं रह जाती है। यद्यपि हम उनको कहते हैं कि उसके ऊपर आप बाद में खेती कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कारपोरेशन की पाइपलाइन देखिए, एक बार वहां पाइपलाइन बिछायी जाती है, तो उसके बाद वह जमीन कृषि लायक नहीं रहती है, वह खत्म हो जाती है। एक तो कृषि खत्म हो जाती है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार के बड़े पेड़-पौधे आप नहीं लगा सकते हैं या कोई बागवानी करना चाहे तो वह नहीं कर सकते, इसके लिए भी रोक है। इससे किसानों का भारी नुकसान होता है। जिन किसानों की जमीन हम पाइपलाइन के लिए लेते हैं, उनकी नाराजगी सामने आती है। उस नाराजगी के कारण यदि कोई जानबूझकर चोरी भी करता हो, उसे तोड़ता भी हो, तो किसान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। यदि आप उसको सही मुआवजा दें, उसके यहां पेड़-पौधे नहीं लगते हैं, तो इसके लिए भी उसको सही मुआवजा मिले तो किसान भी आपको सहयोग करेगा और चोरी कम हो जाएगी। एक तो मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिन किसानों की जमीन से पाइपलाइन जाती है, उनका मुआवजा बढ़ाया जाए। जो पेड़-पौधे हैं, जिनकी कटाई होती है और उसके बाद में वहां नहीं लगा सकते या वहां बागवानी नहीं कर सकते हैं, इसलिए सही मुआवजा किसानों को मिले तो उनका सहयोग हमें मिलेगा।

महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। आप इसका भी प्रावधान करें कि उसकी सुरक्षा को आपको देखना है। यदि इस सुरक्षा की जिम्मेदारी हम उसी विलेज पंचायत को सौंप दें, जिस गांव से पाइपलाइन गुजर रही है, यदि हम विलेज पंचायत के ऊपर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दें तो कुछ हद तक उस विलेज के बेरोजगार को रोजगार भी मिल सकता है या उसकी समिति बनाइए। जैसे पानी के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने समितियां बनायी हैं, वन विभाग में भी इस प्रकार की समितियां बनी हैं। उसी प्रकार की विलेज की समिति बनें या विलेज पंचायत के ऊपर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दें और सालाना यदि कुछ धनराशि हम विलेज पंचायत को दें, जो विलेज के विकास में भी काम आ सकती है और विलेज पंचायत उसकी सुरक्षा भी करेगी, तो निश्चित रूप से चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। जो जानबूझकर आपका नुकसान किया जाता है या तोड़-फोड़ की जाती है, इसमें निश्चित रूप में कमी आएगी। आप सुरक्षा के ऊपर खर्च तो कर रहे हैं, यदि इसकी जिम्मेदारी विलेज पंचायत को सौंपी जाए और विलेज पंचायत को सालाना कोई धनराशि दी जाए तो निश्चित रूप से कुछ रोजगार के अवसर भी उससे हो सकते हैं।

उसी धन राशि से उस विलेज पंचायत का विकास भी हो सकता है। इस बारे में सरकार गंभीरतापूर्वक सोचे। किसानों का मुआवजा बढ़ाया जाए और सुरक्षा की जिम्मेदारी विलेज पंचायत को सौंपी जाए और उनको सालाना धनराशि दी जाए। मुझे विश्वास है कि जो कानून आप लाने जा रहे हैं वह कानून तो जरूरी है, आप इसको लाइएगा। मैं एक बात और यह कहना चाहूंगा कि केवल कानून लाने से यह मसला हल नहीं होगा। जो कानून हम लाएंगे उसे सख्ती से लागू भी करना चाहिए। सरकार को इसे सख्ती से लागू करने का साहस भी दिखाना चाहिए। यदि हम सही मुआवजा देकर इसमें विलेज पंचायत और किसानों का सहभाग लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप में चोरी कम हो सकती है। सरकार इस की ओर ध्यान दे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, इस विधेयक के शुरूआत में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश भर में एक प्रचलित मुहावरा है कि "पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल।" अभी जैसे अंग्रेजी पढ़ाई होती है और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बड़े लोग माने जाते हैं उसी तरह से पुराने समय में फारसी पढ़ने वाले लोग बड़े लोग माने जाते थे। उस समय राजभाषा फारसी थी। तेल बेचने का काम सबसे खराब काम माना जाता था। पढ़े फारसी, बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। अभी तेल बेचना उस मंत्रालय के लिए मारा-मारी का काम है। अभी एक भले आदमी मंत्री हैं। शायद, वे बाहर गए हैं। यह जो विधेयक लाया गया है, सरकार ने दावा किया है, सन् 1962 में यह कानून बना था। उसके 50 वर्षों के बाद इन्होंने दावा किया कि बहुत भारी धमकियां, आतंकवादी, उग्रवादी हैं, पाइप लाइन में तोड़-फोड़ विध्वंस एवं हेरा-फेरी हो सकती है। तेल एवं गैस पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है उसे तोड़-फोड़ और ध्वंस न हो इसके पहले हल्का कानून था, वह कम सजा वाला कानून था। वह साफ नहीं था इसलिए अब भारी कानून बना रहे हैं। इसके अंतर्गत अपराध के लिए भारी दंड दिया जाएगा। हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि पचास वर्षों में ऐसी कितनी दुघर्टनाएं सामने आई हैं। तोड़-फोड़ और विध्वंस की कितनी शिकायतें आई हैं? हम यह जानना चाहते हैं। चूंकि आपने दावा किया है कि हम इस वास्ते कड़ा कानून ला रहे हैं। पचास वर्षों में सरकार के संज्ञान में इस तरह की कितनी बातें आई हैं जिससे आप इस तरह के कानून लाने के लिए उत्साहित हो गए हैं। इसके द्वारा बड़ा भारी दंड देंगे और कार्रवाई करेंगे। इन्होंने कहा है कि तेल के पाइप को कोई तोड़ देगा उसमें से कोई तेल की चोरी कर लेगा, कोई पाइप को तोड़ देगा या विध्वंस कर देगा। निरीक्षण अधिकारी गश्ती करते हैं। इनका निरीक्षण अधिकारी गश्ती नहीं करेगा और पाइप पुराना हो कर लिक होने लगेगा, तेल की बर्बादी होगी। इसके लिए इन्होंने क्या प्रावधान किया है? हम यह जानना चाहते हैं। अगर आतंकवादी दुघर्टना करेगा तो उसके लिए उसको बड़ा भारी दंड मिलेगा। हम लोगों को कहते हैं कि उसे दस वर्ष की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है या फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। यह बड़े ही कमजोर मन से किया है लेकिन लिखा है कि दस वर्ष की सजा होगी, आजीवन कारावास की सजा होगी या फांसी तक की सजा हो सकती है। हम सरकार से इस पर सफाई चाहते हैं कि इन्होंने जो दावा किया है कि उसमें गश्ती और निरीक्षण में कमी होने के चलते, गैस या तेल लिक कर जाए, यदि तेल बह रहा है तो गांव के लोग यदि एक-दो बाल्टी उठा कर ले जाएंगे और वे पकड़े जाएंगे तो उनको दस वर्ष की सजा होगी। जिनको गश्ती और निरीक्षण का जिम्मा दिया गया है उन अफसरों का क्या होगा? उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है कि इनका निरीक्षण और गस्ती कमजोर होगा या नहीं होगा? उसके चलते पाइप लीकेज हो सकती है या नहीं। हम

देखते हैं कि पानी बहता रहता है। क्या उसे कोई देखने वाला है? वह पानी है। लोग कहते हैं कि पानी की तरह पैसे बहा रहा है। लेकिन अब जमाना यह है कि पैसे की तरह पानी का संयोजन करो। यह पानी और पैसे का सवाल है। मैं तेल और गैस का सवाल उठा रहा हूं कि तेल और गैस की तीन-चौथाई खपत बाहर से आती है, हम इम्पोर्ट करते हैं। यहां बराबर दाम बढ़ाते जाते हैं, कहते हैं कि एक बैरल तेल के दाम बढ़ गए। इसलिए दस खेप, बीस खेप तुगलक की तरह दाम बढ़ाते जा रहे हैं। जो बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए कानून में कहां प्रावधान है। उसके लिए आप कौन सा आजीवन कारावास देंगे या दे रहे हैं? यह ठीक है कि अपराधी के लिए कौन कहेगा कि उसे छोड़ दिया जाए, सजा कम की जाए या ज्यादा सजा क्यों दी। लेकिन साफ कानून नहीं है। दंड में दस वर्ष की सजा, आजीवन कारावास और फांसी तक, यह कौन सा कानून हुआ?

एफआईआर कौन करेगा। मान लीजिए किसी ने तेल चुरा लिया तो इनके अधिकारियों को कैसे खबर होगी। गांव वाला व्यक्ति खबर देगा तो वह धरा जाएगा। एफआईआर कौन करे? पुलिस वाले अपने अधिकारी को अरैस्ट करने, इनवैस्टीगेशन आदि की पावर दे रहे हैं। तेल बेचते-बेचते और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते-पहुंचाते पुलिस अधिकारी जांच करेगा। यह कौन सा कानून हुआ? आप देखिए, बिल में प्रावधान है। केन्द्र सरकार अपने अफसर को इसकी पावर दे देगी। यह लिखा हुआ है। ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो हम लाइन टू लाइन पढ़कर इन्हें ठीक करते। यह प्रावधान है। एफआईआर कौन करेगा, कैसे, किसे कहेगा? गांव वाले पकड़वाएंगे। जिस गांव से पाइन लाइन जा रही है, अगर वह अपने आप लीक हो गई तो इन्हें कैसे खबर होगी। इनके गस्ती या निरीक्षण में क्या होता है। इसलिए हमें इस कानून में यह बहुत खतरनाक बात लगती है।

इन्होंने दंड का प्रावधान किया है। इन सभी बातों की सफाई होनी चाहिए। बिल में देखा जाए। उसमें लिखा है - जहां शारीरिक क्षति होने की संभावना है या मृत्यु कारित हो सकती है, विस्फोट होने या टूटने से क्षति होने वाली है या हो, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है वह कठोर कारावास से, जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक हो सकेगा। यानी ऐसा लिखा है, होगा कुछ नहीं। भयभीतकारी कानून ला रहे हैं। क्या भयभीतकारी कानून से आतंकवादी या उग्रवादी मानेगा? सरकार की क्या सोच है, क्या दर्शन है?

मैं पावर के बारे में पढ़कर सुना देता हूं जिनके अधिकारी को पावर हो जाएगी।

हमारा प्रथम सवाल मंत्री जी समझ गये होंगे। दूसरा, गश्ती निरीक्षण में लापरवाही के लिए इन्होंने क्या कानून बनाया है? यह सवाल भी हो गया। यदि इनकी पाइप में लिकेज हो गयी और हमारा गांव वाला व्यक्ति इन्हें खबर करेगा या हल्ला मचायेगा, तो आप उसे कुछ पुरस्कार देंगे या दंड देंगे? इसका क्या प्रावधान है? मान लिया कि इनकी पाइप में कहीं लिकेज हो रही है या वह खराब हो गया और इनका अधिकारी नहीं पहुंचा, तो गांव के व्यक्ति ने हल्ला मचाया कि अरे भई लिकेज है, लिकेज है या चोरी हुई, तो वही पकड़ा जायेगा। उसकी कहां सुरक्षा है?...(व्यवधान) उसी को पकड़ेंगे। उसके लिए कुछ पुरस्कार देने का इंतजाम है या नहीं? इतनी बड़ी पाइप लाइन है, यानी असम से लेकर बरौनी तक पाइप लाइन है, देश भर में सब जगह पाइपलाइन ले जा रहे हैं। अब विदेश से तेल आना है। वह समझौता नहीं हो रहा, नहीं तो ईरान से गैस पाइप लाइन थ्रू पाकिस्तान आदि से सब आने वाला है। इसमें इतना विस्तार नेटवर्किंग हो रहा है पाराद्वीप से, मेहताब जी चले गये, वे भाषण कर रहे थे कि उनका भी हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जायेंगे। उसके क्या इन्होंने क्या इंतजाम किया है? जो लोग इसकी सूचना देंगे, उसके लिए कुछ पुरस्कार देने का प्रावधान होता, तो हम कहते कि लोग प्रोत्साहित होंगे। उस पर जनता भी निगरानी रखेगी, नहीं तो कोई भी व्यक्ति खबर ही नहीं देने जायेगा और इधर बर्बादी हो जायेगी। यह गैस पाइप लाइन की बात है, जिसे यह एक जगह से दूसरी जगह ले जायेंगे। इसके अलावा पेट्रोल, तेल और गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बीच में जो हेरा-फेरी होती है, उसके लिए इन्होंने कौन सा कानून बनाया है? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह विधेयक आधे मन से लाया गया है। उसमें बातें, दावा बहुत ज्यादा किया गया है, लेकिन उसके मुताबिक इन्होंने समाधान नहीं किया है। इन बातों को माननीय मंत्री सदन में साफ करें, क्योंकि यह अहम मामला है। तेल का एक समय था, लेकिन अभी तो तेल के लिए दुनिया भर में मारा-मारी, विश्व युद्ध आदि चल रहा है। आज लोगों के जीवन के लिए तेल और गैस बहुत उपयोगी हो गयी है। उसी से एनर्जी आदि सारा संचालन आदि किया जा रहा है। गाड़ियों की वृद्धि से जान की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी बातें साफ होनी चाहिए। यह विधेयक बहुत संतुलित नहीं है और जो समस्या है, उसके समाधान के लायक नहीं लगता है। यह विधेयक आधे मन से लाया गया है। इन सभी बातों को साफ किया जाये।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Chairman, Sir, thank you for giving me the chance to take part in this discussion. At the outset I would like to submit that I support this Bill. I hope that the purpose for which the amendments are being brought will be achieved.

The act of sabotage is a major cause of concern for the pipeline operators as they expose the oil companies to many possible risks. There is a network of over 53,189 kilometres of operating pipeline across the country. Between the period from 2006 and 2009, there were 311 cases of pilferage of oil and gas pipeline in India and the consequent loss incurred during the period was Rs. 14.32 crore. So, the Bill definitely represents a positive step in the direction that the oil companies are more secure and business continuity is well maintained and also the negative impacts of pilferage such as loss of lives are minimized.

In the original Bill, in Clause 15, sub-clause (2) though the word `wilful' has not been mentioned, though it had clearly been mentioned in the Statement of Objects and Reasons to the Bill. But through an amendment notice the hon. Minister now seeks to insert the `wilful' in the appropriate places. I would like to appreciate the hon. Minister for seeking to correct this by insertion of the word `wilful' to make it more logical and meaningful.

Mr. Chairman Sir, I would like to make only one suggestion for the consideration of the hon. Minister. Considering the negative impact of pilferage in the shape of loss of revenue, disruption in downstream value chain and environmental impact, I think the Bill may also include a provision directing the oil and gas companies to upgrade their technologies and strengthen research and development facilities to prevent the pilferage and minimise the risks. I am saying this because the Government alone cannot prevent all these things through a Bill or such amendments. The oil and gas companies have to realise their responsibilities also.

Just now, hon. Members Shri Mahato and Shri Natarajan suggested that gas pipelines should be allowed to be taken along the railway lines and highways.

Only then we can reduce or minimise the sabotage or pilferage to some extent. So, the hon. Minister may please keep these suggestions in mind.

I hope that the hon. Minister will give due weight to these suggestions to minimise and reduce sabotage and pilferages.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): I thank you Mr.Chairman Sir for giving me this opportunity to speak on the Petroleum and Minerals Pipelines Amendment Bill 2010.

जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसे प्रपोज किया है, इसको फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए। There are different types of damages. There are damages caused by terrorists or extremists or anti-social elements. The provision for such damages should be different. Actually, whatever they have proposed now is all right. But if the damages are due to *mafia* or due to theft of oil, gas and minerals caused by people, उसके लिए भी एक तरह से देखना चाहिए। Then, if the damages are caused due to public agitation against the project, अगर जो भी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट होता है, उस वक्त अगर उसको अपोज करने के लिए, अगर कोई पब्लिक अपोजिशन या ग्रीवान्सेंज है, तो प्रोजेक्ट को डिफ्रेंट होना चाहिए। अभी इसके लिए पहले जो प्रपोज किया है, उसमें सब इक्वलाइज कर दिया है। इसको फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए। जिसके गांव से पाइपलाइन जाने का है, जिसकी जमीन से जाने का है, उस तरह से पब्लिक उसको नहीं चाहता है, उसका मुआवजा ठीक से नहीं मिलेगा, उस टाइम में जो पब्लिक एजिटेशन होता है, उस टाइम में यह जो प्रपोज किया है, उसके अंदर नहीं आना चाहिए।

1727 hrs.

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)

Moreover, the safety and security including the specifications of the pipelines as per new technology should be evaluated from time to time. There should be continuous monitoring of safety and security should be the responsibility of the owners. उन सभी चीजों को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना चाहिए। उसका सैफ्टी एंड सिक्योरिटी की मेंटिनेंस की मॉनिटरिंग और उसकी रिस्पांसिबिल्टी पाइपलाइन्स ओनर्स के पास रहनी चाहिए। आपने जैसा बताया था, अगर उसका लीकेज होगा, तो उसको कॉमन मैन ले लेगा, वह पनिशमेंट में नहीं आना चाहिए। Safety and security should be the responsibility of the pipeline owners. उसके लिए भी प्रॉविजन होना चाहिए। If there is no proper maintenance and monitoring, उसके कारण अगर लीकेजेज होता है, उसके लिए कॉमन मैन पर इन अमेंडमेंट्स को लागू नहीं करना चाहिए। यह भी देखना पड़ेगा। यह अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार ने क्यों सोचा है, इंडिया में अभी तक कितनी इंसिडेंट्स

हुई हैं, कितनी डैमेजेज हुआ है, टोटल डैमेजेज की कॉस्ट क्या है, ये चीजें भी इसमें मालूम होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्वाइंट है कि अगर मान लीजिए that there are many types of damages. लेकिन डैमेज होने की वजह से जो थर्ड पार्टी लॉस होता है, फार एग्जाम्पल कोई भी विलेजर्स की प्रॉपर्टी लॉस होता है। अगर थर्ड पर्सन का लॉस होता है, उस लॉस को कवर करने के लिए इसमें प्रोविजन होना चाहिए। पूरे गांव से पाइपलाइन जाती है और खेत में से होकर गुजरती है। कहीं भी अगर लॉस होता है, तो उसकी वजह से उस गांव की प्रापर्टी या आदमी के लॉस होने का भी खतरा बनता है इसलिए उसका प्रोविजन इसमें होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, we are discussing the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2010. We have very limited scope. We cannot discuss the entire petroleum and gas sector. This amendment only seeks to enhance the punishment for committing the offence of making unauthorised connection in pipelines and for disturbing supplies. At the very outset I support this Bill. In fact, this is long over-due. It should have been brought here much earlier.

While supporting this Bill, I would like to seek some clarifications from the hon. Minister. Section 15 (4) proposes that a person who intentionally causes damage to a pipeline shall be punished with rigorous imprisonment, which shall not be less than ten years but may extend to imprisonment for life or death. It will even extend to death. I am in favour of this stringent action. I do agree that this kind of provision for stringent action should be there. But if it extends to death, then there should be sufficient safeguards in order to prevent the misuse. So, the Government should think over it. This is my first point.

My second point is this. The Bill seeks to confer powers of arrest, investigation and prosecution on the Central Government officials. So, the Government officials will be all-in-all in this respect. Generally it is alleged in many cases that offences are committed in connivance with the officers. Now, the Bill proposes to give the power of arrest, investigation and prosecution to the Government officials. So, there is a scope for misuse and there is a scope for connivance at different levels. The Government should reply to this. The Government should respond to this. There should be sufficient safeguards so that the misuse does not take place.

My third point is this. The Bill proposes that any person accused of an offence punishable under this Act shall not be released on bail or on his own bond from custody unless the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release. Attention should be paid to the rights of the accused persons to prevent harassment for accidental or unintentional acts that

fall under the provisions of Section 15. Of course, this provision should be there and this caution should be there.

I have two more important points. Mr. Chairman, Sir you have already made this point and I do support that. If any damage has occurred due to negligence and due to lack of maintenance, then who will be responsible for that? There should be a provision for that. So, putting everything on the shoulder of the people and on the other people who commit crime is not the sufficient explanation.

My fifth point is that pipes are being laid in the ground whether it is underground or on the surface of the ground. The pipeline generally may damage land of the farmers. What is your offer to the farmers? In case of electric line, the farmers are not getting anything, but if we lay the line on the railway land, there is a huge amount being charged for laying the electric line. However, the farmers have not been provided for any compensation or anything of that sort. In case of pipeline, nothing is provided to the farmers.

Hon. Member, Shri Bhartruhari Mehtab has raised the issue about the States. It is good that the transportation which is taking place in the States should be benefited and something should be given to them. But what about the farmers and the rural people? So, this sort of provision should be there.

Sir, I have made my pointed suggestions and I think the hon. Minister in the course of his reply will respond to all these things.

Sir, I very critically, not very enthusiastically, support this Bill.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir I am very grateful to you for giving me this opportunity to speak in the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2010.

Sir, it is a very important Bill. Despite regular patrolling and inspection of the pipelines, a large number of incidents of pilferage and sabotage by the anti-social elements are taking place frequently in our country.

Sir, I support this Bill vehemently because it is a very important Bill in this occasion. Oil is very important for our country. We are importing oil products from various countries. We are having more oil burden also. So, in order to avoid this oil burden, conservation is very important. We have to protect the oil pilferages. Here I would like to stress that the anti-social elements and mafia groups have to be eradicated from our society. Then only we can protect our oil and oil products. We have to provide heavy punishments for these anti-social elements. This Act is now modified and sub sections (3) and (4) were also inserted in it. It has provided for punishment for ten years. Sometimes, mafia groups are killing the officers who involve in checking and monitoring.

Section 438 of the Code of Conduct Procedure 1973 is a very important Section. It relates to the grant of bail to the person apprehending arrest. It shall not apply in relation to any case involving arrest under offence punishable under Section 2 or sub section (4) and Section 15 of the said Act. This Section 438 should not be applied when this Act is inserted in it.

There is no possibility of bail to these people who are indulging anti-social activities. They are indulging in pilferages and doing damages to our pipeline connection.

Next, conservation of petroleum products is very important for our country. It is the mafia groups which are indulging in anti-social activities and they should be restricted. More punishment should be given to such people.

I want to give some suggestions to the hon. Minister. The hon. Member Shri S. Semmalai gave one important suggestion that the pipeline connection should be gone through the highways area and also the railway lines. It will be helpful. It is not causing any burden to the agricultural people. It will be helpful to the agricultural people. When the pipeline is laid in the Highways area, if the permission is given through the Highways Department, it will be helpful to avoid anti-social activities. All the activities of anti-social elements can be avoided and restricted, and monitored.

Now, I have to make one point. The Chennai Petroleum Corporation Limited is there. It is doing refinery work. It is having one pipeline connection from Chennai Port up to Manali Refinery It has given one new proposal. It is a very important point. I would request the hon. Minister to look into it. It is a Public Limited Company. It has a newpipeline connection proposal from the Port to refinery. There is also one proposal for a new road construction project. The Highways Department has given permission to the CPCL to have pipeline connection by the side of H.W. road. The State Government has also given permission. Further, the State Pollution Control Board also has given the permission. It has got all the permission. Then, when it comes to the Environment Ministry, it is not remain pending. It is a very important project of the Public Limited Company. It will be helpful to our country. So, I would request the hon. Minister to help the CPCL in this regard.

There is one pipeline connection of the Indian Oil Corporation. This is related to my constituency. From Chennai to Madurai, there is a pipeline connection to supply petrol and diesel. The retail outlets are getting the opportunity to offtake petroleum products. When we are using trucks, they are expensive. Also, pilferage takes place. Some anti-social elements take advantage of this. So, it will be helpful if the same pipeline is extended up to Tirunelveli. The pipeline is already there from Chennai to Madurai. Tirunelvei is centre of the

southern part of District. The retail outlets can get the benefit because of this pipeline. This is a very important one which is pending. So, kindly extend the pipeline connection of petrol and diesel from Madurai to Tirunelveli.

Now, I have to bring one point to the notice of the House. There is one pipeline pending in our area. It is very important. From Kakinada to Chennai, there is a gas pipeline connection. This has been given to the Reliance Company five years before. With an agreement to give gas pipeline to Gujarat and Tamilnadu upto Tuticorin. The gas produced from Krishna Basin is taken over already to Gujarat. There is a pending agreement that the pipeline should be extended upto Chennai and Tuticorin. So far the agreement has not been fulfilled I requestHon. Minister to give the gas pipeline connection to Tirunelveli and Tuticorin. Then only it will be helpful to our area to develop the industries and also to the improvement of our national economy.

Now, I come to my last point. Our Petroleum Ministry has taken a bold step to reduce the price of petrole when there is a fluctuation in the international market. When the price in the international market is reduced, the price of petroleum products is reduced by our Government.

Our UPA Ministry has taken this step. Earlier, no Government has taken this step. Petroleum price was reduced in two occasion. When there was a hike in the petroleum products, all the Opposition parties opposed it. When the Government has reduced the petroleum price on two occasions, nobody had appreciated the Government. The Opposition parties should come forward to appreciate the Government for the reduction of petrol price Government has taken various steps in this direction. Our Petroleum Ministry is doing very well for the development of the nation.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि एक भी कैबिनेट मिनिस्टर यहां नहीं है।

सभापति महोदय : यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

…(व्यवधान)

SHRI NISHIKANT DUBEY : No, you are not a Cabinet Minister. I am requesting for the presence of a Cabinet Minister. It is a very important Bill and no Cabinet Minister is present in the House. … (*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, तेल की पाइपलाइन की चोरी इत्यादि पर विधेयक आया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि तेल में खेल है और उस खेल में भी खेल है। क्या आप तेल में जो खेल है, उसको पक़ड़ने में सक्षम हो सकेंगे? तेल चलता कहां से है? तेल के कुंए से तेल निकलता है या बाहर से आता है और बन्दरगाह पर जहाज से उतरता है। वहां से तेल चलता है और रिफाइनरी में आता है। रिफाइनरी से डिपो में जाता है। डिपो से टैंकर में जाता है। टैंकर से पंप पर जाता है और पंप से गाड़ी में तेल आता है। अब इतनी जगह तेल को पाइप से लाना और फिर टपकाना, फिर उसे लादना, फिर आगे टपकाना, जितनी बार तेल टपकता है, उतनी बार उस तेल में से छीजन निकलते जाता है। तेल का छीजन केवल चोरी के जरिये या पाइपलाइन के जरिये नहीं है। आपके पैट्रोलियम मिनिस्ट्री के शिखर से लेकर सतह तक अगर सारे प्रबंधन में लगे हुए अधिकारी ज्यादा नहीं अगर 95 प्रतिशत ईमानदारी के साथ काम करने लगें तो भारत सरकार के केवल इस पैट्रोलियम मंत्रालय से बजट के एक तिहाई से अधिक पैसा प्रणव बाबू को आप दे सकते हैं। बाहर से अगर कोई चोरी करता है, कोई आतंकवादी पाइप से अगर चोरी करता है, उसको तो हम देखते हैं लेकिन विभाग के अंदर जो यह तेल में खेल है, उसको पकड़ने के लिए क्या कहीं कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है।

पाइपलाइन से जब तेल चलता है तब वहां से डिपो में कितनी चोरी होती है? क्या किसी को पता है? डिपो से जब टैंकर में तेल लादा जाता है, उस समय हर टैंकर में तेल कम पड़ता है और वहां से कम तेल पंप पर जाता है और पंप में जो तेल कम पड़ता है, वह उपभोक्ता को जाता है, इसीलिए अंत में जाकर सारा बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है। गोलमाल करे कोई और उसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से इसको रोकने की कोई व्यवस्था है? दूसरे, एक चोरी का कारण जो मजबूरी में है। जो तेल के रोजगार में लगे हुए हैं, माननीय सदस्य ने उठाया था और शैलेन्द्र कुमार जी ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि जो तेल के रोजगार में लगा हुआ पैट्रोल पंप का डीलर है, चाहे उसका ढोने वाला टैंकर है। उसका किराया आप बांधे हुए हैं, जब तेल की कीमत बढ़ती है तो रुपये में प्रतिशत के आधार पर क्यों नहीं बांध देते हैं कि इतना प्रतिशत उसको तेल का कमीशन मिलेगा, इतना प्रतिशत टैंकर का किराया रहेगा। ज्यों ज्यों तेल के दाम बढ़ेंगे, उसका कमीशन भी बढ़ेगा। तेल का दाम बढ़ता जाए लेकिन उसका किराया नहीं बढ़े तो आखिर इस तेल के रोजगार में जो टैंकर वाला लगा है या जो डीलर पंप पर लगा है, वह कहां से इसकी पूर्ति करेगा?

वह कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी करता है। यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल की अगर कहीं मिलावट होती है तो आपने इसे रोकने का उपाय नहीं किया। मिट्टी के तेल का रंग बदल दिया। किसी समय में देख लीजिए, मुझे स्मरण आता है कि इसी सदन में बहस के क्रम में डॉ. लोहिया ने इसी प्रश्न को उठाया था कि मिट्टी के तेल का रंग बदल दो, चीनी का रंग बदल दो। क्योंकि बाजार की चीनी का रंग उजला उसको उजला रंग में मिला दो, तब कौन है कालाबाजारी की, कौन है सफेदबाजारी की, कौन पकड़ने वाला है? मिट्टी के तेल का रंग ऐसे बदल दिया जाए कि कितने भी कैमिकल्स से साफ करें तो वह साफ हो। अगर कहीं मिलावट की जाए तो तुरंत पकड़ में आ जाए। आज मिट्टी के तेल का रंग जरूर बदल दिया गया है, लेकिन कैमिकल्स से दो घंटे में साफ हो जाता है और फिर पेट्रोल और डीजल में मिलावट कर दी जाती है। आप इसके लिए क्या उपाय निकालेंगे? गीते साहब किसानों के बारे में कह रहे थे। आप जमीन लेते हैं, आपका भू अर्जन कानून अलग है और एक भू अर्जन कानून सदन में आने वाला है। जब वह कानून आएगा तो इसका क्या होगा? आपने किसानों की जमीन में पाइप डाल दिए, जब तक पाइप जमीन में होंगे तब तक उस रिफाइनरी से जो आमदनी होगी, क्या उस आमदनी का निर्धारित प्रतिशत उस किसान को देंगे जिसका प्रावधान नए भू अर्जन कानून में हो रहा है? आपने किसानों की जमीन ले ली, पाइप लगा दिए इसलिए सालाना के हिसाब से कुछ प्रतिशत एक एकड़ के हिसाब से पैसा मिलता रहना चाहिए। आप उनकी जमीन ले लेते हैं, पाइप लगा लेते हैं, इससे न उनके बच्चों को रोजगार मिलता है और न ही उचित कीमत मिलती है। आप न उसे आमदनी में हिस्सा देते हैं। वह वहां पेड़ नहीं लगा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आप किसान के लिए क्या करेंगे, कृपया अपने वक्तव्य में बताएं।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब राष्ट्र सुरक्षा कानून है तो इस कानून की क्या जरूरत है? गलत तरीके से लोगों को पकड़कर कुछ जायज और कुछ नाजायज। जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत बंद कर सकते हैं तो तेल चोरी करने वाले तेल चोरी में सहयोगी और चोरी का तेल बेचने वालों को एक श्रेणी में रखकर क्या राष्ट्र सुरक्षा कानून उन पर लागू नहीं किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो इस कानून की क्या उपयोगिता है? क्या इन्हें आप सीधे एक लाइन में डाल नहीं सकते? इसे राष्ट्रीय अपराध में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि तेल और गैस भारत के ही नहीं विश्व की आर्थिक गति के संचालन का सबसे प्रधान केंद्र है। इसी से विश्व की अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है। तेल और गैस की कोई चोरी करता है, चोरी करवाता है या चोरी से लाकर बेचता है तो तीनों समान अपराधी है। तीनों राष्ट्रद्रोह करते हैं इसलिए इन पर राष्ट्र सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर शिखर दुरुस्त होगा तो सतह अपने आप दरूस्त होगा। गंगा निकलती है गंगोत्री से, अगर गंगोत्री से शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल जल की धारा प्रवाहित

होती रहेगी तो बंगाल की खाड़ी तक गंगा की धारा पवित्र बनी रहेगी। अगर गंगोत्री से गंदगी निकलने लगेगी तो इलाहाबाद, कानपुर में फिल्टर लगाकर गंगा के पानी को कभी साफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह कानून तब लागू होगा जब अगर आपके मंत्रालय में शुद्धता आ जाए। तेल विभाग में जितने अधिकारी हैं, उनमें आईओसी या इंडियन ऑयल कारपोरेशन के हों प्रबंधन में शुद्धता आ जाए, आचार-विचार में शुद्धता आ जाए, तब तेल के टपकने को बंद करना चाहेंगे तो तेल का टपकना बंद हो जाएगा। इन्हें तो पकड़ लेंगे लेकिन घर के भेदी को कौन पकड़ेगा? इस कानून को लागू कीजिए कि अगर कोई अधिकारी भी पकड़ा जाए तो उस पर भी यही कानून लागू किया जाए और कठोर दंड दिया जाए। आप इस विधेयक को लाए हैं, अच्छी बात है। आप प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, हम आपके काम में बाधा नहीं डालेंगे, प्रशंसा जरूर करेंगे। लेकिन एक कानून और है - प्रिवेंशन ऑफ डैमैज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट। 1984 में इसी संसद से यह कानून पास हुआ था। उस समय मैं राज्य सभा में था, तब यह कानून पास हुआ था। लेकिन आज तक भारत सरकार के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ डैमैज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट पर अमल नहीं हो रहा है। यदि एक कानून को ठीक से अमल में लाया जाए तो पचास प्रतिशत नहीं साठ प्रतिशत तक इस तरह के अपराध रुक जायेंगे। लेकिन कानून पर कानून बनाते जाइये, परन्तु कानून कोई समझ में न आये और जो समझने वाला है, वह भी नासमझ हो जाए तो फिर उस कानून का क्या मतलब निकलेगा, कृपया उस पर भी प्रकाश डालिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Rights of User in Land) Amendment Bill, 2010.

Sir, already many hon. Members of this august House have made their points related to the empowerment of our officials and to ensure that there is a very strong deterrent as far as the law is concerned when anybody vandalizes public property and especially gas pipelines… (*Interruptions*) Sir, this House may be brought to order… (*Interruptions*) Sir, the hon. Minister is not even listening… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : कृपया शांति बनाये रखें।

SHRI PREM DAS RAI : Sir, now with regard to the public property - oil pipeline - I would like to state and I completely agree with the previous speaker that there are many other Acts under which we can look at the public property. But I understand that for the pipelines which are crisscrossing this country and will increasingly do so not only in the area of petroleum, but in other areas as well, like the OFCs and in other communications, I think, need a comprehensive law and I hope that in times to come a comprehensive law will be brought.

However, I would like to make a couple of points which the hon. Minister may like to give in his reply. Why is not there a financial memorandum accompanying this particular Bill? A financial memorandum is absolutely necessary when we take up a Bill because we want to understand that when you implement this how much is it going to cost us; how much is it going to save us in terms of less vandalisation and in terms of deterrence. I think, there ought to be also a timeline in which we can monitor and say how much of our property has been saved because of this Bill. If this Bill does not meet that objective then what is the use of the Bill and what is the use of the Act? So, I understand that we need to do and have a much more due diligence in the framing of the Bill and in terms of the financial memorandum and perhaps also in looking very closely at subordinate legislation.

17.58 hrs.

(Dr. M. Thambidurai ***in the Chair***)

Sir, one of the reasons that we are looking at this Bill is from the point of view of land acquisition, problems related to monitoring, problems related to the long distances with which we have to pipe our gas and our oil and in order to ensure that there is no vandalisation through people who would like to take recourse to this.

But one of the things that I see as a concern is that when a certain pipeline springs a leak on account of some problem of maintenance, some problem related to a weak joint and suddenly you have this huge amount of oil spillage the people in those villages around will naturally go and take some of that oil and say that they can sell it. They would not know the law.

So, I would like to know from the hon. Minister how he is going to ensure that this particular law and the Act is disseminated to the people at large.

I think this is a very important point. With these words, I support the Bill. There are many suggestions. I do not know how many suggestion the Minister is going to take but with the small suggestions that I have made, I hope that the Bill may be passed.

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : Now it is 6 o'clock. There are six speakers yet to speak on this Bill. The Minister is going to reply today itself. Afterwards, we have to take the 'Zero Hour' matters also. I hope that we can extend the time of House by one more hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Okay. Try to be very brief. Shrimati Putul Kumari; kindly be very brief.

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): पेट्रोल और खनिज पाइप-लाईन अधिनियम पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पेट्रोलियम और खनिज की सुरक्षा आज बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिन इस प्रकार की घटानाएं होती रहती हैं कि कहीं पाइप-लाईन फट गई और कहीं से तेल की चोरी हो गई। हमें मालूम है कि बहुत बड़ा तेल माफिया देश में काम कर रहा है। कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र में कलेक्टर की सरेआम हत्या हो गई यह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कहीं पर असामाजिक तत्वों से तो कहीं पर आतंकवादी संगठनों से धमकियां मिलती रहती हैं। इस विधेयक में सजा के काफी कड़े प्रावधान रखे गए हैं, मैं उनका समर्थन करती हूँ। लेकिन मैं कुछ अलग बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ।

मैं उस संसदीय समिति की सदस्या हूँ, जिसमें इंडस्ट्री को देखा जाता है। पिछले महीने उस समिति की बैठक में हमें रेल की कंपनियों से साक्षात्कार करने का मौका मिला। उसमें उन्होंने बताया कि हमने अपने आर एण्ड डी विभाग में एक ऐसे डिवाइस का निमार्ण किया है, जिसके द्वारा हम कहीं भी तेल का रिसाव होगा या टूट-फूट की जानकारी मिलेगी तो पहले हमें सूचना प्राप्त हो जाएगी और हम उसे ठीक कर लेंगे। ऐसी प्रणाली विकसित हो गई है और साथ में इस तरह का कड़ा विधेयक भी आ गया है। बहुत अच्छी बात है कि यह दोहरा नियंणत्रण हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ अलग बिंदुओं पर बात कर रही हूँ। दूसरा बिंदु यह है कि हजारों किलोमीटर रेल-लाइनों के किनारे जो पाइप-लाइनें जाती हैं, वहां सारे जगह पाइन्ट्स खुले होते हैं। आए दिन हमारी आंखों के सामने चोरियां होती रहती हैं। हमें पता है कि ऐसा दस्ता है जो इस तरह की चोरियों पर कंट्रोल करता है। मेरी मांग यह है कि जो चोर पकड़े जाते हैं, जितना तेल वे चुराते हैं उसका चार गुना मूल्य उनसे वसूला जाए और साथ में सजा का प्रावधान भी किया जाए। लेकिन साथ ही ऐसे दस्तों, जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। ये तो छोटी मच्छलियां हैं, मैं आपका ध्यान बड़ी मच्छलियों की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगी। डिपो से जब लोडिंग और अनलोडिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह माल जाता है तो इस प्रक्रिया में सैंकड़ों गैलन तेल की चोरी होती है। इसे देखने वाला और रोकने वाला कोई नहीं होता है। यह तेल विभाग के बड़े अधिकारी के संज्ञान में होता है या फिर उनकी मिली-भगत के साथ होता है। टनों गैलन तेल का खेल दिन रात चलता रहता है। उनके खिलाफ कौन सा कदम उठाएंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे? उनको सजा दिलाने का कोई प्रावधान है? अगर वे पकड़े जाते हैं तो आज तक उनको कोई सजा मिली है? रघुवंश प्रसाद जी ने जो बातें कहीं, मैं स्वयं को उनसे संबद्ध करना चाहूंगी।

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं इस मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चोरी रोकने के लिए इतना सशक्त बिल लेकर आए हैं। परंतु जो किसान और काश्तकार, जिसकी जमीन अस्थाई रूप से अधिग्रहित की जा रही है, उसके संदर्भ में मेरी कुछ शंकाएं हैं। उनको मैं इस सदन के माध्यम से रखना चाहता हूँ। सेक्शन-15 के अंदर खाई या चिन्ह् को जानबूझ कर भर देने का प्रावधान है। सभापति महोदय, जो चिन्ह् पाइप-लाईन के ऊपर लगते हैं, वे लगभग दो-तीन फुट के पत्थर के चिन्ह् लगते हैं। किसान के खेती करते समय या दूसरा कोई कार्य करते समय अगर वह चिन्ह् गिर जाता है या नष्ट भी हो जाता है तो उस पर भी वह प्रावधान लगेगा जो उस पाइप-लाईन से चोरी करने वाले पर लगता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो काश्तकार किसान अपनी बहूमूल्य जमीन इस काम के लिए देता है, उसके साथ चोर के समकक्ष प्रावधान नहीं रखने चाहिए। लैंड एक्वीजिशन बिल के अंदर जो अस्थायी एक्वीजिशंस के लिए किया गया है, सिर्फ 10 प्रतिशत डीएलसी की रेट दी जाती है।

महोदय, मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर काफी बड़ी लैंड एक्वीजिशन अस्थायी रूप से हो चुकी है, सिर्फ 500 रूपये प्रति बीघा की दर से उन्हें पैसा मिल रहा है। प्रति बीघा मतलब 132 बाई 132 फिट और 500 रूपये की क्या कीमत है? जिस जमीन के ऊपर से ये लाइन्स खोदी जाती हैं, हम लोगों की जमीन की जो फर्टिलिटी है, सिर्फ ऊपर के तीन-चार इंच तक उसकी फर्टिलिटी है, उसके बाद वह जमीन किसी काम की नहीं रहती है। इसके बाद रेस्टोरेशन का भी प्रावधान है। शायद कहीं भी रेस्टोरेशन नहीं किया जाता है। रेस्टोरेशन का मतलब यह होता है कि जिस तरह से वह जमीन थी, जिस स्थिति के अंदर वह जमीन थी, उसी स्थिति के अंदर वह जमीन रखी जाये, परंतु कहीं भी ऐसा नहीं होता है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा अस्थायी एक्वीजिशन के अंदर जो टाइम पीरियड है, खातेदारी का अधिकार किसान को देते हैं, जब 99 वर्ष की समय-सीमा तय की हुई होती है, पर इस एक्वीजिशन के लिए कोई भी समय-सीमा नहीं है। किसान के लिए अलग प्रावधान और कंपनियों के लिए अलग प्रावधान, महोदय, यह चीज मंजूर नहीं हो सकती है। जो साइज है, एक फिट की भी पाइपलाइन लगेगी, कहीं तो कंपनी ने दस फिट रखी है, कहीं पन्द्रह फिट रखी है, कहीं बीस फिट रखी हुई है, किसी भी तरह का टैक्निकल मापदंड नहीं है, जिससे इसके साइज को रखा जाये।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात ऑयल लीकेजेज की है। वह चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे चोरी के माध्यम से हो या उसके अंदर टैक्निकल फॉल्ट से लीकेज हो, उससे जो काश्तकार की जमीन खराब होती है, उसका मुआवजे के लिए कोई भी प्रावधान इस लैंड एक्वीजिशन बिल के अंदर नहीं रखा गया है।

यह बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन ओएनजीसी की गयी है। एक भी सिंगल विवाद वहां नहीं हुआ, वहां के किसान बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भटिंडा के लिए भी पाइपलाइन गयी, वहां भी सिंगल विवाद नहीं हुआ। मैं उसे राष्ट्रीय स्तर के लिए कम्पेयर करना चाहता हूं। गुजरात को बहुत मॉडल के रूप में लिया जाता है, पर आज डेढ़ साल से वही ओएनजीसी की पाइपलाइन गुजरात के अंदर लगभग 70 किलोमीटर के करीब रूकी हुई है। दोनों जगह के किसानों के साथ एक जैसी स्थिति है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। किसान के खेत के अंदर जो चोरी होगी तो वह सामान तो किसान के खेत में ही रहेगा। अगर कोई भी चोरी करने के लिए जायेगा तो वह सामान उस खेत के किसान से लेकर जायेगा, जहां से वह पाइपलाइन गुजर रही है। अगर वह सामान किसान के खेत में मिलता है तो वह कानून उस किसान के ऊपर भी लगेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा कानून बनाया, लेकिन यह कानून चोरों के लिए होना चाहिए, उस किसान के लिए यह कानून नहीं होना चाहिए। आज देश के अंदर एक वातावरण बना हुआ है कि हम लोग किसान को भूल रहे हैं। बिना किसान के और बिना मजदूर के यह विकास हम लोगों के किसी काम का नहीं है। आज अगर कॉरपोरेट के पक्ष की कोई बात होती तो बहुत बड़े एडिटोरियल होते हैं, कई घंटों तक चर्चा होती। आज यह बात किसान के लिए है, उसके लिए जो प्रावधान बनाये जायें, उनमें नरमता होनी चाहिए वरना आने वाले समय में जिस महाशक्ति की कल्पना हम देश के लिए कर रहे हैं, किसान का नजरदांज करके हम लोगों को विकास नहीं चाहिए।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Mr. Chairman, Sir, I this Bill is regarding the technicality of the pipelines.

Several hon. Members have given their views on this Bill but I would like to speak about the problem created by two Ministries – the Ministry of Coal and the Ministry of Petroleum. Few industrial proposals are still in abortive stage due to non-clearance of the supply of raw material by these two Ministries and they could not clear these proposals.

Sir, there is dispute between the two Ministries of the Government of India. For the Coal Bed Methane, which is called CBM, which is the nodal Ministry? Is it the Ministry of Coal or the Ministry of Petroleum? It is not yet clear as to which Ministry will decide it. As there is dispute between these two Ministries, no one is sure as to who will clear all the projects, which are still lying in the incubator. So, I would like to know from the hon. Minister as to how many projects have been delayed due to the dispute between the two Ministries which belong to the Government of India.

We have developed friendly relationship with Bangladesh. There is lot of deposition of gas in Bangladesh. I want to know whether the Ministry concerned or the hon. Minister concerned has taken any step to have gas supplied from Bangladesh. Also, I want to know whether the Government has decided to explore gas in Tripura and also in Bangladesh. This is important. So, I want the answer from the hon. Minister regarding this.

Another point is regarding land acquisition. The hon. Ministers have expressed their anxiety but I want to know, as the Land Acquisition Bill is in the Standing Committee, whether the Ministry of Petroleum will again make some amendment in this regard or they will go by the Land Acquisition Bill which is with the Standing Committee.

There is lot of pilferage. Here, hon. Minister, Shri Paban Singh Ghatowar is sitting here. He knows it very well. Right from Dibrugarh, Dawntur to Baroni, a lot of pilferage happens. If it is so and if there is no collusion among the Ministry,

the State Government officials and among the people involved in supplying oil, there cannot be any pilferage. So, I want to be assured by the hon. Minister that there should be no pilferage. They are amassing lot of money by doing pilferage. Some persons became very rich. So, it is very important for us. In the railway wagons also, there is a complaint of pilferage. So, there should be some scientific device which you should develop so that there may not be any pilferage in the pipeline directly or in the railway wagons.

Another point on which I want a clarification from the hon. Minister is that due to faulty domestic kerosene oil, lots of deaths have occurred in Assam in the districts of Nagaon, Nalbari, Baksa, Bongaigaon, Kokrajhar and Goalpara. Because of faulty kerosene, lot of people died and a few people are still languishing in the hospitals. So, what is the cause of it? Who is responsible for it? Who supplied faulty kerosene? It should be ascertained. I want the response to all these points from the hon. Minister.

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति जी, पैट्रोल और कच्चे तेल की चोरी के सवाल पर जो विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ लेकिन कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक में जिस तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वह नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने तेल चोरी के सवाल पर सारी बातें रखने की कोशिश की है। जो तेल चोरी हो रहा है, हमारे देश की जनता इसको राष्ट्रीय संपत्ति समझे, आम लोगों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, इस भागीदारी के सवाल पर पूरे तौर पर कई सदस्यों ने अपनी बात रखने की कोशिश की। मैं भी इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जो तेल चोरी होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे पाइपलाइन द्वारा चोरी हो, आतंकवादियों द्वारा जो तेल पर विध्वंस किया जाता है, इस पर आम जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, कैसे जनता उसको रोके, क्योंकि अगर जनता उसको नहीं रोकेगी तो कितनी भी मिलिट्री फोर्स उतार दें, वह चीज़ रुक नहीं सकती है, उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी जहाँ से भी आप पाइपलाइन् बिछाते हैं, जिस गाँव से लाते हैं, जिस जंगल से लाते हैं, जिस पहाड़ से लाते हैं, वहाँ की स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उनकी ज़मीन पर आप पाइपलाइन बिछाते हैं तो उनकी ज़मीन का मुआवज़ा मिलना चाहिए। वहाँ की स्थानीय जनता को मुआवज़ा मिलना चाहिए। वहाँ की सुरक्षा के लिए गाँव की कमेटी बनाकर पूरे तौर पर जनता को इसकी देखरेख सुनिश्चित करनी चाहिए। वहाँ की स्थानीय जनता को उसमें नौकरी मिलनी चाहिए। उनकी ज़मीन को उजाड़ दिया जाता है क्योंकि निश्चित तौर पर पाइपलाइन बिछाने के बाद उस ज़मीन् पर खेती नहीं हो सकती है। पेड़ भी नहीं लगा सकते हैं। वहां की जनता की भागीदारी हो ताकि वह समझ सके कि यह पाइपलाइन मेरी है, तेल मेरा है, इसको हमें सुरक्षित रखना है। मैं माननीय मंत्री जी को अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कमियां हैं। इन कमियों को सुधारना चाहिए। आजकल पैट्रोल की कालाबाजारी प्रतिदिन हो रही है। फ्यूजल से प्रति लीटर दस प्रतिशत की कमी से पेट्रोल की आपूर्ति की जाती है। ठीक इसी प्रकार से डीजल की भी कालाबाजारी होती है। किसानों को इससे भारी नुकसान होता है। पेट्रोल के आवंटन में पारदर्शिता होनी चाहिए। जिसे मंत्रालय देना चाहता है, उसी को आवंटित करता है। पेट्रोल विभाग का जो भी पदाधिकारी होता है, उनका इसमें दखल रहता है, जिनको चाहेंगे, उन्हीं को आबंटित करते हैं। जिसे मंत्रालय देना चाहेगा उसी को आबंटित करते हैं, सही आदमी को पेट्रोल नहीं मिल पाता है। सरकार ने बीपीएल परिवारों को पेट्रोल पम्प आबंटन हेतु कोई नीति-निर्धारित नहीं की है। यदि की भी है, तो भी उसको नहीं मिल पा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अधिक से अधिक पेट्रोल पम्प कोटा निर्धारित होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि पेट्रोल पम्प से देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है। लेकिन इसमें गरीबों को कैसे शामिल किया जाए ताकि आम जनता की इसमें

भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हमारे कई माननीय सदस्यों ने कई तरह की चोरी की रूपरेखा बतायी है, मैं भी चोरी की रूपरेखा बताना चाहता हूं कि तेल में मिलावट होती है, जैसा कि रघुवंश जी ने अपनी बात में रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि जनता, गरीबों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आम जनता इसको राष्ट्रीय पूंजी समझ सके, अपनी पूंजी समझ सके, अपना तेल समझ सके, अपनी सम्पत्ति समझ सके, ताकि कहीं भी यदि तेल चोरी होता है तो जनता उसकी आगे बढ़कर रक्षा कर सके।

SHRI R.P.N. SINGH: Mr. Chairman, I would like to thank all the twenty hon. Members who have taken part in the debate. I am very happy that all the Members have supported the Bill. I have taken their valuable suggestions. तमाम सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इतने सारे सुझाव दिए हैं कि हमें कुछ समय लगेगा हमें इन जवाबों को देने में। मैं कोशिश करूंगा कि अपने मूल जवाब के बाद हर सदस्य ने जो सवाल उठाया है, उसका कुछ न कुछ जवाब मैं जरूर दे पाऊं।

Transportation of petroleum products – crude oil and gas – through pipelines is the cheapest, safest and the most environment-friendly mode of transportation. The network of pipelines in the country has grown in a big way in the recent past. However, the petroleum, crude oil products are hazardous and highly inflammable material. Crude oil and petroleum products being very costly items, any spillage not only causes a financial loss to the company, it also causes disruption in supply of crude oil, finished products, damage to cultivable soil as well as loss of life and damage to property in case of confrontation.

To check incidents of pilferage and sabotage, regular patrolling and inspection of the pipeline is carried out by the respective oil companies, line patrolmen. The help of State Government is also taken through regular interaction with the police and local authorities. Villagers and land owners along the route of the pipeline are also sensitized about the consequences of pilferage attempts. Still incidents of pilferage and sabotage by anti-social elements do take place in various pipelines. While pilferage is done by organized criminal gangs, using improvised technology to puncture high-pressure pipelines and by fixing tapping gadgets, there have been sabotage attempts on the trunk pipelines by use of explosives also which could result in complete disruption in supply of crude oil and petroleum products. Attempts are also made to pilfer crude oil condensate from well-head installations. In the present security scenario, sabotage of high-pressure pipelines carrying highly inflammable petroleum products by terrorists, extremists, who cause major loss of life and destruction of property … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : The Minister has a right of reply.

श्री आर.पी.एन.सिंह : मैं आपकी बातें समझ सकता हूं क्योंकि ये टेक्नीकल चीज़ें हैं और मैं आपको टेक्नीकल बातें बताना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you are at liberty to say what you have to say. You can proceed now.

SHRI R.P.N. SINGH: The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act provides for the acquisition of right of user in land to lay pipelines. However, the existing provisions do not provide sufficient deterrence to criminals. Sections 15 and 16 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Acct, 1962, do not contain adequate provisions for the enforcement authorities to arrest or detain any person, unless he is caught red-handed in the act of pilferage or sabotage.

Even if a person is arrested for committing pilferage, he is prosecuted under the provisions of Sections 379 and 380 of the IPC. Usually, due to the non-availability of witnesses in such cases, it is difficult to ensure conviction of the culprits in a timely manner.

To eliminate, reduce pilferages, and sabotage of oil pipelines, a need has been felt by the Petroleum Industry for amending Sections 15 and 16 of the Petroleum and Minerals Pipelines Act, 1962 to make them more stringent and enable the law enforcing agencies to award deterrent punishments to offenders.

The Ministry of Petroleum and Natural Gas has, therefore, introduced the Bill for amendment of Sections 15 and 16 of the Act with the following objectives:-

- Provide stringent punishment regime;
- The quantum of rigorous imprisonment is proposed to be extended up to ten years in the case of first offence, and for subsequent offence, the minimum period of imprisonment shall not be less than three years, except where the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than three years;

- Provide exemplary punishment for life imprisonment, death punishment, for sabotage, terrorist acts {Section 15 (4) of the Amendment Bill}. The issue relating to this provision has been raised by many Members.
- Being made cognizable and non-bailable {Section 16 of the Amendment Bill}.
- Bail to be granted only after hearing the Public Prosecutor {Section 16 (D) of the Amendment Bill}.
- Putting the onus on the accused to prove that the pilfered product recovered from him/his premises does not belong to him {Section 16(B) of the Amendment Bill}.

As you can see, all these amendments have been brought about for curbing the pilferage and sabotage incidents, which were raised by many Members.

तमाम मेम्बरों ने यह पूछा कि पिलफेरेज को रोकने के लिए क्या एक्शन हुआ है? निश्चित रूप से मैं यह बताना चाहूंगा कि इन तीन सालों में हमारे पास जो आंकड़ें हैं, उसके अनुसार तेल रिफाइनरियों से अभी तक कोई भी पिलफेरेज तीन सालों में नहीं हुआ है। तेल पाइप लाइन के माध्यम से पिलफेरेज के अभी तक 217 केस आए हैं और तेल डिपो से 13 मामले आए हैं। एल.पी.जी. डिपो से कोई पिलफेरेज पिछले तीन सालों में नहीं हुई है। अगर तीन सालों के आंकड़ें देखें जाएं तो पूरे देश में पिलफेरेज के 230 केस देखने को मिले हैं। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, जो एक्शन लिया है

Action to curb pilferage attempts, monitoring of operational parameters: round-the-clock monitoring of pipeline flow and pressure through SCADA; lead detection system; physical monitoring of right of way. रास्ते में किस तरह हम इसको रोक सकते हैं। हमारे लाइन पेट्रोलमैन पाइपलाइन की रोज़ाना आठ किलोमीटर पेट्रोलिंग करते हैं। जो वल्नरेबल स्ट्रेचेज हैं, वहां हम लोग आम गार्ड्स के साथ नाइट पेट्रोलिंग करते हैं। हमारे अफसर इंटेसिव पेट्रोलिंग उस रास्ते पर करते हैं जहां लगता है कि ज्यादा पिलफेरेज हो सकता है। हमने विलेज एवेयरनेस प्रोग्राम किया हुआ है। Reward and recognition for villagers and informers is a scheme that we have drawn up; continuous interaction and sensitizing villagers by conducting awareness programmes; continuous monitoring of Repeater-cum-Cathodic Protection Stations through CCTV-based surveillance system; conducting trial of

OFC-based surveillance system for monitoring third party activity on ROWs; and monitoring movement of Line Patrolmen and Night Guards through Global Positioning Systems.

तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी। श्री हंसराज अहीर साहब ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि क्या ये कानून स्ट्रिन्जेंट, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्या ये रोक पाएंगे। Sabotage cases are being dealt with more strictly under section 15(4). हमने जो अमेंडमेंट 15 (4) में किया है, it is included to tackle organised mafia or gangs, जो इसमें करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो पाइपलाइन की बात होती है, लोगों ने कहा कि यह पानी का पाइपलाइन नहीं है कि आपने छेद किया और पानी निकल गया। ये अंडर ग्राउंड बहुत हाई प्रेशराइज़ पाइपलाइंस होती हैं, जिनको आसानी से पिलफ्रेज नहीं किया जा सकता है। इसमें बड़े माफिया गेंग्स ऐसे लोग होते हैं, उन्हें रोकने के लिए और जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ कानून और सख्त बनाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। नॉर्थ-ईस्ट में उन्होंने बोला कि आपने इंसर्जेंसी की वजह से क्या-क्या कानून लिए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने सबसे ज्यादा 230 केसेस जो देखे, वे नॉर्थ-ईस्ट से नहीं, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से सबसे ज्यादा पिलफ्रेज के केस हमारे सामने आए हैं। The following steps have been taken by the oil companies to prevent pilferage of petroleum products. मैंने आपको बताया कि कौन-कौन सी चीजें होती हैं। हमने बताया कि लाइन पेट्रोलिंग होती है और हमारे अधिकारी भी देखते हैं। टैक्नोलॉजी के साथ हम और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और चीजें लाई जाएं ताकि इसमें और भी सशक्त काम हो सके। हमारे नॉर्थ-ईस्ट के श्री निनोंग ईरींग साहब ने पूछा था।...(व्यवधान) मैं बहुत खुश हूं कि हमारे मंत्रालय पर इतने सजेशंस माननीय सदस्यों ने दिए। ईरींग साहब ने डेथ पेनल्टी की बात की कि क्या डेथ पेनल्टी भी इस चीज में आ सकती है। The death penalty is only proposed for offences under Section 15(4) which will deal with the sabotage so imminently that it is likely to cause death of others. इसमें यह किया गया है कि Section 15(4) provides the rigorous imprisonment which shall not be less than 10 years but may extend to imprisonment for life or death. Only in cases of sabotage which may cause death of person or such bodily injury likely to cause death of any person. Rarest of the rare cases में डेथ सेंटेंस भी रखा गया है। शैलेन्द्र सिंह जी ने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने पूछा कि कितना फाइन होना चाहिए, अगर यह कानून बनता है, किसी पर जो भी

फाइन लगेगा, यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना फाइन होना चाहिए। इन्होंने चेन्नई की बात की कि चेन्नई में जो पाइपलाइन चल रही है, वह क्यों नहीं अभी तक हो पाई है, उसे परमीशन क्यों नहीं मिली है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फोरेस्ट है, उसने इसे अभी तक क्लियरेंस नहीं दी है। उनसे हमें जब क्लियरेंस मिलेगी तो उसके सामने जरूर...(व्यवधान) उन्होंने सवाल पूछा है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान) श्री गोरखनाथ पांडेय जी ने penalty should be more stringent के बारे में पूछा है। हमने बताया है कि हमने तमाम कानून ऐसे बनाए हैं, जिसमें पेनल्टी बहुत स्ट्रिन्जेंट रही है और आगे भी रहेगी। हमारे हसन साहब ने कुछ व्यक्तिगत बातें बताई हैं, आईओसी के बारे में उनके यहां क्या-क्या तकलीफें हैं। हम उनसे मिल कर इस बारे में बात कर लेंगे, उन्होंने जो अधिकारियों के बारे में टिप्पणियां की हैं, उन पर हम जरूर ख्याल करेंगे। उन पर जरूर एक्शन लेंगे। डॉ. रत्ना डे जी ने जो बात कही है, हम उस पर ऑलरेडी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने मॉनिटरिंग की बात की है, मॉनिटरिंग की बात हमने स्पष्ट रूप से की है और हम इसे दिखवा रहे हैं। मेहताब साहब ने 15(4) के बारे में बोला कि यह बहुत स्ट्रिन्जेंट है। मैं इनको बताना चाहता हूं, Section 15(4) is very stringent and can be used to terrorise people.

Actually, this law is not to terrorise people and it is only for terrorists and people who are sabotaging the pipeline. Section 15(4) is to deal only with the cases of sabotage and terrorist acts and act that is imminently dangerous in all probability causing death of person or such bodily injury likely to cause death of any person shall be punishable with rigorous imprisonment which shall be more than ten years. It is not to terrorise the people but to stop people from behaving like terrorists. He has raised lot of issues which are not to do with the pipelines. I will be more than happy to listen to his queries, if he can please give it to me in writing, I will reply to all his queries.

नटराजन जी ने पॉसिबिलिटी ऑप मिसयूज़ के बारे में पूछा, उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अनन्त गीते साहब ने और तमाम सदस्यों ने किसानों की बात की। मैं समझता हूं कि यह बहुत अहम मुद्दा है। किसानों के लिए हम सब आवाज उठाते हैं। हमारे मंत्रालय ने भी हमेशा किसानों की बात की है, जहां तक जमीन की बात है। हरीश चौधरी जी ने भी किसानों की बात की। तमाम और सदस्यों ने भी किसानों की बात की। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम किसानों की जमीन लेते हैं तो उस पर रैंट किसानों को देते हैं, जब हम पाइपलाइन बिछाते हैं और जो भी किसानों का पेड़ अगर उस लाइन पर होते हैं तो उसका भी हम

मुआवजा देते हैं। अगर उसमें कोई अनाज या कोई खेती की चीज़ है, उसका भी हम कम्पेंसेशन देते हैं और दस परसेंट मार्केट वैल्यू के रैंट के लिए हम जमीन लेते हैं। यह मैं समझ सकता हूं कि तमाम सदस्यों को लगता है कि यह बहुत कम है। हमारा मंत्रालय इसको देखेगा, आपके व्यूज़ को ध्यान में रखेगा और कोशिश करेगा कि किसानों का हक इसमें और ज्यादा से ज्यादा दिया जा सके।

रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने तमाम पिलफरेजेज़ के केसेज़ में बताया। मैंने बताया कि 230 ही केस अभी तक हुए हैं। पुलिस लॉज करेगी और इन्फोर्मेशन जैसे किसानों को और गरीबों को बताया जायेगा, इसके लिए हमारा अवेयरनैस प्रोग्राम है, रिवार्ड प्रोग्राम भी है। मैंने पहले ही संक्षिप्त रूप में बताया था। सेमलाई साहब ने बात की थी to lay pipelines along railways and roads. The suggestion is taken and we will do it wherever it is possible. नागेश्वर राव जी ने compensation should be adequate के बारे में बात की थी। मैंने उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि मोनेटरिंग होनी चाहिए। पाइपलाइन का वह स्टैप हम ऑलरेडी ले रहे हैं। प्रबोध पाण्डा जी ने डैथ पैनल्टी के बारे में कन्सर्न बताया था। मैंने कहा कि डैथ पेनल्टी रेयरैस्ट ऑफ दि रेयर केसेज़ में ली जायेगी और damage due to negligence, negligence in maintenance, इसका भी ख्याल रखा जायेगा। रामा सुब्बू जी ने तमाम चीजों की बात की, चैन्नै की बात की। मैंने पहले ही शैलेन्द्र जी को बताया कि उसके अन्दर एनवायर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है। एनवायर्नमेंट क्लियरेंस के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। हुक्मदेव नारायण यादव जी ने action against officials के बारे में कहा। हमारे मंत्रालय में जो गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए कानून बना हुआ ही है और कहीं हमें पता चलता है कि अगर हमारे ही कुछ अधिकारी गलत काम कर रहे हैं तो कानूं के अन्तर्गत उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। अगर किसी मैम्बर को लगता है कि कोई गलत कार्य कोई अधिकारी कर रहा है तो हमारे मंत्रालय, हमारे दफ्तर पर लाइये, उस पर हम जरूर एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे।

पी.डी.रॉय साहब ने फाइनेंशियल मैमोरेण्डम की बात की। यह फाइनेंशियल बिल नहीं है, यह तो amendment for stringent law for pilferage के आधार पर था। मिसेज़ विजया चक्रवर्ती जी ने इस बिल को सपोर्ट किया, उनके सुझावों को भी हमने रखा है। हरीश चौधरी जी ने किसानों की बात की, उनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

अन्त में हमारी मिसेज़ विजया चक्रवर्ती जी ने सी.जी.एम. के बारे में पूछा, CGM is a subject of MO &PG but allotment of coal blocks is a subject of the Coal Ministry. About pilferage from railway wagons, action is initiated according to law.

In the end, I would once again request that the Bill be taken into consideration.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : This is an ordinary thing. He has already spoken and answered. What do you want?

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): वन क्वश्चन। मैंने लिख कर दिया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I cannot allow everyone. Only one or two Members would be allowed.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ईरान टू इंडिया थ्रू पाकिस्तान जो पाइप लाइन आनी थी, उसकी क्या प्रगति है, जरा अपने उत्तर में देने का कष्ट करें।

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): I have a small suggestion to the hon. Minister through you. He should lay the pipeline by making use of the railway line and national highway or State highway so that it will be better secured as more traffic will be there. It will be easier for the security of the pipeline. I am only suggesting it.

MR. CHAIRMAN: That is a good suggestion. He has already answered that.

SHRI R.P.N. SINGH: I have already answered that. I take your suggestion and we will do it wherever it is possible.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill further to amend the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 **Substitution of New Section for Section 15 and 16**

Amendments made:

Page 2, line 8,—

after "Whoever"

insert "willfully". (3)

Page 2, line 9, -

for "or inserts"

substitute "or willfully inserts". (4)

Page 2, line 10, -

for "or disrupts"

substitute "or willfully disrupts". (5)

Page 2, line 22, -

for "oil and"

substitute "oil or". (6)

Page 2, line 24, -

for "a person"

substitute "any person". (7)

Page 2, *omit* lines 30 to 36. (8)

Page 2, line 37, -

for "16B"

substitute "16A". (9)

Page 2, line 37, -

for "all tools, vehicles and all items"

substitute "any tool, vehicle or any item". (10)

Page 2, line 40, –

for "products have"

substitute "product has". (11)

Page 3, line 1 –

for "16C"

substitute "16B". (12)

Page 3, line 5, -

for "16D"

substitute "16C". (13)

Page 3, line 6, -

for "under this Act"

substitute "under sub-section (4) of Section 15". (14)

Page 3, line 19 –

for "16E"

substitute "16D". (15)

Page 3, line 21, -

omit “sub-section (2) or”. (16)

(Shri R.P.N. Singh)

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 Short Title and Commenceemnt

Amendment made:

Page 1, line 3,—

for “2010"

substitute "2011". (2)

(Shri R.P.N. Singh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Sixty-first"

substitute "Sixty-second". (1)

(Shri R.P.N. Singh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI R.P.N. SINGH: On behalf of Shri S. Jaipal Reddy, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now, we will go to 'Zero Hour' matters.

श्री हरी माझी (गया): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गया में एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए वहां के किसानों की भूमि अधिगृहीत की गयी है, जिसका मुआवजा किसानों को बहुत कम दिया जा रहा है। वहां के किसानों में भारी आक्रोश फैल रहा है। किसान लगातार मुआवजे के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि बढ़ायी जाए तथा जिन किसानों की जमीन जा रही है, उनके परिवार के एक-एक सदस्य को एयरपोर्ट में रोजगार दिया जाए।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दुमका जिला है जो संथाल परगना का एरिया है। उसमें एक गांव कनकटा है, उसकी तीन सौ आबादी है, जिसमें से 20 लोग विकलांग हैं। मैं बराबर इस लोकसभा में यह कहता रहा हूं कि आपने एम्स बनाया है, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट बनाए हैं, आप एनआरएचएम के माध्यम से हेल्थ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में एमडीएस फोर, फाइव के मेंबर हैं और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, ,खासकर संथाल परगना जहां से मैं आता हूं, यदि कनकटा जैसे गांव में, जहां तीन सौ की आबादी में बीस लोग विकलांग हैं और आसपास के दूसरे गांवों में यदि आप देखेंगे, तो आपको छः-सात से दस-पन्द्रह परसेंट लोग विकलांग दिखायी देंगे। वहां एक एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक दिन संथाल परगना में दस महिलाएं बच्चों को जन्म देते ही मर जाती हैं और बच्चों का जो डेथ का रेश्यो है, वहां कम से कम 62-63 बच्चे प्रत्येक एक हजार में मर जाते हैं। वहां लगभग अस्सी परसेंट एनीमिक महिलाएं हैं और लगभग पैंसठ परसेंट बच्चे माल न्यूट्रेशन का शिकार हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस जैसा कोई इंस्टीट्यूशन खोलें, जिससे झारखंड मरहूम है, इतनी बड़ी आबादी है, आपकी सरकार की किटी में माइंस और मिनरल्स के माध्यम से मोर दैन सिक्स्टी परसेंट कांट्रीब्यूट कर रहा है।

संथाल परगना में हसडिहा उस का एक सेन्टर प्वाइंट है। वहां एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टिट्टयूट जैसा इंस्टिट्यूशन दीजिए। मैं दुमका जिले के सरैया हाट ब्लॉक के बारे में कह रहा हूं और

कनकट्टा जो गादीझोपा पंचायत में है यहां मेडिकल की एक टीम भेजी जाए और देखा जाए कि इस ब्लॉक में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वे विक्लांग क्यों पैदा हो रहे हैं? उनकी हालत ऐसी क्यों है? उनकी ऐसी हालत पानी, माल-न्यूट्रिशंस, एनिमिया या किसी प्रकृति के कारण है। आप के माध्यम से वहां तुरंत एक टीम भेजी जाए तो बड़ी कृपा होगी। जय हिंद, जय भारत।

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदय, एआईबीपी के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित दो योजनाएं- डीपीएपी तथा डीडीपी चलाई जा रही हैं। डीडीपी परियोजना राजस्थान के 16 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत सितम्बर 2011 तक कुल 3 लाख 48 हजार 2 सौ 57 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है। वहीं डीपीएपी योजना राज्य के ग्यारह जिलों में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत सितम्बर 2011 तक 1 लाख 27 हजार 4 सौ 33 हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया है। जहां डीपीएपी परियोजना के अंतर्गत केन्द्र द्वारा योजना का कुल 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य सरकार को दिया जाता है। वहीं डीडीपी योजना में केन्द्र मात्र 25 प्रतिशत ही अनुदान देता है। राजस्थान में डीडीपी परियोजना के तहत सम्मिलित जिले, डीपीएपी योजना के अंतर्गत सम्मिलित जिलों से कहीं अधिक पानी की कमी से पीड़ित हैं। सदन के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि राजस्थान राज्य की विषम परिस्थितियों को देखते हुए एआईबीपी और अन्य योजनाओं के मानदंडों और दिशा-निर्देशों में परिवर्तन कर दोनों योजनाओं में अनुदान की राशि 90 प्रतिशत की जाए।

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal and Shri P.L. Punia are permitted to associate themselves with the issue raised by Dr. Jyoti Mirdha.

SHRIMATI ANNU TANDON (UNNAO): Sir, I am going to talk about a lot of people who are completely marginalized in our country. So, please allow me to complete the whole submission. सभापति महोदय, आज मैं एक अत्यंत आवश्यक और आत्मा को छू लेने वाली अपने देश के 19 लाख किन्नरों की दुःखद स्थिति के बारे में आप के माध्यम से कहना चाहती हूं। हाल में मैंने एक फिल्म देखी जो किन्नरों की फिल्म की कहानी है। 11 जून, 2011, यह डा. पीयुष सक्सेना की फिल्म है "और नेहा नहीं बिक सकी"। यह अजमेर में रिलीज हुई थी जहां 500 किन्नर मौजूद थे। इस 55 मिनट की डाक्यूमेंटरी फिल्म में किन्नर यानी आम भाषा में असामान्य तरीके से जिन्हें हिजड़ा कहा जाता है उनकी दयनीय बंधक जिन्दगी के बारे में यह फिल्म है। किन्नर एक बहुत ही गोपनीय जिंदगी जीते हैं। ज्यादा न जानने की वजह से इन्हें तिरस्कार की नजर से देखा जाता है। किन्नर जब घर छोड़ता है तो यह घर से निकाला जाता है और गुरू पर आश्रित हो जाता है। यह उसी गुरू की हर बात मानता है। आप और हम लोगों से उसका संपर्क बहुत सीमित होता है। उसकी दशा यह है कि वह समाज से किनारे

त्यागी हुई जिंदगी जीता है जिसमें न परिवार का प्रेम है और न आदर है बल्कि डरी, सहमी और धिक्कारी हुई जिंदगी है। वे दूसरों की दया, भीख और अपमानजनक संवेदनशीलता द्वारा दो रोटी कमा पाता है।

महोदय, किन्नर भी जीना चाहते हैं। वे मेहनत से गुजर-बसर करना चाहते हैं पर उन्हें कोई इज्जत की नौकरी नहीं देता है। अगर वे मेहनत, मजदूरी और नौकरी करते भी हैं तो समाज अकेला पाकर उनका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इनकी इस जिंदगी की दुर्दशा और दयनीय हालत के जिम्मेदार हम लोग ही हैं। इनको इंसान की जिंदगी और बराबर का मौका देना और मुख्यधारा में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जैसी कितनी ही माँ हैं जिन्होंने ऐसे ही लोगों को जन्म दिया है। हमारी ही जैसी कोई माँ होगी जिसने ऐसे किसी किन्नर को जन्म दिया है।

महोदय, आज मैं आप के द्वारा सरकार से तीन चीजों की मांग इन के लिए करती हूं। पहला, इन्हें वोटर कार्ड बनाने की सहुलियत दी जाए क्योंकि इनके पास अपनी कोई पहचान नहीं होती है। सिवाय उनके गुरू के, इनके पास अपना कोई पता का प्रमाण नहीं होता है। उन्हें मोबाइल का सिम कार्ड लेना भी मुश्किल होता है। दूसरा, क्या हम उनकी भीख मांगने की मजबूरी को कानूनी स्वरूप या पुनर्वास का कोई अवसर दे सकते हैं? इसके बारे में सरकार सोचे। तीसरा, इनको किन्नर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए जो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जिसे ये निर्वाण कहते हैं उसे कानूनी स्वीकृति देना बहुत जरूरी है ताकि वे झोलाछाप डाक्टरों से मुक्ति पा सकें। महोदय, जीरो अवर में यह पूर्ण चर्चा संभव नहीं है पर आप के द्वारा किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए मैं इस सदन से इस पर पूरी चर्चा चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। देश में सामाजिक गैर-बराबरी खत्म करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाने की अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, स्पैशल कम्पोनैंट प्लान के माध्यम से विशेष योजनाओं को लागू करने के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी कम्पनियों द्वारा डीजल व पैट्रोल के विक्रय हेतु पैट्रोल पम्प स्थापित करने में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तेल कम्पनियों द्वारा पम्प स्थापित करने में उनकी मदद भी की जाती है। मेरे संज्ञान में आया है कि अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर तेल कम्पनियों द्वारा कम्पनी के स्वामित्व और स्वयं द्वारा संचालित कम्पनी आन और कम्पनी ऑपरेटेड कोको पम्प स्थापित किए जाते हैं। इन कोको पम्प के संचालन हेतु निजी लोगों को दिया जाता है जिसके आवंटन में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, यह उनका खुला उल्लंघन है। मैं सदन के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि

अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें सामाजिक बराबरी में लाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की सभी ऑयल कम्पनीज़ के कोको पम्पों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था को तत्काल लागू किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Shri Virender Kashyap, Shri Virendra Kumar, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Maheshwar Hazari and Shrimati Jyoti Dhurve are also associating with the matter raised by Shri P.L. Punia.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम सभी अरसे से ऐसा मानते चले आ रहे हैं। इसलिए हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, इसे भी सब मानते हैं। लगभग 70 प्रतिशत के आसपास आबादी इस व्यवसाय और क्षेत्र से जुड़ी है। मौसम की अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, दोनों का ही सीधा असर किसान के ऊपर होता है। जब उस पर प्रतिकूलता होती है, तो उससे उसके कृषि के उत्पादन पर असर होता है। हमें इसे मानकर चलना चाहिए कि यह किसान की बेबसी है। इसका कोई हल आज हम वैज्ञानिक रूप से भी नहीं निकाल सके हैं। इसलिए हम यह मानते हैं कि राज्यों में किस दल की सरकार है, इसके आधार पर किसी राज्य के किसानों के साथ केन्द्र को भेदभाव नहीं करना चाहिए। पूर्व में इस देश में जो कृषि की नीति रही है, वह सही रही है या गलत रही है, यह चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह है कि आज कृषि क्षेत्र में पूर्णतः निर्भरता रासायनिक खाद के ऊपर हो चुकी है। मौसम अनुकूल है, सिंचाई के साधन हैं, बिजली है, इन सबके बावजूद भी अगर रासायनिक खाद नहीं है तो उत्पादन में उसका असर निश्चित रूप से होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारी डीएपी की 1.80 लाख मीट्रिक टन और एनपीके की 1.75 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता थी। इसकी मांग भी केन्द्र में आई। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं दिल्ली आए थे। वे मंत्री जी से मिले। उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र भेजा। लेकिन दुर्भाग्य से हमें डीएपी में मात्र 1.45 लाख मीट्रिक टन और एनपीके में 1.12 लाख मीट्रिक टन का आवंटन हुआ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक ओर किसान खाद की कमी का सामना कर रहा है। केन्द्र सरकार ने रासायनिक खाद की कीमतें बढ़ा दीं। जहां उसे खाद नहीं मिल रही है वहां खाद की कालाबाजारी बढ़ रही है। महंगी कीमत देने के बावजूद भी किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है।

मैं पिछले दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में था। मैंने जो स्थिति देखी, किसान खून के आंसू रो रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस तरह आज हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है, यदि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है, तो खेती फायदे का धंधा बने, हमें

इसका प्रयास करना होगा। मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रतिशत की ब्याज दर पर किसानों को ऋण देने का फैसला करके इस दिशा में कदम भी आगे बढ़ाया है। लेकिन मात्र इतना पर्याप्त नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इसमें केन्द्र सरकार भी अपने हिस्से की सहभागिता देगी, तो निश्चय ही खेती लाभ का सौदा बनेगी। मुझे आज ही जानकारी मिली कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को जब इस बात की जानकारी मिली, तो...(व्यवधान)

सभापति जी, मैं अपनी बात सामाप्त कर रहा हूं। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और केन्द्र सरकार के माननीय मंत्रीगणों से इस बारे मे चर्चा की। उनको यह आश्वासन मिला है कि जल्दी ही खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जायेगी। ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यही आग्रह है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है, तो सरकार तत्काल खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You can associate and send your slips.

(Interruptions) …[*]

श्री राकेश सिंह : सभापति महोदय, आसन की तरफ से यह निर्देश सरकार को जाना चाहिए। ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से इतना ही आग्रह है कि केन्द्र सरकार खाद की आपूर्ति को सुनिश्चित कराने का काम करे। ...(व्यवधान) आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Dr. Rajan Sushant's speech.

(Interruptions) … *

MR. CHAIRMAN: Everybody is speaking about *kisans*.

Shrimati Jyoti Dhurve, Shri Virendra Kumar and Shri Hansraj Ahir are allowed to associate with the matter raised by Shri Rakesh Singh.

---

[*] Not recorded

डॉ. राजन सुशान्त : आदरणीय सभापति जी, आज मैं आपके माध्यम से सदन में देश के पांच राज्यों में रहने वाले हजारों एसएसबी वालंटियर्स का महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। यह गोरिल्ला स्वयंसेवक पिछले पांच वर्षों से आंदोलित हैं। इसका गठन 1962 में जब चीन से भारत हारा था, तो उसके बाद परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे नागरिकों का चयन किया जाता था। उन्हें राइफल, छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। शांति काल में, युद्धकाल में और युद्ध काल के बाद भी इनकी भूमिका निर्धारित की गयी थी और यहां तक कि युद्ध में हार के बाद अगर नियमित सेना भी पीछे हट जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी दुश्मन से छापामार युद्ध करके उसे अपनी धरती से खदेड़ने की जिम्मेदारी इन्हें दी गयी थी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले पांच सालों से ये सारे के सारे स्वयंसेवक आंदोलित हैं। सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। इनकी जो समस्याएं हैं, उन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इनकी मांग है कि मणिपुर की भांति इनकी आयु सीमा में भी छूट दे दी जाये और एसएसबी में स्थायी नियुक्ति दी जाये। एसएसबी की प्रस्तावित भर्तियों में एसएसबी स्वयंसेवकों को ही भर्ती किया जाये। नौकरी की आयु सीमा पार कर चुके अथवा भर्ती न हो सकने वाले एवं मृतक स्वयंसेवकों की विधवाओं और विधुरों को सम्मानजनक पैंशन दी जाये। बीमार एवं आर्थिक रूप से कमजोर स्वयंसेवकों को शीघ्र आर्थिक मदद दी जाये। राज्य सरकारों में वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में तथा पुलिस आदि बलों में भी इन्हें भर्ती का कोटा आरक्षित किया जाये। सेना व अर्द्ध सैनिक बलों की भांति अन्य सुविधाएं भी दी जायें।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ये सारी फाइल अब निर्णय की स्थिति में आ गयी है। डायरेक्टर जनरल ने भी इनका समर्थन किया है, सारे सांसद भी समर्थन कर रहे हैं। सीमावर्ती राज्यों का जो मसला है, वह देश की सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए मैं इनकी मांगों का भरपूर समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Shri Virender Kashyap and Shri Rajendra Agrawal are allowed to associate with the matter raised by Dr. Rajan Sushant.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): I would like to raise the very pitiable plight of the poor fishermen, who are residing near Deepar Beel. It is situated in Guwahati City. It is covering forest hidden area of 414 hectare.

SC fishermen catch their fishes there. They engage in this fishing work for generations together. But these poor fishermen are about to be uprooted due to the faulty policy of the local Government. The Deepar Beel is brought under Food

and Agriculture Ogranisation and is controlled by Fishery Department of Government of Assam.

A few years back, the Government of Assam has promulgated an order to declare the Deepar Beel as Bird Reserves, which has created a lot of problems for this very poor fishing community, as they solely depend upon the Deepar Beel.

Moreover, I would like to mention that there are lots of bird sanctuaries in Assam; the Deepar Beel is situated in the heart of Guwahati. If the whole Deepar Beel is converted into a reserve area for birds, then it will create very pitiable condition for the poor fishermen, who are there for years together. Moreover, these fishermen are not only fishing there but they also conserve and nourish the water bodies which are there in the Deepar Beel.

So, I would like to request you that the proposed promulgation to make this Beel as barred reserve should be abolished thereby giving relief to the poor fishermen.

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): Sir, I would like to raise an important issue concerning my Constituency which comprises of seven Assembly Constituencies extending from south in Ernakulam to north in Thrissur District. In Thrissur District, there is 22 kilometres of coastal area extending over Kodungallur and Kaipamangalam Assembly Constituencies. These 22 kilometres of coastal area lay without protected by coastal belt from Azhikode to Chenthrappinny and extend over seven Panchayats. There occur frequent incidents of sea attacks leading to soil erosion and collapse of houses and trees situated in the coast. Casualties occur during the time of leap tides also. A few years back, severe casualties occurred during Tsunami also. People residing in this coastal area face serious difficulties due to frequent sea attacks. Besides, the 'Muzris', which was one of the famous ports in ancient India, is also situated in this coastal area. Excavation works are under progress and lakhs of antiquities are being excavated from this area.

Hence construction of coastal belt is of utmost importance for protecting this coastal area. Therefore, in view of the above facts, I would request urgent steps may please be taken by the Government for constructing a coastal belt at a length of about 22 kilometres from Azhikode to Chenthrappinny connecting those seven Panchayats immediately.

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Thank you Sir for giving me the opportunity to speak.

According to the survey of American Society of Tropical Medicine, the number of persons died due to snake bite is 46,000 in India. As per the same survey, more than 2.5 lakh people get injured due to snake bite. This is astonishingly a high figure. According to the World Health Organization, 50 lakh people are injured by snake bites. The bitter fact is that out of those 50 lakhs people, three lakh face disability of a permanent nature in our country. The most affected States are West Bengal, Maharashtra, Tamil Nadu, Assam and Orissa.

Another startling fact is that the number of the poisonous snakes is higher in our country as compared to other countries. As a physician, I know immediately after the snake bite, a person's experience is cardiogenic shock and neuro-toxic shock. But the doctors are not able to treat them properly. It is because most of our Primary Health Centres, Subsidiary Health Centre and even the BPH Centres are located in the interior, distant and remote places in the countryside.

So, considering the loss of life and disability, I would urge the hon. Minister to evolve a national policy on snake bite and make it sure that the anti-venom serum should be available in all these interior hospitals to save the lives and to avoid disability and injury to the people of our country.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में गैर-विद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की थी। इस योजना में विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक आबादी वाले गांवों एवं मजरों के विद्युतीकरण का काम स्वीकृत किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004 में ग्रामीण विद्युतीकरण की जो योजना स्वीकृत की गयी थी, उसमें केवल एक मुख्य गांव एवं एक मजरा शामिल किया गया था। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100 से अधिक आबादी वाले 1,38,373 मजरों के विद्युतीकरण हेतु लगभग 12,367 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति हेतु भेजी गयी। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 300 से अधिक आबादी के मजरों के विद्युतीकरण हेतु डीपीआर मांगने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश निर्गत किए गए। उत्तर प्रदेश द्वारा 69 जनपदों के 63,909 मजरों के विद्युतीकरण हेतु 83,071 करोड़ रुपये की डीपीआर प्रेषित कर दी गयी।

19.00 hrs.

अभी तक किसी भी डीपीआर को स्वीकृत नहीं किया गया है, केवल रायबरेली और सुल्तानपुर के गैर विद्युतीकृत मजरों के लिए धनराशि स्वीकृत करना तथा अन्य जनपदों के गैर विद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत न करना केन्द्र सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति का द्योतक है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने ही यह घोषणा की थी कि 2012 तक प्रत्येक घर को बिजली की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गैर विद्युतीकृत मजरों की योजनाएं स्वीकृत नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश में जो गांव देहात के लोग हैं, वे आज भी बिजली के लिए बहुत परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में मजरों के विद्युतीकरण की योजना जो केन्द्र सरकार को भेजी गई है, वह जल्द से जल्द पास की जाए।

MR. CHAIRMAN : Smt. Jyoti Dhruve and Shri Shailendra Kumar may be allowed to associate themselves with the matter raised by Shri Ramashankar.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. In the State of Karnataka, especially in Northern part of Karnataka, in districts like Hubli, Dharward, Belgaum etc, the farmers are on the streets because the onion prices have come down to the extent of just Rs. 100 to Rs. 200 per quintal. It is surprising that while we are discussing the issue of price rise here, including that of onion prices, because the prices of other commodities have reached the sky, but unfortunately in the entire State of Karnataka, especially in Northern Karnataka the farmers are on the streets because of the low prices of onions.

Sir, we are witnessing a strange situation that while the prices of commodities are rising in the local markets despite a good harvest, yet the farmers are not getting remunerative prices for their produce and this is a usual phenomenon almost every season. In every season we are witnessing this. We also are witnessing a situation that at one end of the country onion prices are sky-rocketing while at the other end the onion growing farmers are protesting by dumping their produce on the roads for not getting remunerative prices and this is time that the Government should intervene in the matter.

It is really time for all of us to sit and think about this important issue which concerns both consumers and onion growing farmers. Basically, the Government should adopt a long-term export policy as a first step because the frequent changes in imposing ban on onion export and reduction of import duties have, most of the time, caused hardships to both onion growers and the consumers which has allowed the middlemen to reap the fortunes. There is also a complaint of the onion growing farmers of Karnataka and other Southern States about sudden ban being imposed on exports at a time when there is a huge supply in the markets after the harvest in the month of September in these regions. Usually in Karnataka onion

harvesting takes place in the months of August and September, since the crop is a Kharif based crop, resulting in collapse of prices in the local markets. Sometimes, the supply is so high that most of it get rotten for lack of trading opportunities and the farmers suffer heavily. Sometimes even when there is no ban, the MEP is so high that it becomes impossible for the farmers to export. The abrupt and unscientific way of export and import policy of onion has neither helped farmers nor the consumers in our country.

India is one of the large onion growing countries and it is expedient for the Government to have a market and farmer oriented export policy and help stabilize onion markets locally. Moreover, when the farmers are suffering so much, there is no supply chain and there is no cold storage and the people are on the streets. The Government of India should intervene in the matter.

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): सभापति जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल है। एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के साथ-साथ वहां बहुत सी समस्याएं आज भी निरंतर बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में, जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, आज भी वहां 80 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी रहते हैं। वे लोग वनों और निचले गांवों में रहते हैं। आज भी उनकी जिंदगी नर्क से बदतर बनी हुई है। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर यदि हम ध्यान दें तो बहुत ही गम्भीर पाएंगे। वे लोग आज भी लकड़ी काटकर और बहुत मुश्किल से अपना जीवनयापन करते हैं। कुछ समय पहले केन्द्र सरकार द्वारा निश्चय किया गया और उन आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे वितरित किए गए थे। यह कदम निश्चय ही सराहनीय था, लेकिन उसमें आज थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है।

क्योंकि जो वन-भूमि के पट्टे उन्हें मिले, उन पट्टों और जमीन पर यदि वह अपनी जमीन का काम, खेती का काम करते हैं तो उस भूमि के लिए जितनी पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, आज भी उस बंजर भूमि पर पानी की ऐसी सुविधा नहीं है। सिंचाई करने का कोई नियमित साधन नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा जो पट्टे लाभस्वरूप उन्हें दिये हैं, उनका जीवन-बदलने के लिए दिये हैं, वहां बड़े-बड़े बांधों का निर्माण होना चाहिए या छोटे डैमों का निर्माण होना चाहिए। इससे उन आदिवासियों की जमीन को एक निश्चित पानी का साधन उपलब्ध हो सकता है।

सिंचाई के लिए विद्युत की भी आवश्यकता होती है क्योंकि डीजल की आज जो कीमत है, आदिवासी उस कीमत पर डीजल लेने में सक्षम नहीं हैं। यदि विद्युतीकरण हो जाता है तो केन्द्र सरकार के द्वारा उन्हें जो डीजल-पम्प दिये जाते हैं, उनका उपयोग भी वे नहीं कर सकते हैं।

मेरी मांग है कि सिंचाई की उचित व्यवस्था हो, विद्युतीकरण की व्यवस्था हो और वन-भूमि के जो पट्टे उन्हें मिले हैं वे उसका पूरा लाभ ले सकें, ताकि उनका जीवन बदल सके।

मैं यही मांग आपसे करती हूं और मुझे विश्वास है कि इन आदिवासियों को इसका लाभ केन्द्र सरकार देगी। वनभूमि के पट्टे वितरित हुए हैं, उनमें केवल वन ग्राम ही शामिल नहीं है उनमें राजस्व ग्राम भी भी शामिल है। इसलिए बड़े-छोटे डैम के निर्माण करने में असुविधा होनेका कोई प्रश्न ही नहीं है। आज भी आदिवासी 120 पंचायतों को राजीव गाँधी विद्युतिकरण से नहीं जोड़ा गया है। अतः इन 120 पंचायतों को राजीव गाँधी विद्युतिकरण से जोड़कर उनके अधिकारों की रक्षा करने का न्याय करें।

श्री सज्जन वर्मा (देवास): सभापति जी, शून्य प्रहर में मुझे अपनी बात रखने का मौका आपने दिया। माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश के शाहजहानपुर और देवास जिले में बहने वाली काली-सिंध नदी, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवन-रेखा है, उसके बाद यदि कोई महत्वपूर्ण नदी है तो काली-सिंध नदी है। इस नदी पर बांध बनाने के लिए वर्षों से कागजी कार्रवाई चलती रही है। बड़ी मुश्किल से इस योजना की डिटेल रिपोर्ट बनाई गयी। उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा उसका क्लीयरेंस दिया गया, लेकिन बार-बार राज्य सरकार बॉल केन्द्र के पाले में डालती रही, केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के पाले में डालती रही, जिससे योजना मूर्त रूप आज तक नहीं ले पाई है।

माननीय सभापति जी, इस काली-सिंध बांध परियोजना से हजारों एकड़ में सिंचाई होनी है और हजारों कृषक परिवारों की समृद्धि का कारण यह बांध बनने वाला है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की हितेषी सरकार है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। हमारी ज्योति जी बोल रही थीं कि किसानों के लिए छोटे डैम बनाये जाने चाहिए। अपनी ,सरकार से भी यह अनुरोध करें क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं रोक लेती है और केन्द्र सरकार तक ठीक ढंग से इनकी लिखा-पढ़ी नहीं होती है।

मेरा अनुरोध केन्द्र की सरकार से है कि वह चाहे प्रदेश सरकार का कर्मचारी-अधिकारी हो या केन्द्र सरकार के कर्मचारी-अधिकारी हो, उन्हें जब तक आप दंडित करने का भय नहीं दिखाएंगे, ये योजनाएं

सालों-साल फुटबॉल की तरह इधर से उधर राज्यों और केन्द्र के पाले में रहेंगी। मेरा अनुरोध है कि काली-सिंध परियोजना को निर्माण की ओर ले जाया जाए। धन्यवाद।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): महोदय, मैं सदन के माध्यम से जल संसाधन मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के गढ़वा जिला के अंतर्गत चिनिया प्रखंड के ग्राम बारडिह में वर्ष 1975 में स्वीकृत लोकहित कनहर डैम की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। उक्त योजना का निर्माण कार्य कराने का निर्णय बिहार राज्य (अब झारखंड) मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़) तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ दिनांक 16.9.1973 को बाणसागर जल के समझौते पर हुआ। दिनांक 20.2.1982 को समझौते के अनुसार कनहर नदी के जल का बंटवारा के अनुसार 0.43 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला तथा 302 मेगावाट बिजली उत्पादन पर समझौता हुआ।

महोदय, 36 वर्ष का समय बीत जाने के बाद केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली ने पंत्रांक 1911 दिनांक 24.9.2010 तथा 289 दिनांक 15.2.2011 द्वारा झारखंड सरकार से कनहर डैम का निर्माण का अद्यतन स्थलीय सर्वेक्षण, संशोधित जल विज्ञान/पुनरीक्षित योजना तथा प्राक्कलन आदि भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ। केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के उक्त पत्र के आलोक में झारखंड सरकार ने अपने पत्रांक 215 दिनांक 03.3.2011 तथा 148 दिनांक 9.3.2011 द्वारा उक्त संबंधी सभी प्रतिवेदन केंद्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेज दी गई है, परन्तु आज तक इसकी स्वीकृति नहीं दी गई है।

MR. CHAIRMAN : You please come to the point. What do you want?

श्री कामेश्वर बैठा : महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र मरूभूमि जैसा है, पानी के अभाव में इस क्षेत्र का जल स्तर 400 फीट नीचे चला गया है। उक्त योजना निर्माण होने पर 500 गांवों के सिंचाई की सुविधा के साथ-साथ 302 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी हो सकता है।

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

श्री कामेश्वर बैठा : महोदय, इसी संबंध में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई और न्यायालय ने भी इसके तुरंत निर्माण हेतु आदेश पारित किया।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का अतिमहत्वपूर्ण लोकहित और कार्यहित योजना है, जिसका निर्माण कराना अतिआवश्यक है। मेरा संसदीय क्षेत्र पहाड़ी है, जंगल है और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गांव के ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। इस योजना को पूरा किया जाए। इससे 500 गांव को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी एवं 302 मेगावाट बिजली के उत्पादन के साथ इस क्षेत्र का जल स्तर भी ऊंचा हो जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) … *

प्रो. रामशंकर (आगरा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा, जिसे मोहब्बत की नगरी के नाम से जाना जाता है, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां यमुना नदी पूरी तरह से सूखी पड़ी है। साढ़े तीन सौ साल पहले जब ताजमहल का निर्माण हुआ, उस समय यमुना में पर्याप्त पानी था, लेकिन आज यमुना सूखी है। इस कारण ताजमहल की नींव में जो लकड़ी है, वह सूख रही है। वह लकड़ी सूखने और सिकुड़ने के कारण ताजमहल को खतरा हो गया है और ताजमहल कभी भी गिर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और जांच के निर्देश दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केवल औपचारिकताएं हो रही हैं। यमुना के पानी के कारण मिनारों का झुकाव नहीं हो रहा था, लेकिन यमुना सूखी होने के कारण ताजमहल की मिनारें झुक रही हैं। यमुना के पानी से वहां की जनता की पानी की समस्या हल होती थी, वहां लोग पानी न मिलने से परेशान हैं और बीमारी फैल रही है।

मेरी सरकार से मांग है कि ताजमहल को देखने के लिए आज भी चालीस से पचास हजार पर्यटक रोज आते हैं, इसलिए ताजमहल और आगरा के लोगों को बचाने के लिए यमुना में बैराज बनाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गम्भीरता से लिया है।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I would like to draw the attention of the Government to the restructuring of the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, on the basis of recommendations of Boston Consultancy Group, BCG. If the on-going repositioning exercise continues in full swing, the NABARD will cease to exist as a Development Finance Institution, DFI, and will become a direct financing institution competing with other financial entities like commercial banks, cooperative banks and Regional Rural Banks. This will lead to dilution of its basic mandate and the purpose for which it was formed by an Act of Parliament, i.e. the NABARD Act, 1981.

I am also concerned that if NABARD enters into direct financing business, raising money from the open market it will increase the interest rates for loans for farmers.

---

* Not recorded

This will bring further disaster for farmers and rural people who are already reeling under severe crisis. Based on BCG recommendations, NABARD Management has reportedly put on hold the recruitment process for clerical staff all over India. This will create immense frustration among the unemployed youths of the country.

In view of this, I would request the Government to consider these apprehensions in the restructuring exercise of NABARD. I am also requesting that without the knowledge of this hon. House, no such amendment or no such restructuring should be allowed.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सांसद निधि की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी कारण हो या राज्य के जो संबंधित जिला अधिकारी या सीडीओ हैं और यहां के एमपी लैड्स का जो विभाग है, उनके बीच में आपस में समन्वय न होने के कारण बहुत से पिछले पैसे सांसदों के पड़े रहते हैं जिससे वे अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसमें समय फिक्स किया जाए कि इतने दिनों में वो पैसा चला जाए और खर्च भी हो जाए, उसके बाद दूसरी किश्त उनको जानी चाहिए। दूसरी मांग करना चाहूंगा कि जो वहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसकी क्वॉलिटी और क्वांटिटी का भी समय समय पर निरीक्षण केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी समिति भेजकर वहां पर कराया जाना चाहिए और जो रिपोर्ट सीडीओ द्वारा यहां मंगायी जाती है, यहां से रिपोर्ट भेजी जाती है, उन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए तभी जाकर समय से एपी लैड्स का पैसा पहुंच सकता है।

मैं अपने क्षेत्र कौशाम्बी, उ.प्र. की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर करीब डेढ़ दो साल से करीब दो करोड़ -ढ़ाई करोड़ रुपये मैंने विद्युत विभाग को दिया है, आज भी उस पैसे का चैक भी जिलाधिकारी सीडीओ के माध्यम से कट गया है लेकिन तमाम छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली की जरुरत है, तार, खम्भे और ट्रांसफॉर्मर की जरुरत है, वहां के लिए चैक दिया गया है लेकिन आज तक वहां पर काम नहीं हो पाया है। इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसकी जांच कराए। एक अन्य बात और मैं कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के अलावा बाहर जो दस लाख रुपये हम देते हैं, वो भी अगर दूसरे जिले में हम देते हैं तो उसका काम भी समय से नहीं हो पा रहा है। अभी लेटेस्ट हम लोगों को सरकुलर मिला कि दस लाख रुपये अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो विकलांग है, उनको हम देते हैं लेकिन तुरंत उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The hon. Member, you have to make only one point.

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं चाहता हूं कि वो दस लाख रुपये निर्वाचन क्षेत्र में भेजे जाएं ताकि सभी माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनको कृत्रिम अंग दे सकें और जो लिमिट रखी गई है कि एक साल में पचास लाख से ज्यादा रुपये स्कूलों में खर्च नहीं कर सकते, उसको खत्म किया जाए।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member, you can raise this issue in the meeting of the MPLAD Committee.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, वहां तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे ही लेकिन सांसद निधि का मुद्दा है, इसिलए उसको हम रखना चाहते हैं। एक संस्था को 25 लाख रुपये जो देने की बात है, वह भी टाइम बाउंड उसको रखा जाए ताकि सांसद अपने क्षेत्र का विकास अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसको करे। धन्यवाद।

श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र दमन और दीप में बिजली के दामों को बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर जीआरसी ने अपनी मुहर लगा रखी है जो सभी सैक्टर, जैसे कि घरेलू खेती, उद्योग सभी पर लागू किया है। मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर अवगत कराना चाहूंगा कि घरेलू क्षेत्र में मात्र दो फीसदी बिजली का उपयोग दमन और दीव में किया जाता है जबकि 98 फीसदी उद्योग क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि दमन और दीव दिसम्बर, 1961 में भारत में शामिल हुआ था और इस वजह से दमन और दीव का विकास बाकी क्षेत्र के मुकाबले में बहुत धीमी गति से हुआ है। यहां के विकास के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों को टैक्स होलीडे और कम दाम में बिजली उपलब्ध करायी गई थी। दमन दीव में टैक्स होलीडे खत्म कर दिया गया है। दमन दीव की जनता के लिए उद्योगों में बिजली ही एक लाइफ लाइन बची है। अगर बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे तो इस क्षेत्र में गहरा नुकसान हो सकता है जिससे कई उद्योगों पर ताला लग सकता है। इसके चलते दमन दीव में बेरोजगारी बढ़ सकती है और अर्थ तंत्र बिगड़ सकता है।

महोदय, मत्स्य उद्योग एग्रीकल्चर का एक भाग होता है। इस क्षेत्र में दी जाने वाली बिजली उद्योग को दिए जाने वाले दाम में दी जाती है, मैं समझता हूं कि यह गलत है। दीव में आइस बनाने वाली फैक्ट्री मत्सय उद्योग का एक हिस्सा है इसलिए बिजली इस उद्योग को खेती क्षेत्र को दिए जाने वाले दाम पर मिलनी चाहिए क्योंकि आइस मछली पकड़ने वाली बोट में यूज होता है। मैं आज इस जगह से खड़ा होकर बताना चाहता हूं कि दमन और दीव करीब 3500 करोड़ रुपया रेवेन्यु भारत सरकार को देता है जो कि

अपने आप में एक उपलब्धि है क्योंकि यह रेवेन्यु भारत के दूसरे सबसे छोटे क्षेत्र से आता है। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर आफ पावर से अनुरोध करता हूं कि बिजली के दाम में जीआरसी जो बढ़ोत्तरी करना चाहती है उसे तत्कालिक स्थगित किया जाए, इसे लागू न किया जाए और दमन दीव को और मजबूत बनाने में मदद की जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र शिवहर के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नेपाल से निकलने वाली बागमती नदी के जल प्रवाह से बेलसंड से रुन्नीसैदपुर तक लगभग 15 किलोमीटर लंबे एवं चार किलोमीटर चौड़े कृषि एवं आवासीय क्षेत्र में निरंतर जल बहाव एवं जल जमाव से लगभग 50,000 आबादी एवं 12,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पानी में डूबी हुई है। इस इलाके के किसान एवं आम लोग प्राकृतिक यातना से पीड़ित हैं। जीविका एवं आवास से महरूम यहां के लोग विस्थापित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बागमती नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ के साथ-साथ जल के प्रवाह में बड़े पैमाने पर उक्त क्षेत्र में सिल्ट लेकर आती है तथा बागमती तटबंध की क्षमता घटती जा रही है तथा 15 किलोमीटर क्षेत्र में जल जमाव सालों भर बना रहता है। मैं सदन के माध्मय से मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि बेलसंड से रुन्नीसैदपुर तक होने वाले जल प्रवाह एवं जल जमाव के निस्सरण हेतु कारगर एवं स्थायी कदम उठाए जाएं जिससे उक्त इलाके की भूमि कृषि योग्य बन सके तथा किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार हो। यहां के लोग भुखमरी की कगार पर हैं। धन्यवाद।

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak during the 'Zero Hour'.

The Manali Industrial Cluster in the north of Chennai is an important industrial area of Tamil Nadu containing petroleum, petrochemicals, chemicals, fertilizers and other engineering industries.

The Ministry of Environment and Forests has imposed a ban in January, 2010 for any new projects in the Manali Industrial Cluster based on Pollution Index of 76. Any Index above 70 is considered as critically polluted area.

Thereafter, all the Manali industries have implemented many pollution mitigating measures for the past one year. Recently, an Expert Committee was appointed by the Minitry of Environment and Forests, Government of India, and the Committee has assessed the present Pollution Index as 67. Therefore, the

Expert Committee has recommended the lifting of the ban in the Manali Industrial Cluster.

The Tamil Nadu Pollution Control Board has also accepted the recommendations of the Expert Committee and has asked the Central Pollution Control Board to lift the ban.

The CPCB has also, in turn, recommended the lifting of the ban in September, 2011 itself. Now, though two months have passed after the CPCB recommended lifting of the ban, the Ministry of Environment and Forests has not yet lifted the ban. Instead, the Ministry of Environment and Forests extended the ban on new projects up to 31.3.2012. This ban is causing a lot of hardship to the Manali Industries, since they are not in a position to implement new projects for almost two years. Therefore, the Ministry of Environment and Forests is requested to lift the ban in the Manali Industrial Cluster immediately in order to create job opportunities for future, the younger generation. Thank you.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए। वर्तमान में रेलवे विभाग विश्व का सबसे बड़ा परिवहन का साधन है और जहां रेल सुविधा होती है, वहां यात्री प्राथमिकता से रेल में ही यात्रा करना पसंद करता है। क्योंकि किसी भी अन्य परिवहन साधन के मुकाबले रेल की यात्रा सस्ती तथा आरामदायक रहती है। परंतु रेलवे विभाग रेल की गति व समय सीमा का हवाला देते हुए आवश्यक स्टापेज भी नहीं कर पाता है। जिससे यात्रियों को रेल यात्रा करने में किसी अन्य शहर या नगर के रेलवे स्टेशनों पर जाना पड़ता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली दो ट्रेनें हैं 2125 एवं 2126 इंदौर-ग्वालियर इंटरसिटी एवं 11701-11702 कोटा-इंदौर इंटरसिटी जिनका स्टापेज वर्तमान में मेरे क्षेत्र में मात्र एक ही स्थान ब्यावरा रेलवे स्टेशन पर है। उक्त दोनों ट्रेनों का स्टापेज सारंगपुर, पचोर एवं चाचौड़ा स्टेशनों पर किया जाना जनसुविधा को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। इंदौर-ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -3 के समानान्तर दो प्रमुख व्यावसायिक महानगरों इंदौर और ग्वालियर के बीच चलती है। दूसरी ट्रेन जो कि कोटा-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस है, यह भी एक व्यावसायिक महानगर इंदौर और एक शैक्षणिक नगरी कोटा (राजस्थान) को जोड़ती है। इन शहरों के मध्य मेरे संसदीय क्षेत्र से सैकड़ों व्यापारी, छात्र-छात्राएं इलाज हेतु विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीज एंव आम नागरिक बहुतायत में प्रतिदिन आते-जाते रहते हैं।

उक्त दोनों ट्रेनों के मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ के अंतर्गत सारंगपुर, पचोर व चाचौड़ा स्टेशनों पर स्टापेज कर दिये जाने से यात्रियों को रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही रेल की आय में भी वृद्धि होगी तथा इससे विभाग को स्टापेज करने के नियम व रेल की गति तथा समय आदि में भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेग्य, यही मेरा अनुरोध है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I request you all to approach the Speaker and get approval. That would be better. You are all waiting and that is why I am giving a chance to you. But it is embarrassing for me to give a chance like this daily to some Members because they want to speak everyday. From tomorrow onwards, I request you to approach the Speaker in advance and get permission.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, जो विषय हम आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखने के लिए खड़े हुए हैं, यह विषय हमने सदन में नियम 377 के माध्यम से रखा है, जीरो ऑवर में रखा है और सबमिशन में भी रखा है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत सैंट्रल कोल फील्ड्स लि. है। यहां लोगों को मुआवजा भी मिला, नौकरी भी मिली, चाहे वे अंगावली माइन्स हो, चलकरी माइंस हों, चाहे दामोदर रिवर डाइवर्शन का मामला हो, लेकिन अभी तक वह चालू नहीं किया है। भारत कोकिंग कोल जो हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एरिया-4 में सलामपुर कोलियरी को बंद कर दिया गया है, अंगारपथरा को बंद कर दिया गया है। एरिया-5 में लोयाबाद कोप प्लांट को बंद कर दिया गया है और एरिया-3 में साउथ गोविंदपुर को बंद कर दिया गया और जोगीडीह माइंस को बंद किया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार को कोयले की आवश्यकता है और दूसरी तरफ इन माइंस को बंद किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इन्हें तुरंत चालू कराया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the kind notice of the hon. Agriculture Minister, through this august House, a matter of urgent public importance regarding oil palm cultivators.

As the House knows, Vizianagaram district occupies third place in India with an approximate cultivation of 15,000 to 20,000 hectares which is a crop promoted by the Government of India to achieve self-sustenance in edible oils. For the last four years, farmers are incurring losses due to unremunerative prices because of the current price fixing formula which is advocated by the Director of Oil Palm Research (ICAR), Eluru.

After several representations by farmers, the Ministry of Agriculture has constituted a Committee to review the present price fixing formula. I thank the UPA Government for the same. The Committee has now submitted its Report to the Ministry of Agriculture.

Therefore, I urge the Government to implement the recommendations of the Committee immediately.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में आकाशवाणी केंद्रों पर उद्घोषक कार्यरत होते हैं। उनमें से कुछ तो स्थाई होते हैं और कुछ अस्थाई होते हैं। स्थाई उद्घोषकों को कम से कम 30-40 हजार रूपये प्रतिमाह मिलते हैं और अस्थाई उद्घोषकों को 3-4 हजार रूपये ही प्रतिमाह मिलते हैं। इतना बड़ा गैप है। 15-20 सालों से ये अस्थाई उद्घोषक ऑल इण्डिया रेडियो में काम करते हैं। इनके द्वारा ही ऑल इण्डिया रेडियो चलते हैं। जब प्रियरंजन दास मुंशी जी केन्द्रीय मंत्री थे, तब उन्होंने सदन में घोषणा की थी इन अस्थाई उद्घोषकों को परमानेंट किया जाएगा। ये उद्घोषक 15-20 सालों से कार्य कर रहे हैं अब यह ओवर ऐज भी हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन उद्घोषकों को परमानेंट किया जाए।

19.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 13, 2011/Agrahayana 22, 1933(Saka).